



जोगैना निहुम

मानवअधिकार उल्लङ्घन

“म्वार आपन स्वामित्वक जिमिनम पैला टेक्क मै  
का अपराध कर्ल रनहूँ ?”



हम सकुज हामा मानवअधिकार बेल्स सेकी कहक लाग सकुनम  
मनभिट्टरके मानवताहन परिचालन कर्ती अभियान चलैना एक करोडसे  
डेउर मनैनके अभियान हो, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल ।

हम असिन डुनियाके परिकल्पना कर्लबटी जाहाँ सत्ताम रहुइयन आपन  
वाचा पूरा कर्ना, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहन मान् कर्ना ओ जवाफदेही प्रदर्शन  
कर्नेबट । हम कौनो फे सरकार, राजनीतिक विचारधारा, आर्थिक स्वार्थ  
या धर्मसे स्वतन्त्र बटी ओ सदस्यता शुल्क ओसहक सार्वजनिक अनुदान  
हामा आर्थिक डगर हो । डुनियाभरके मनैनसे एक्क गाँठ ओ सद्भावसे  
मिलके काम करबेर हामा समाज सड्डभरके लाग और मजा हुइने बा ।

© एम्नेस्टी इन्टरनेसनल २०२१

और मेरसे लिखगैलक, यी दस्तावेजके सामा क्रिएटिभ कमन्स (attribution, non-commercial, no derivatives, international 4.0) के मातहतम इजाजत प्राप्त बा ।  
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode>  
आकु और जानकारीक लाग हामा वेबसाइट [www.amnesty.org](http://www.amnesty.org) के अनुमति पृष्ठम हेवी ।  
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल बाहेक औरजहनके प्रतिलिपि अधिकार रहलक सामा क्रिएटिभ कमन्स अन्तर्गत नै पने हो ।



आवरण तस्विर : कोलिन फू  
तस्विर : बितवन राष्ट्रिय निकुन्ज, नेपाल © Jacek Kadaj via Getty Images

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल लि.  
पहिलचो छपागैलक मिति २०२१  
पिटर बेननसन् हाउस, १ इस्टन स्ट्रिट  
लण्डन WC1X 0DW, UK  
Index: AFR 44/1657/2020  
Original language: English  
[amnesty.org](http://amnesty.org)

# विषय सूची

१. कार्यकारी सारांश	५
१.१ जानवरनक संरक्षण ओ मनैनके निष्कासन	५
१.२ पुर्खनक भूमि राष्ट्रिय निकुञ्जम फेरगिलक	६
१.३ नेपाली सेनासे मानवअधिकारक उल्लङ्घन	६
१.४ निक्त्रैना समस्या समाधानके उपाय नै हो	७
१.५ परामर्शमूलक, बरी पक्का समाधानके आवश्यकता	९
१.६ सिंक्रल राजनीतिक इच्छाशक्ति	१०
२. विधि	१३
२.१ अनुसन्धानसे समर्थन कर्ना काम	१४
३. पृष्ठभूमि	१६
३.१ ऐतिहासिक सन्दर्भ	१६
३.२ राष्ट्रिय निकुञ्जनके शासन व्यवस्था	१७
३.३ मध्यवर्ती क्षेत्रके व्यवस्थापन	२०
४. भूमिम आश्रित आदिवासी जनजातिविरुद्धके मानवअधिकार उल्लङ्घन	२३
४.१ सङ्घभर जबर्जस्ती निक्त्रावापैना डरम बैसपना अवस्था	२३
४.१.१ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज	२५
४.१.२ बारबर्दिया, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज	२८
४.१.३ मगराडी, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज	२९
४.१.४ गेरुवा, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज	३०

४.२ जीविकाके अधिकार ओसहक ओ आर्थिक अधिकारम प्रभाव	३४
४.३ वन्यजन्तुनसे बाली नष्ट	३८
४.४ मनलग्गी गिरफ्तारी ओ हिरासत, यातना ओसहक और दुर्व्यवहार ओ ठेउर बल बेल्साइ	४०
४.४.१ चितवन – राजकुमार चेपाङ: दुर्व्यवहार ओ यातनाके ओसें मृत्यु	४३
४.४.२ चितवन – शिखाराम चौधरी: दुर्व्यवहार ओ यातनाके ओसें ज्यान गैलक	४६
४.४.३ बर्दिया: मनलग्गी गिरफ्तारी ओ हिरासत	४७
<b>५. कानुन ओ नीति</b>	<b>४९</b>
५.१ राष्ट्रिय निकुञ्ज ओ वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९	४९
५.२ वन ऐन, २०७६	५१
५.३ आवासके अधिकार ऐन, २०७५	५२
५.४ मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५२ ओ मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन निर्देशिका, २०५६	५३
५.५ और सुहावन कानुन ओ नियमावलीन	५४
<b>६. उपचारके अधिकारके उल्लङ्घन</b>	<b>५५</b>
६.१ जबर्जस्ती निक्कावा पैनाके उपचार	५५
६.२ भूमिम हुइलक क्षतिके उपचार	५८
६.३ भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग	६१
<b>७. सिफारिसहरू</b>	<b>६३</b>

# १. कार्यकारी सारांश

वन्यजन्तु ओ प्राकृतिक पर्यावरण बचैनासे सक्कु संरक्षणके क्षेत्रम नेपालसे दशकौंसे हुइलक प्रयासके संरक्षण विज्ञान प्रशंसा कैरख्ल । या कही यी सक्कु बन्वम अरेइलक आदिवासी समुदायनके चुकैलक बरा मूल्यसे पागैलक हो । असिख सक्कुनसे ठेउर भङ्खनम पर्लक समुदायम ठेउरसे ठेउर मध्यपश्चिमम बैसना थारू समुदाय ओ नेपालक मध्यतराईम बैसना चेपाङ, बोटे, दराई बनकरिया, कुमाल, दनुवार ओ माभी समुदाय बट ।

यी प्रतिवेदन चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज ओ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जहन बिचम ढैख कैगिलक अध्ययनके भरम यी आदिवासी समुदायके अधिकार पक्का करक लाग नेपाल सरकारसे कैगिलक बेकामहन उठैल बा । एम्नेस्टी इन्टरनेसनल ओ सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र (आत्मनिर्भर केन्द्र) असिन मानवअधिकार नहइलक दस्तावेजीकरण कर्ल बट : जबर्जस्ती निक्नैना, पुर्खक जिमिनके अधिकारसे पज्गुरोइलक, खैनापिनासे डूर कराके पुरान रूपम अरेइटी अइलक बन्वा ओ प्राकृतिक स्रोत उपरके पहुँचम बिन्कामक रोक्वा, नेपाली सेना ओ संरक्षण क्षेत्रके डार्रा (सुरक्षा) म खटलक राष्ट्रिय निकुञ्जक सुरक्षाकर्मनसे हुइलक मनलगी गिरफ्तारी, गैरकानुनी हत्या, हिरासत ओ यातना या और दुर्व्यवहार ओ यी मेहिक अधिकार नहइलकम आदिवासी समुदायहन डम्कारसे स्यावा कर्नाम राज्य पज्गुरल बा ।

## १.१ जानबरनक संरक्षण ओ मनैनके निष्कासन

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)के आदिवासी जनजातिसे ज्वारल महासन्धि १९८९ ( नं.१६९) (वाकर पाछ आइएलओ महासन्धि १६९ कहगैलक) हन सन् २००७ म मानगैल ठेस नेपाल आदिवासी समुदायनके जीविकाके स्रोत ओ प्राकृतिक स्रोतसाधन उपरके पहुँचहन जोगैना कसम खैल बा । उह फे जाटिटक बाट जुन औरमेहिक बा । सन् २०१९ म छापगिलक राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग (आयोग)के एकठो प्रतिवेदन आइएलओ महासन्धि १६९ अस नेपाल जुन नियामक मापदण्ड तर्जुम कर निसेक्लक बटओइल बा । बन्वम अरेइलक आदिवासी मनै बैस्ल रलक क्षेत्रमा काम कर्तिरहलक अभियन्ताहुँक सरकारके संरक्षणसम्बन्धी लजर नैमिल्लक ओ ऊ जानबरनके पक्षम ठेउर वकालत कैके मनैन् हिगर्वापैलक बटवारख्ल ।

आदिवासी समुदायनक दूरावस्थहन प्रभावित पर्ना ठेउर मेहिक चीज बाट : प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी आघपाछ हुइलक कानुनी प्रावधान, राष्ट्रिय निकुञ्जके पक्षम ओ आदिवासी

समुदायक बिगार हुइनाअस अधिकार ओ न्यायालयसे कैजिना ऊ कानुनी प्रावधानके सिंक्रल व्याख्या, हुँक भोगलक भङ्खनके उचित अभिलेखीकरणके अभाव ओ स्यावा डेनाम अधिकारीनसे करपर्ना डम्कार ओ गम्कार प्रयासके अभाव । रोक्वा लगाजैना मेहिक संरक्षण कानुन (राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण ऐन, वन ऐन, जलस्रोत ऐन) के माध्यमसे प्राकृतिक स्रोतके पहुँचम इन्कार कैगिलकओसे आदिवासी समुदायन भोग्गिरलक गहिँर अखिसक खाद्य असुरक्षाहन और कर्रा बनैल बा ।

## १.२ पुर्खनक भूमि राष्ट्रिय निकुञ्जम फेरगिलक

राष्ट्रिय निकुञ्ज ओ संरक्षित क्षेत्र नेपालक एकचौथाई भू-भाग उँक्रोइल बा । नेपालम १२ ठो राष्ट्रिय निकुञ्ज, एकठो वन्यजन्तु संरक्षण, एकठो शिकार आरक्ष, ६ ठो संरक्षण क्षेत्र ओ १३ ठो मध्यवर्ती क्षेत्रन (कानुनद्वारा स्थानीय जनतन नियमित ओ फाइदाजनक आधारम बन्वा पैदावार बेल्सना सुविधाके लाग छुट्टैलक क्षेत्र) बाट । ओसहक यी सक्कु संरक्षित क्षेत्रन नेपालके आदिवासी जनजाति समुदायनके पुर्खनक भूमिम बनागिल बा । यी राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना कैगिलक दशकौँ पाछ, फे ठेउरसे ठेउर आदिवासीहुँक आम्ही भूमिहीन अवस्थाम बट ओ अप्न बैस्टरहलक अनौपचारिक वासस्थानसे जबर्जस्ती घेचरावा पैना डरलकितक भङ्खन भोग्गिट बट । हुँकहन ना ट सटाहा कामकाजके उपाय डेरखलन ना ट कौनो हर्जाना जो डेरखलन । सँगसँग हुँकहिन संरक्षित क्षेत्रम मच्छी मार या और खैनापिना जमा कर्रा ओ बिर्बीबिर्वा ओ पट्याकाठी कर फे नै डेगिल हुइटन् ।

आदिवासी जनजाति समुदायन पुर्खसे बेल्सटी अइलक प्राकृतिक स्रोत ओ जिमिन उपरके हुँकन्हक अधिकारहन पक्का कर्रा दायित्वहन नेपाल सरकार बेवास्ता कर नैस्याकट । राष्ट्रिय निकुञ्ज ओ मध्यवर्ती क्षेत्रहन चलैनालागायतक संरक्षण कानुनन् नेपालके हकम नै होक नैहुइना राष्ट्रिय ओ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनअस तर्जुम करपर्ना दायित्वहन फे सरकार उप्टाए निस्याकट ।

## १.३ नेपाली सेनासे मानवअधिकारक उल्लङ्घन

यी प्रतिवेदनम अभिलिखित आदिवासी जनजातिनक विरुद्ध हुइल-कैगिल ठेउर मानवअधिकारके उल्लङ्घन नेपाली सेनासे सम्बन्धित बा । नेपालके संरक्षित क्षेत्रम ६,७७८ नेपाली सेनाक सुरक्षाकर्मीन खटागिल बा । मानवअधिकारके लजरसे राष्ट्रिय निकुञ्ज ओ डोसुर संरक्षित क्षेत्रम नेपाली सेनाके भूमिकहन सलहो डगर डेखैना सवालम घरेलु कानुनी संयन्त्रम एकठो बरा खोल्टी डेखपरट ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज ओ आरक्षणम प्रवेश कैगिलकम आदिवासी जनजातिन फ्यारकफ्यारा गिरफ्तार कैके हिरासतम ठैजिना कैगिल बा । हुँकनमध्ये ठेउरजन्ह निकुञ्जम खटागिलक सेनाके सुरक्षाकर्मीनसे दुर्व्यवहार ओ यातनासम भोगरखल । उहमार कठ्याकजन्हक ट ज्यान फे गैरखलन ।

बर्दिया जिल्ला गेरुवाके थारू समुदायक जन्तन नेपाली सेनाके अधिकारीनसे विभेदजन्य बेभार ओ उत्पीडन हुइलक ल्यासा लगैल । निकुञ्जक लगघ बैठना जन्नी मनै खास कैख भइखनम बट । काजे कि पट्याकाठी ओ घाँस-बन्कस करक लाग हुँक सड्डअस बन्वम जैना कठ । गैलक कुछ वरस यहाँर नेपाली सेनासे घातक बल ठेउरसे ठेउर बेल्सनाम कमी अइलक कगैलसे फे यातना (कौनो ब्यालम ज्यान समेत गैलक), बलात्कार और अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गत और अपराध ओ मानवअधिकार उल्लङ्घनके बारेम प्रतिवेदन ठेउर-ठेउर फ्यारा अइटिरहल बा ।

## १.४ निर्रैना समस्या समाधानके उपाय नै हो

आदिवासी जनजातिनक अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणापत्र (अनड्रिप)के धारा ८(२) अनसार आदिवासी जनजातिहुँकन हुँकन्हक भूमि, क्षेत्र या स्रोत साधनसे विमुख पर्ना लक्ष्य लेलक या विमुख कर सेक्नाअस कौनो फे कामहन रोक्ना ओ उ काम हुइलक ब्यालम उपचारके लाग राज्यहन प्रभावकारी संयन्त्रके व्यवस्था कर पर्ना रठस । धारा १० मन आदिवासी जनजातिहुँकन्हक आपन जिमिन या क्षेत्रमनसे जबर्जस्ती निक्कावा नैपैना पक्का कैराखल । ऊ धारासे प्रभावित आदिवासी जनजातिहुँकन्हक स्वतन्त्र, पहिलहँ ओ बिन जनैल ओ चहलक ओ न्यायसंगत क्षतिपूर्तिम सहमति बिनकल ओ सम्भव हुइलसम फेर घुम्ना विकल्पहन उप्कल ढैख केल्ह निक्काए पर्ना बाटहन पक्का कल बा ।

याकर अतिरिक्त धारा ४६(२)क घोषणा पत्रम लिखौलक अधिकारन (हुँकन्हक जिमिन, क्षेत्र ओ स्रोत साधन उपरके अधिकारलगायत)क कौनो फे संकुचन “अविभेदकारी हुइने बा ओ इवासर समुदायके अधिकार ओ स्वतन्त्रताके सुहाइल मान्यता ओ मान लेजिना उद्देश्यक लाग केल्ह ओ एकठो प्रजातान्त्रिक समाजक न्यायोचित ओ सक्कुनसे कर्रा(बाध्यकारी) आवश्यकता पूरा करकला केल्ह कैगिलक रहनेबा” कना व्यवस्था कैराखल ।

आदिवासी जनजाति ओ स्थानीय समुदायनसे सहव्यवस्थापन कैगिलक ओ समुदायक स्वामित्वम रहलक संरक्षण क्षेत्रम कैगिलक अध्ययनसे संरक्षणसम्बन्धी परिणाम लिहक लाग राज्यसे केल्ह चलागिलक संरक्षण क्षेत्रसे असिन संरक्षण क्षेत्रनके औषत सफलता ठेउर हुइना डेखागिल बा ।

संरक्षणसम्बन्धी लक्ष्यम पुगक लाग सरकार आदिवासी समुदायन राष्ट्रिय निकुञ्जमसे निर्रैना ओ हुँकहिन निकुञ्जमनसे बहिस्कृत कर्टरहना आम्हिन आवश्यक बा कना बाटहन प्रमाणित कैजाइपर्ठा ।

बाहार ओ पहिरोके मार राष्ट्रिय निकुञ्जके सीमानाभिटर आपन घर ओ जिमिन पर गैलसे मध्यवर्ती क्षेत्रम बैसना ओसिन पीडितहुँक कानूनअनसार क्षतिपूर्तिक लाग योग्य हुइठ । उह फे बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जके मध्यवर्ती क्षेत्रम बैसना मनैहुँक आम्हिन पहुँच निसेक्ना जिमिन ४० या ओहीँसे ठेउर वरसठेस क्षतिपूर्ति पाइ निसेक्ल हुइठ । ओहिमसे गेरुवा नगरपालिकाके

मनैनके एकठो बरा समूह बा ज्याकर भूमिहन् सन् १९८० ठेस बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जके हिस्सा हुइलक मानगिल बा ।

राष्ट्रिय निकुञ्जसे निक्रावा पैलक आदिवासी जनजातिहुँक भोगलक उल्लङ्घनके सुहावन उपचारके लाग परामर्श कैजाइ पठा । यदि सरकार राष्ट्रिय हितहन खतराम पर्ना बाध्यकारी ब्याला हुइलक प्रमाणित निकर्जाइटसम अनड्रिप (UNDRIP) म लिखगैलक अधिकारअनुरूप हुइना गरी हुँकहिन निकुञ्ज क्षेत्रम घुमैना (फिर्ती कर्ना) विकल्पहन् निमान कर निहुइट । बर्दिया गेरुवाके डेउर जहनके लाग आपन जिमिन फिर्ता लेना पहिला बाट बटन लेकिन यी सम्भव निहुइलक ब्यालम गुम्लक जिमिनके लाग डेजिना क्षतिपूर्ति हुँक गुमैलक जिमिनके मूल्य बराबर जो शोधभर्ना कैजाए परट ।

मच्छी मार, खैनापिना, बिर्वीबिर्वा ओ काठीपट्या कर्नाम लगागिलक रोक्वासे आदिवासी जनजाटिनक जीवन पद्धति उपर कर्ना प्रभाव पर्ना सँग नाटकीय परिवर्तन फेन कैडेराखल । मध्यवर्ती क्षेत्रके बन्वम पहुँच पउइयन मध्यवर्ती क्षेत्रम बैस्नाहुँक अलावा आदिवासी जनजातिहुँकन राष्ट्रिय निकुञ्जम जाय फे रोक्वा कैगिल बा । उहमार पल्हहँसे पज्जुर्वागिलक मनैन आपन आधारभूत आवश्यकता पूरा करक लाग अप्नेम भर पर परल बटन् ओ खरके छाँढिक सटाहा टेनक छाँढी, सरिबुटीके सटाहा चलनचल्तीके विरवा आदिके लाग बरेमहँड रूप्या टिरपर्ना भङ्खनम परल बट ओ परिणमस्वरूप खैनापिना असुरक्षा और स्वास्थ्य ओ आवासके भङ्खन उट्कना सम्भावना रहल बा ।

राष्ट्रिय निकुञ्जके आँजरपाँजर बैसुइयन वन्यजन्तुके गिन्टिम हुइलक वृद्धिके मतलव हुँकन्हक बालीनाली ओ संरचनाक विनाश, पशुचौपायनक क्षति ओ कब्हुकाल त मनैन च्वाट लग्ना ओ ज्यान जैना क्षति फे ह्वाए पुगल बा । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जम बाघ, गैंडा ओ हाँठीअस संरक्षित जानवरनक गिन्टिम बिटलक वरसम वृद्धि हुइल बा । बर्दियाके किसानन् संरक्षित वन्यजन्तुनसे फ्यारकफ्यारा बालीनाली, कुह्याक ढलक अन्न, लालाबाला, घरगोठ्वालगायतक संरचना भस्कैना कर्लक गुनासो कर्ल । हुँक राहतके रूप्या जाटिटबिटिट खुटिन्चे हुइलक, प्रक्रिया भङ्खनाहा हुइलक, प्रमाणीकरण ओ राहत भुक्तानीम पज्जुरल (वर्षम एककचो केल्ह डेजिना) ओ कौनो विशेष खालक जानवरन (जस्ट बन्दून)से हुइना फ्यारकफ्यारा हुइना बालीके क्षतिम राहत डेजिनालगायतक सवालम फे गुनासो कर्ल ।

वैकल्पिक जीविकोपार्जनके अभाव, आर्थिक भङ्खन ओ घरखर्च पुगाए निसेक्लकहोसे आपन जिमिनसे निक्रावा पैलक डेउर आदिवासी जनजातिहुँक अढेर्वा बनपर्ना भङ्खनम परल बट । याकर मतलव ४० प्रतिशत उब्जनी बुभैना शर्तम हुँक और कौनोजहनक जिमिनम खेती कर्ठ ।



## १.५ परामर्शमूलक, बरी पक्का समाधानके आवश्यकता

आदिवासी जनजातिहुँकर भोगलक मानवअधिकार उल्लङ्घनके प्रभावकारी उपचारके डगर तय करक लाग राष्ट्रिय निकुञ्जके जाट्टिक क्षेत्रफलके संगसंगे हरेक घरप्यार गुमैलक जिमिनके लगत संकलन कर्ना भट्टहैं एकठो सर्वेक्षण करपर्ना बरी कर्ना बा काजेकी यिहिमसे उपचारके लाग पक्का आधार लिह सेक्जिने बा ।

ऊ ब्यालक सरकार सन् २०२० मार्च म “भूमिहीन सुकुम्बासी” (दर्ता कैगिलक जग्गाधनी प्रमाणपत्र नैरहलक ओ जग्गा किन्ना बल फे निरहलक मनै कैके परिभाषित) ओ “अव्यवस्थित बसोबासी” (डिन्छे दर्ता कैगिलक जिमिन रलक लेकिन सरकारी जग्घम पैलसे बैस्ती रहुइयन)क पहिचान कर्ना कार्यादेशसहितके “भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग” गठन करल । सन् २०२१ के जुलाईके सुरुवातसम यी आयोग नेपालक ७५३ पालिकामध्ये ७४३ ठोसे समझदारीपत्रम हस्ताक्षर कर्ल बा । पालिकाके गतिविधिनके अनुगमनके लाग आयोग स्थानीय तहम सहजीकरण समिति ओ जिल्ला तहम जिल्ला समितिनके गठन फे कर्ल बा । स्थानी सहजीकरण समितिम ९ सदस्यन् रहल बट । जिहिम एकज दलि समुदायमसे समेत कैके कम्तिम तीनजन्ह जन्याव रहल बट । लेकिन आदिवासी जनजातिके प्रतिनिधित्वहन फे स्पष्टसे सुनिश्चित नि कैगिल हो । यी समितिन सन् २०२० के पाछपाछसे आपन काम कर भिल । स्थानीय समितिके निर्णयके विरुद्धम यदि पुनरावेदन डिहपर्लसे सम्बन्धित जिल्ला समितिम करपर्ने बा । २०७७ चैत २२ गते एम्नेस्टी इन्टरनेसनल ओ आत्मनिर्भर केन्द्रसंगक कचेरीम भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगके अढेक्षा ओ और सदस्यन अपन बन्वम आश्रित आदिवासी समुदाय ओ प्यारन राष्ट्रिय निकुञ्जके स्थापनाके कारण विस्थापित ह्वाए गैलक बारेम चैनार रलक बटओइल । वाकरसंग हुँकर आदिवासी जनजाति जन्तनके परम्परागत जीवन शैलीके अधिकार ओ हुँकन्हक परम्परागत भूमिसे डुर पुनर्वास नै कैजिना मनोकांक्षाहन सम्मान कर्ती हुँकन वैकल्पिक आसा सुनिश्चित करक लाग नेपाल सरकारसे ठोस परामर्श लेना प्रतिबद्धता फे जनैल ।

यी प्रतिवेदनके पक्का रूप डेटीवेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाके अगवमक लौव सरकार यी आयोगहन विघटन (छिटारविटर) कर्ल बा ।<sup>१</sup> सन् २०२१ के जुलाईके पाछसममम आयोग २,४७,९६० “भूमिहीन सुकुम्बासी” ओ ९,३२,८०१ “अव्यवस्थित बसोबासी”नसे ग्यार लाख असी हजार आवेदन पैल रलह ।<sup>२</sup> आयोगहन छिटारविटर करपर्ना कौनो कारण भर निडेगिल हो ।

<sup>१</sup> कान्तिपुर, भूमि आयोग खारेज, २० श्रावण २०७८, <https://ekantipur.com/news/2021/08/04/162804340224291748.html>

<sup>२</sup> कान्तिपुर, भूमि आयोग खारेज, २० श्रावण २०७८, <https://ekantipur.com/news/2021/08/04/162804340224291748.html>

## १.६ सिंक्रल राजनीतिक इच्छाशक्ति

नेपालक संविधान २०७२ अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्जसम्बन्धी जिम्मेवारी संघीय सरकार मातहत रना रलसे फे संघीय तहके अधिकारीहुँकनके अन्तर्वाताम राष्ट्रिय निकुञ्जमसे प्रभावित हुइलक बन्वम आश्रित आदिवासी समुदायहन प्रभावकारी उपचार करपर्ना सवालम सिंक्रल राजनीतिक इच्छाशक्ति रलक स्पष्ट डेखगिल । स्थानीय तहके निर्वाचित पदाधिकारीनम कुछ राजनीतिक इच्छाशक्ति डेखपरल रलसे फे रहलक कानुनी ओ नीतिगत बल ओ स्रोतहन बुझक लाग हुँक संघर्ष कर्टरहलक पागिल । याकर अलावा राष्ट्रिय निकुञ्जके अधिकारीन प्रभावित आदिवासी समुदायन त बाट छोरी स्थानी अधिकारीनकेओर जवाफदेही फे निहुइट ।

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग आपन गतिविधिन भखर केल्ह सुरू कर्टरलक ओ २०७२ म जारी कैगिलक संविधानअनुसारके संघीय संरचनाअन्तर्गत बल ओ जिम्मेवारी बटैयासम्बन्धी लौव कानुन बनैना प्रक्रियाम नेपाल सरकार आम्हिन फेन रलकओरसे अखिस संरक्षण सम्बन्धी निक्कावा पैनासे प्रभावित हुइलक आदिवासी जनजाति समुदायके पैल्हहेठेसके चासोहन सम्बोधन कर्ना एकठो अवसर मिल्ल बा ।

एमनेस्टी इन्टरनेसनल ओ सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रके सिफारिस असिन बटन :

### १. संघीय सरकारक लाग:

- (क) आपन भूमिम रहल कैगिल संरक्षणसम्बन्धी पहलम पूरा रूपम सहभागी हुइ पैना आदिवासी समुदायके अधिकार प्रत्याभूत कर्ना और हुँकन्हक मानवअधिकारहन प्रभावित पर्ना सक्कु पहलहन स्वतन्त्र, पैल्हहें ओ सूचित सहमतिके अधिकार पक्का करक लाग देशके संरक्षणसम्बन्धी कानुनी संरचनाम फेरबदल (संशोधन) कर्ना;
- (ख) संरक्षित क्षेत्रके शासन प्रणालीहन नेपालक संविधान मुताविक जाटिटक सहभागितामूलक बनैना सुनिश्चित करक लाग राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्य जन्तु संरक्षण ऐनहन यदि सक्कु विस्थापन नइकर्ना हो कलसे फे आवश्यक संशोधन गरपर्ना ।
- (ग) राष्ट्रिय निकुञ्जमनसे निक्कावा पैलक आदिवासी जनजातिहुँकनसे हुँक भोगलक उल्लङ्घनके उचित उपचार ओ संरक्षित क्षेत्रमन रहलक हुँकन्हक पुख्यौली जिमिन फिर्ता हुइना विकल्प समेतक लाग इमानदार परामर्शके प्रक्रिया व्यवस्था कर्ना । अविभेदकारी ओ बरे जरौरी कर्ना कारणहन सरकारसे विश्वसनियताके सँग प्रदर्शन कर सेक्लक ब्याला केल्ह असिक फिर्ता कर नैमिल्ना बाटके एकठो अपवाद हुइसेकठा । जरौरिक अर्थ औरजहनक अधिकार ओ स्वतन्त्रताके उचित मान्यता ओ सम्मान ओसहक एकठो प्रजातान्त्रिक समाजके न्यायोचित ओ बाध्यकारी आवश्यकता पूरा कर्ना उद्देश्यक लाग लिहपर्ना पैला कैके बुझ पर्ना ।

- (घ) अपन बैस्टरलक या खेतीपाती कर्टरलक जिमिन बाहारके कारण या खोल्हवा/लड्या धार फेरक राष्ट्रिय निकुञ्जके क्षेत्रम पर गैलक ब्यालम हुँकहिन असिक निकुञ्जम पर गैलक जिमिनम बिनरोक्वा पुग डेना बाटम पक्कापक्की कर्ना;
- (ङ) राष्ट्रिय निकुञ्ज ओसहक और संरक्षण क्षेत्रके स्थापनाके कारण या और कारण (जस्ट बाहारसे आपन जिमिन संरक्षण क्षेत्र भित्तर पर गैलक) से आवास ओ जिमिन गुमउइया सक्कुन नेपाल सरकारसे हुँकन्हक परम्परागत जीवन पद्धति उपर गडबडी नइहुइना गरी हुँकन्हक पाछसमके लाग जीविका पक्कापक्कीके लाग ठेउरसे ठेउर सटाहा आवास ओ जिमिनके व्यवस्था कैजाइ पर्ठा;
- (च) मध्यवर्ती क्षेत्र समिति ओ भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग अन्तर्गतके स्थानीय ओ जिल्ला स्तरीय समितिहुँकन और प्रतिनिधिमूलक ओ समावेशी बनाइ पर्ठा । राष्ट्रिय निकुञ्जमसे सक्कुनसे ठेउर प्रभावित हुइलक सीमान्तकृत समुदाय ओ जन्नी मनैनक यी समितिनम ठेउर ओ प्रभावकारी सहभागिता रलक सुनिश्चित करक लाग सक्कु उपायनके खोजी कर पर्ठा । असिन प्रतिनिधित्व औपचारिकता (तयपभलष्क) म केल्ह सीमित नाह्वाए ओ जन्नी ओ सीमान्तकृत समुदायके सदस्यहुँकन यी समितिम समावेश केल्ह नाही कि निर्णय प्रक्रियाम फे हुँकहे अर्थपूर्ण तवरम सहभागी हुइकलाग चाह जठ्याक सखैना बाट पक्कापक्की करक लाग प्रयास कैजाइपरट;
- (छ) वन्यजन्तुनसे हुइना बालीनाली ओ और सम्पत्तिके क्षतिके सटाहा क्षतिपूर्ति पैना प्रक्रियाहन और कर्ना बनाइक लाग ओ जिमिनके क्षति या बालीनाली या सम्पत्तिके नाश समबन्धित राष्ट्रिय निकुञ्जके आयम निर्भर नैरना बाट सुनिश्चित करकलाग चाहल जठ्याक फेर हेरफेर कर्ना । निकुञ्ज आसपास बैस्ना किसानहुँकन बाली बिमा डेना बाट भडकन समाधानके एकठो उपाय हुइ सेक्ठा;
- (ज) संरक्षण कानुनन् कार्यान्वयन कर्ना सन्दर्भम नेपाली सेना ओ निकुञ्जके अधिकारीनसे हुइलक कैके लगलग आरोप सक्कु राष्ट्रिय ओ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतके अपराध ओ मानवअधिकार उल्लङ्घनन्के शीघ्र ओ स्वतन्त्र फैजदारी खोजपड्ताल हुइलक पक्कापक्की कर्ना, ओ यदि ठेउरसे ठेउर पक्का प्रमाण बा कलसे आरोपितहुँकहिन साधारण नागरिक अदालतम निष्पक्ष पुर्पक्षसे मानवअधिकार मापदण्डके उचित प्रक्रियावमोजिम अभियोग कर्ना ।
२. वन तथा वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग ओ राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयनक लाग:
- (क) जोगैलक बन्वक जानवरनसे राष्ट्रिय निकुञ्जके आँजरपाँजर ओ खासकैख मध्यवर्ती क्षेत्रमन बालीनाली, लालाबाला ओ सम्पत्तिहन जोगाइकटे आवश्यक उपाय अवलम्बन कर्ना;

(ख) नोक्सानके ब्याला सुहावन आँकलन ओ जोगैलक बन्वक जानबरनसे हुइना वालीनाली, लालावाला, सम्पत्ति ओ मानव जीवनके क्षतिक सटाहा ठेउरसे ठेउर क्षतिपूर्ति पक्कापक्की कर्ना ।

### ३. भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगके लाग

(क) आदिवासी जनजातिके जिमिनके अधिकार ओ बाहार ओ खोल्टवा डगर फेर्लकओसे आफन जिमिन गुमैलक व्यक्तिक अधिकारक सवालम आयोगके कार्यादेशअन्तर्गत तथ्याङ्क पहिचान ओ प्रमाणीकरण कर्ना मापदण्डहन डम्कार पर्ना ओ यी तथ्याङ्कनके पक्कापक्की कर्नासे आघ परामर्शके लाग प्रभावित ओ हुँकन्हक प्रतिनिधिन यी तथ्याङ्क उपलब्ध करैना;

(ख) योग्य घरपच्यारक पहिचान ओ जिमिन बँटनासम्बन्धी निर्णयनके विरूद्ध पुनरावेदनक लाग केन्द्रीय स्तरम आयोगम एकठो संरचनाके व्यवस्थालगायत गरेर स्थानीय ओ जिल्ला स्तरके सहजीकरण समितिनके कामकारवाही ओ निर्णय कार्य स्वतन्त्र ओ निष्पक्ष हुइलक पक्कापक्की कर्ना ।

# २. विधि

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र (आत्मनिर्भर केन्द्र) ओ थारू समुदायनसे समेत प्रतिनिधित्व कर्लक भूमि अधिकारकर्मीनसे संयुक्त रूपम समुदायम आधारित सहभागितामूलक कार्य अनुसन्धान विधिम आधारित होके सन् २०१८ के मईसे २०१९ सेप्टेम्बरम यी प्रतिवेदनके लाग अनुसन्धान कैगिल रह ।

यी अनुसन्धानम सहभागी हुइलक सक्कु अनुसन्धानकर्तनके लाग बर्दिया जिल्लाके ठाकुरद्वाराम समुदायम आधारित सहभागितात्मक कार्यमूलक अनुसन्धान (सिपिएआर) के बारेम पाँचडिन्या बखेरी -कार्यशाला) आयोजना कैगिल रह । अनुसन्धानके ज्ञान ओ अनुभव हुइलक ओ थारू भषा फे ब्वाल सेक्ना अनुसन्धान लक्षित जिल्लाके जो दश जन्ह थारू ओ पाँच जन्ह गैरथारून फे कैक यी तालिमम १५ जन्ह सहभागी रलह । यी सहभागीनमध्ये ११ जन्ह जन्यावन रलह । ओहिमसे नौ जन्ह ट थारू समुदायके जो प्रतिनिधि रलह । यी अनुसन्धानकर्तन सिपिएआर अनुसन्धान कसिक कर्ना कना विषयम ज्ञान डिहक लाग ओ हुँकन शक्तिकृत बनाइक लाग यी तालिमके आयोजना कैगिल रह । तीनजन्ह एम्नेस्टी इन्टरनेसनल ओ आत्मनिर्भर केन्द्रके स्रोतव्यक्तिन तालिमके सहजीकरण कर्ल रलह ओ समुदायमसे सहभागी हुइलक और थारूनके ऐतिहासिक सीमान्तीकरणके बारेम अभिमुखीकरण डेल रलह ।

लुम्बिनी प्रदेशके बर्दिया ओ बागमती प्रदेशके चितवन जिल्लाम स्थलगत अनुसन्धान कैगिल रह । एम्नेस्टी इन्टरनेसनल ओ आत्मनिर्भर केन्द्रक अनुसन्धानकर्ता ओ स्थानीय अधिकारकर्मीन बर्दिया ओ चितवन जिल्लाके आपन जिमिनम पहुँच पाइक लाग भङ्खन भोग्तिरहलक थारू समुदायके २७ जन्हनसे जनही अन्तर्वार्ता लिहल रलह । ओसहक हुँकनसे ११ ठो लक्षित समूह छलफल -एफजिडि) हुँकनसे ५० जहनसे डेउर कृषक ओ समुदायक अभियन्तनसे परामर्श फे कर्ल रलह । याकरसंग केन्द्रीय, प्रादेशिक ओ स्थानीय तहके ३१ जन्ह सरकारी अधिकारी हुँकनसे परामर्श कैगिल रह ओ ४६ जन्ह भूमि अधिकारकर्मीन, अधिकार विज्ञन्, नागरिक समाजक प्रतिनिधिन्, पत्रकार, सांसद, जग्गाधनी, संयुक्त राष्ट्रसंघ ओ और राष्ट्रिय संगठनके प्रतिनिधिनसे परामर्श कैगिल रह ।

याकर अलावा किसान ओ अधिकारकर्मीनसे पागिलक डेउरसे डेउर गन्तीके सुहावन सामा ( जस्त : जग्गाधनी प्रमाणपत्र, कार्यकारी/प्रशासनिक निर्णय ओ अदालतक निर्णय) विश्लेषण फे कैगिल रह ।

सरकारसे कैगिलक संरक्षणसम्बन्धी कर खोजलक सन्दर्भम नेपाली सेना ओ राष्ट्रिय निकुञ्जके अधिकारसे हुइलक आदिवासी जनजाति समुदाय ओ स्थानीय बासिन्दाके मानवअधिकार उल्लङ्घनहन एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल अनुगमन कर्ती बा । आपन बैस्लक ठाउँसे निक्रावा पैलक आदिवासी चेपाङके संग नगरपालिका ओ राष्ट्रिय निकुञ्जके अधिकारीनसे एम्नेस्टी २०७७ साल साउनम अन्तर्वार्ता लिहल रह । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जम छिलक आरोपम सेना चेपाङ समुदायक मनैन गिरफ्तार कैके निमजा बेभार कर्ती यातना डेलक कना समाचारनके बारेम हुइलक अनुसन्धानसम्बन्धी सूचना नेपाली सेना ओ नेपाल प्रहरीसे खेर्ना काम फे हुइल रह ।

कोभिड-१९ महामारी ओ २०७६ चैत ११ ठेस सरकारसे कर्लक लकडाउनके कारण पछुवक ब्यालम कैगिलक अनुसन्धानन् जुन फिल्ड भ्रमण से फे डेस्क अनुसन्धान ओ फोन या और इन्टरनेट प्रविधिके माध्यमसे कैगिलक अन्तर्वार्ताम आधारित रहल बा ।

## २.१ अनुसन्धानसे समर्थन कर्ना काम

सिपिएआर अनुसन्धानके एकठो अंशके रूपम अनुभवजन्य प्रमाणहन वेल्सटी एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल, न्याय ओसहँक अधिकार संस्था नेपाल (जुरी-नेपाल), आत्मनिर्भर केन्द्र ओ राष्ट्रिय भूमिअधिकार मञ्चसे मिति २०७६ असार १० गते भूमि व्यवस्था, सहकारी और गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालहन एकठो पोष्टा बुझैटी बर्दिया जिल्लाक थारूनक भोगलक मानवअधिकार उल्लङ्घनके सम्बोधन करक लाग ओ गेरूवा लड्या डगर फेर्लकओरसे बर्दिया निकुञ्जभिटर पर गैलक जिमिनम सम्बन्धित जग्गाधनीन बिना रोक्वा पुगसेक्ना (जाय पैना) अर्जी कैगिल रह ।

उह ब्यालम एक प्रतिनिधिमण्डलसे राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग (आयोग) क सदस्य प्रकाश बस्तीहन भ्याँट कैके ज्ञापन पत्र बुझागिल रह । जिहिम आयोगहन बर्दिया राष्ट्रिय आँजरपाँजरके अवस्थाके बारेमा अनुगमन ओ अनुसन्धान कैके प्रभावित थारू किसाननके जिमिन उपरके पहुँचक सवालम सरकारहन सुहावन सिफारिस करकलाग अर्जी कैगिल रह । सरकारसे नेपालक संविधान २०७२ से प्रत्याभूत कैगिलक आर्थिक, सामाजिक ओ सांस्कृतिक अधिकारहन बेभारमा लगाइक लाग संसद्म लौव कानुनन दर्ता करभिरलठेसे एम्नेस्टी इन्टरनेसनलसे साभेदारनसे लग्गक परामर्शम आधारित होख टिनठो छुट्ट छुट्ट विस्तृत कानुनी विश्लेषण लेख ब्रिफिड छफाराखल । यी टिनठो ब्रिफिडनम 'नेपालम खाद्य अधिकार : बैस्नाके अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७५ के विश्लेषण' (अप्रिल २०१९),<sup>३</sup> सक्कुन्हक लाग पुगल बैस्ना अधिकार : बैस्ना अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७५ क विश्लेषण (जुन २०१९),<sup>४</sup> भूमिहीन

<sup>३</sup> एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल: टु एन्ड हङ्गर स्ट्रेन्डेन राइट टु फुड ल, ४ अप्रिल २०१९,

[www.amnesty.org/en/latest/news/2019/04/nepal-to-end-hunger-strengthen-and-implement-right-to-food-law/](http://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/04/nepal-to-end-hunger-strengthen-and-implement-right-to-food-law/)

<sup>४</sup> एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, नेपाल : सबैका लागि पर्याप्त आवास: आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐनको विश्लेषण, (Index: ASA 31/0496/2019), ११ जुन २०१९

किसानक लाग भूमि : भूमि ऐन २०२१ एपरक टिप्पणी ओसहक सुभावा (अक्टोबर २०१९)<sup>५</sup> बा ।

यो संयुक्त अनुसन्धान कार्यसे जबर्जस्ती निक्कावा पैना सवालम सन् २०२० क जुलाईम सर्वोच्च अदालतम एकठो सार्वजनिक सरोकारके मुद्दा दायर कर फे सखा राखल ।<sup>६</sup> भविष्यम हुइना निक्कावा पैनाके सटाहा यी मुद्दासे न्यायिक हस्तक्षेप ह्वाए कना लक्ष्य लिहल संग चितवन जिल्लाके माडीके चेपाङलगायतक आदिवासी जनजातिनके विरुद्ध हुइलक जबर्जस्ती निक्कावा पैना घटनाके उपचार पाइकलाग कर्ना लक्ष्य लिहल बा ।<sup>७</sup> यी लिखित रहल ब्याला अदालतके निर्णयहन अस्या लगलग ब्याला बा ।

यी प्रतिवेदनहन २०७८ साउन २० गतेसमके बाटन सर्वके अद्ययावधिक कैगल बा ।

---

<sup>५</sup> एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, आत्मनिर्भर केन्द्र ओ जुरी-नेपाल, नेपाल:भूमिहीन किसाननके लाग जमिन:भूमि ऐन २०२१ के फेरबडल उपरके टिप्पणी ओ सुझावहरू, (Index: ASA 31/1221/2019),

[www.amnesty.org/download/Documents/ASA3112212019ENGLISH.pdf](http://www.amnesty.org/download/Documents/ASA3112212019ENGLISH.pdf)

<sup>६</sup> राजुप्रसाद चापागाईंसमेत विरुद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसमेत, रिट निवेदन नं. २०७७-WO-००३८

<sup>७</sup> काठमान्डु पोष्ट, रिट फाइल्ड एट सुप्रीम कोर्ट सिक्किङ इट्स इन्टरभेन्सन टु स्टेप फोर्सिफुल इभिक्सन्ज् अफ पिपल फ्रम डिफरेन्ट प्लेसेज्, २७ जुलाई २०२०, [kathmandupost.com/national/2020/07/27/writ-filed-at-supreme-court-seeking-its-intervention-to-stop-forceful-evictions-of-people-from-different-places](http://kathmandupost.com/national/2020/07/27/writ-filed-at-supreme-court-seeking-its-intervention-to-stop-forceful-evictions-of-people-from-different-places)

# ३. पृष्ठभूमि

## ३.१ ऐतिहासिक सन्दर्भ

नेपालके दखिनओर रहलक समथर तराई क्षेत्र मुलुकके १७ प्रतिशत भूभाग सहेर्ल बा लेकिन यी क्षेत्रम देशके ५० प्रतिशत जनसंख्याके बसोबास रहल बा ।<sup>१८</sup> थारू, चेपाङ, सोनाहा अस ढेउर आदिवासी जनजाति समूहन<sup>१९</sup> नेपाल राज्य स्थापना हुइसे पहिलहे जो तराईके गभिन बन्वा ओ आँजरपाँजर बैस्टि आइल रलह । परम्परागत रूपम हुँक शिकार कैके, मच्छी मारके, खेतीपाती कैक ओ जंगली सागसब्जी ओ विर्वीबिर्वाके बनस्पती खेरखारके बैस्टि आइल बट ।

एकजन्ह बरी सम्मानित विज्ञ महेश रेग्मीके अनसार वि.सं. १७८९ (सन् १७८९) म नेपालके एकीकरणके पाछ सूख हुइलक जग्गाके भोगचलन परम्परा ओ कर प्रणालीसे यी समुदायम कर्रा प्रभाव पर्लन् । कुलिन शाह ओ राणा शासकनसे निरन्तर आपन नाउम ओ नाटपाटन और सखउइयनक नाउम बरा बरा जिमिनक हिस्सा बाँटल । असिक बाँटगैलक करमुक्त ओ सन्तान दर सन्तानम हस्तान्तरण हुइना असिन भूमिहन् बिर्ता कैजाए । उदाहरणके लाग राणा शासनके स्थापना (सन् १८४६-१९५१) करुइया जंगबहादुर राणासे अखिसिक बर्दिया, कैलाली ओ कञ्चनपुर जिलक बरा हिस्सा जिमिन बिर्ता स्वरूप डेरखलह । यी जिल्ला पश्चिम तराईम थारू आदिवासी जनजातिनके केन्द्रस्थलके रूपम रहल बा ।<sup>२०</sup> तलवके सटाहा सरकारी अधिकारी ओ सेनाके कर्मचारीन जिमिन डेना डोसुर परम्पराहन जागिर कैजाए ।<sup>२१</sup> बन्वा ओ चहन्न क्षेत्र लगायत आदिवासी समूहनके परम्परागत भूभाग आस्ते-आस्ते राजधानी काठमाडौंम बैस्ना अनुपस्थित जिम्डारनके सम्पत्ति बनगैल । चितवन ओ बर्दियाके बन्वा सम्भ्रान्त शासकवर्गनके कोल्काही शिकार खेलना ठाउँ बन पुगल ।<sup>२२</sup>

<sup>१८</sup> राष्ट्रिय जनसङ्ख्या ओ आवास जनगणना २०११, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग, राष्ट्रिय योजना आयोग सचिवालय, नेपाल सरकार ।

<sup>१९</sup> नेपालम ५९ ठो राष्ट्रिय तहम कानुनी मान्यता प्राप्त जनजाति बट । जिहिन आदिवासी जनजाति फे कैजैठा । हुँक हाराहारी नेपालके जनसङ्ख्याके ३६ प्रतिशत अगोर्ल बट ।

<sup>२०</sup> महेश चन्द्र रेग्मी । १९७८ । *थ्याचड हट्स एण्ड स्टुक्को प्यालेसेज्: पिजान्ट्स एण्ड ल्याण्डलडर्स इन नाइन्टिन्थ सेन्चुरी नेपाल*, विकास पब्लिसिड हाउस प्रा.लि, नया दिल्ली ।

<sup>२१</sup> महेश चन्द्र रेग्मी । १९७८ । *थ्याचड हट्स एण्ड स्टुक्को प्यालेसेज्* ।

<sup>२२</sup> निना भट्ट, "किङ्गज् याज वार्डेन्ज् एण्ड वार्डेन्ज् याज किङ्गज्: पोष्ट राणा टाइज् बिटुइन नेपाली रोयल्टी याण्ड न्यासनल पार्क स्टाफ", *कन्जर्भेसन एण्ड सोसाइटी*, २००३, भोल्याम १, नं. २, पृष्ठ २४७-२६८ ।



प्राज्ञिक अनुसन्धानसे राज्यसे लडलक (लादिएका) भङ्खनहा कर व्यवस्थासे कसिक आदिवासी समूहनके जिमिनसे हुँकहन बेदखलीकरण कर्नाम आकुर योगदान पुगाइल कना डेखैल बा । बाली ओ पारिश्रमिकरहित श्रमके रूपम कर बुभाइ परन ओ बिचौलियन असिन कर खेर्ना काम करट । जे जन्टनसे जिमिन अछिनके, मनलग्गी कर भराके ओ बरी कर्ना ब्याज दरम ऋण डेख सर्वसाधारण शोषण कर्ल ।<sup>१३</sup> असिन करके भङ्खनहन छलक लाग ठेउर थारू आपन जिमिन दर्ता नई कर्ना डगर रोज्ल ओ फलस्वरूप हुँकनसे जिमिनके स्वामित्वसम्बन्धी कौनो कगजी दस्तावेज निरलहन ।<sup>१४</sup> याकर अलावा अधिकारिन जग्गाधनी प्रमाणपत्र नई रहलक परिणामक बारेम जनाए नई सेक्ल रहल ।

२००७ सालम राणा शासनके पाछ फे आदिवासीनके जिमिन ओ जीविका हेरैना क्रम जारी रहल । उ ब्यालासम तराईम बाहिरियाहुँक लम्मा ब्यालासम विल्कुल बैस्ना करट । काजे कि उहाँक गभिन बन्वा रलकओसे मलेरिया (कालाजार)के जोखिम रह लेकिन आदिवासी समूहनठे प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास कैस्याकलओसे हुँकहन ओसिन भङ्खन निरलहन । २००७ साल ओ २०२७ सालके बीचम उ ब्यालमके पञ्चायत सरकार विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के सहयोगम तराईम बर्काभारी मलेरिया उन्मुलन अभियान चलाइल ओ यी क्षेत्रम पहाडसे आप्रवासन कैके हुँकहन बसोवास कराइ भिरल । यी पुनर्वास कार्यक्रमसे तराईक सामाजिक बनोटम कर्नाक फेरबदल लानल । ठेउरअस थारू आपन जिमिन दर्ता निकर्लकओसे हुँकनठे जग्गाधनी प्रमाणपत्र निरलहन ओ उहमार हुँकहन बरा घाटा पुगलन । टनिक ठेउर शिक्षित पहाडी आप्रवासीन कसिक शासन प्रणालीम खेल्ना कैके जन्ल ओ परम्परागत रूपम थारू ओ और आदिवासी समूहनके स्वामित्वम रहलक उहाँक जिमिन अप्पने अगोर्ल । असिक जिमिनके मालिक बन पुगुइयनक लाग थारू मोही बन पुगल । ठेउर ट ऋणम बुर्लकओसे कमैया या बँहवा मजदुर बनही पर्लन् । २०४७ समम पश्चिउँहा तराईके दशौँ हजार थारू पय्यारन भूमिहीन रहल ओ कमैयाके रूपमा काम कर्टरलह ।<sup>१५</sup>

## ३.२ राष्ट्रिय निकुञ्जके शासन व्यवस्था

आदिवासी समुदायनक जिमिन ओ प्राकृतिक स्रोत उपरक पहुँचम सन् १९७० के दशकम सुरू हुइलक संरक्षण कार्यसे और स्खलन ह्वाय पुगल । राष्ट्रिय निकुञ्ज ओसहक वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ (निकुञ्ज ऐन) कार्यान्वयन हुइटिकी सन् १९७३ म चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज बनागिल रह । निकुञ्ज निर्माण करक लाग बरा संख्यम थारूहुँकन बल लगाके उहाँसे और ठाउँ लैजागिल रह ओ बन्वा रोकवा करक लाग सेना खटागिल रह ।<sup>१६</sup> सन् १९८२ म बर्दियाके शाही शिकार आरक्षहन वन्यजन्तु आरक्षके रूपम पुनःवर्गीकरण कैगिल

<sup>१३</sup> महेश चन्द्र रेग्मी, ल्याण्ड ओनरसिप इन नेपाल, १९७६, पृष्ठ ११८ ।

<sup>१४</sup> अर्जुन गुणरत्ने, द ट्याक्स म्यान कमेथ । दि इम्प्याक्ट अफ रेभिन्डु कलेक्सन अन सब्सिस्टेन्स स्ट्राटिजिज इन चितवन थारू सोसाइटी, स्टडिज इन नेपाली हिस्ट्री एण्ड सोसाइटी, १९९६, १(१), पृष्ठ ५-३५ ।

<sup>१५</sup> जगन्नाथ अधिकारी एण्ड हरी दुङ्गाना । २०१० । "द स्टेट एण्ड फोरेस्ट रिसोर्सेज: एन हिस्टोरिकल अन्यालिसिस अफ पोलिसिज अफेक्टिङ्ग म्यानेजमेन्ट इन दी नेपलिज् तराई, २९ (१)

<sup>१६</sup> म्याकलिन, जोआन, कन्जर्भेसन एण्ड दी इम्प्याक्ट अफ रिलोकेसन अन दी थारूज् अफ चितवन, नेपाल, हिमालय, १९९९, भोल्जुम १९, नं.२

रह ओ बबई उपत्यका समेत लेनागरी ओहिहन चौखट कैगिल रह । परिणाम स्वरूप अन्दाजी ९,६०० मनैन यी ठाउँमनसे सन् १९८४ म ठौंसारी (स्थानान्तरण) कैगिलरह । सन् १९८८ म यिहीहन राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा कैगिल रह ।<sup>१७</sup> अखिस संरक्षित क्षेत्र नेपालक टनिकक एकचौथाइ भूभाग अगोर्ल बा ।<sup>१८</sup> यिहिम १२ ठो राष्ट्रिय निकुञ्जन्, एकठो वन्यजन्तु आरक्ष, एकठो शिकार आरक्ष, छठो संरक्षित क्षेत्रनके संग १३ ठो मध्यवर्ती क्षेत्र फेन रहल बट ।<sup>१९</sup> 'स्थानीय जनतालाई निरन्तर रूपमा फाइदाजनक हिसाबमा वन पैदावारको प्रयोगको लागि सुविधा प्रदान गर्न' के लाग राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन अनसार टोक्लक "राष्ट्रिय निकुञ्ज या आरक्षके आँजरपाँजरके क्षेत्रहन मध्यवर्ती कना बुभुजाइट ।<sup>२०</sup> सड्डअस सक्कु संरक्षित क्षेत्रन आदिवासी जनजातिनके पुख्यौली ठाँटथलोम रहल बा ।<sup>२१</sup> यी संरक्षित क्षेत्रन हुँकन्हक व्यवस्थापन प्रणालीअनसार मेहिक-मेरिहक बाट ।<sup>२२</sup>

निकुञ्ज ऐन, २०२९ संरक्षित क्षेत्रनके व्यवस्थापन कर्ना मूल कानूनके रूपम रहल बा । यी कानून शिकार गर, चरिचरण कर, रुखा काट, कृषि फर्म कर या काठीपट्या कर रोक्वा लगैला बा ओ राष्ट्रिय निकुञ्ज या आरक्ष क्षेत्रम सक्कु खालक निर्माणहन रोक्वा कर्ल बा । बन्वम काठीपट्या कर्नाम कैगिल रोक्वा तराईनके निकुञ्ज ओ आरक्षनम विशेष कैख कर्क बा जाहाँ बरी महँड मूल्यक बन्वा वन पैदावार ओ मङ्गली बाघ, एकसिड्ड्या गैरा ओ एसियाली हाँठीअस 'मुख्य प्रजातिन' रहल बट ।<sup>२३</sup>

संरक्षित क्षेत्रनके सक्कुओरिक व्यवस्थापनके लाग राष्ट्रिय निकुञ्ज ओ वन्यजन्तु संरक्षण विभाग -विभाग) जिम्मेवार रहल बा । प्रत्येक संरक्षित क्षेत्रम रहलक विभागक कार्यालयम प्रमुखके रूपम एकजन्ह प्रमुख संरक्षण अधिकृत<sup>२४</sup> रठ । यी सरकारी अधिकृतहन विना पुर्जी मनैन गिरफ्तार कैके हिरासतम ढर्ना अधिकार रठस ।<sup>२५</sup> टनिकक ६,७७८ नेपाली सेनाक

<sup>१७</sup> सुदिप जना थिड, रोय जोन्स र क्रिस्टिना बर्डसल जोन्ज, "द पोलिटिक्स अफ कन्जर्भेसन: सोनाह, रिभरस्केप इन दी बर्दिया न्यासनल पार्क एण्ड बफर जोन, नेपाल", *कन्जर्भेसन एण्ड सोसाइटी*, २०१७, १५(३), पृष्ठ २९२-३०३, <http://www.conservationandsociety.org/article.asp?issn=0972-4923;year=2017;volume=15;issue=3;spage=292;epage=303;aulast=Thing>

<sup>१८</sup> आइयुसिएनके परिभाषाअनसार, "पर्यावरणीय सेवा ओ सांस्कृतिक मान्यतासे जोरगेलक प्रकृतिके दीर्घकालीन संरक्षण हाँसिल कर्ना उद्देश्यक लाग कानुनी या और कौनो प्रभावकारी माध्यमसे मान्यता डेना, अलगैना ओ व्यवस्थापन कर्ना गरी पक्कासे परिभाषित भौगोलिक ठाउँहन संरक्षित क्षेत्र कैजाइट ।" आकु और जानकारीके लाग हेरी : [iucn.org/theme/protected-areas/about](http://iucn.org/theme/protected-areas/about)

<sup>१९</sup> राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, [dnpwc.gov.np/en/](http://dnpwc.gov.np/en/)

<sup>२०</sup> राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन, दफा २(ड२), [www.lawcommission.gov.np/en/archives/13505](http://www.lawcommission.gov.np/en/archives/13505)

<sup>२१</sup> स्टान स्टिभेन्ज, निमा पाठक ब्रुम र टिलम्यान जेगर, "रिकग्नाइजिड एण्ड रेस्पेक्टिड आइसिसिएज ओभरल्याण्ड बाई प्रोटेक्टेड एरियाज", २०१६ ओ आइसिसिए कन्सोर्टियमके लाग प्रतिवेदन, यिहाँ उपलब्ध बा : [iccaconsortium.org](http://iccaconsortium.org)

<sup>२२</sup> सुदिप जना ओ नय शर्मा पौडेल, "रिडिस्कभरीड इन्डिजिनस पिपल्ज एण्ड कम्युनिटी कन्जर्भर्ड एरियाज (ICCAs) इन नेपाल", फोरेस्ट याक्सन नेपाल, २०१०

<sup>२३</sup> स्टान स्टिभेन्ज, "न्यासनल पार्क्स एण्ड आइसिसिएज इन दी हाइ हिमालयन रिजन अफ नेपाल: च्यालेन्जेज एण्ड अपरच्युनिटिज, *कन्जर्भेसन एण्ड सोसाइटी*, २०१३, भोल्युम ११, इस्यु १, पृष्ठ २९-४५, [www.conservationandsociety.org/text.asp?2013/11/1/29/110946](http://www.conservationandsociety.org/text.asp?2013/11/1/29/110946)

<sup>२४</sup> चिफ वार्डेन या चिफ कन्जर्भेसन अफिसर फे कजैना ।

<sup>२५</sup> सन् २०१७ सम्म राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन संरक्षण अधिकृतहन घटनाम फैसला करकटे लगकन १५ वर्षसम्म जेल सजाय डेना अधिकार डेगैल रह ।

सुरक्षाकर्मिन् देशभरक १३ ठो संरक्षित क्षेत्रम सुरक्षा कर्ल बट ।<sup>२६</sup> संरक्षित क्षेत्रक आँजरपाँजर बैस्ना सैयौँ समुदायनम आँख ढर्लरना ओ कानुन कार्यान्यन कराइक लाग चौखट अधिकार हुँकनठे रठन । लेकिन कानुनसे हुँकन्हक खास अधिकार क्षेत्रहन परिभाषित निकैगिल हुइटन । नेपालक संविधान नेपाल सरकारहन “नेपाली सेनाहन संघीय कानुन बमोजिम विकास, निर्माण ओ विपद व्यवस्थापनलगायतक और कामम फेन परिचालन कर्ना” अधिकार डेराखल ।<sup>२७</sup> राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनन एकठो संघीय कानुन रहलसे फे यिहिम नेपाली सेना ओ राष्ट्रिय निकुञ्जके सुरक्षम वाकर जिम्मेवारीके बारेम उल्लेख निकैगिल हो । बेन यी ऐनसे नेपाल सरकारहन “आवश्यक व्यवस्था कर्ना” आपन बुद्धि बेल्सना अधिकार डेराखल ।<sup>२८</sup> सैनिक ऐन, २०६३ म फे राष्ट्रिय निकुञ्जके सुरक्षम नेपाली सेना जिम्मेवारीके बारेम कौनो व्यवस्था निकैगिल हो ।

चिनवनके मध्यवर्ती क्षेत्रम कैगिलक एकठो हालसालक अध्ययनसे भर संरक्षणम नेपाली सेनाके भूमिका बर्हतिरलक ओ राष्ट्रिय निकुञ्जके सैनिकीकरण टनिक डेउर रहलक पागिरहल ।<sup>२९</sup> नेपाल सरकारसे अनुमोदन कैगिलक एकठो “विशेष कार्यविधि” अनसार राष्ट्रिय निकुञ्जके सुरक्षाकर्मिनसँग प्राथमिक गस्ती कर्ना कामम केल्ह नेपाली सेनाके जिम्मेवारी सीमित रहलक बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जके प्रमुख (अग्वा) संरक्षण अधिकृत विष्णुप्रसाद श्रेष्ठसे एम्नेस्टी इन्टरनेसनलसे कल ।<sup>३०</sup> यदि नेपाली सेनाक सुरक्षाकर्मीसे राष्ट्रिय निकुञ्जसम्बन्धी कानुन उल्लङ्घनके घटना फ्याला पर्लसे ओसिन उल्लङ्घन करुइयहन पकरके भट्टहै राष्ट्रिय निकुञ्जके अधिकारीहुँकन बुझैना हुँकन्हक कर्तव्य रहल रठन ।

सेनाके सुरक्षाकर्मिन हतियार बेल्सना अधिकार फे डेरखलन । राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन के दफा २४(२) से “अख्तियार पैलक अधिकारी”हन वन्यजन्तुसम्बन्धी कसुर कैगिलक लगघक किहुँहन गोली मर्ना अधिकार डेल बा ओ असिख “गोली चलाइबेर कसुरदार या ओहिन सखडइया मुअ गैलसे बाट निलगने हो” कैके व्यवस्था कैगिल बा । यी व्यवस्थासे संविधानसे प्रत्याभूत कैगिलक जीवनके अधिकारहन उल्लङ्घन कर्ल बा ।

सम्बन्धित राष्ट्रिय निकुञ्जके अधिकारी सक्कु कानुनी प्रक्रियनके जिम्मेवारी लेना व्यवस्था बा । जब कि नेपाल प्रहरीके भूमिका फैजदारी अनुसन्धान कर्ना रहल बा । सेना बोहक राष्ट्रिय निकुञ्जके सुरक्षा व्यवस्था करक लाग और कौनो फे सशस्त्र सुरक्षा गार्डके व्यवस्था निकैगिल हो ।<sup>३१</sup>

<sup>२६</sup> नेपाली सेनाके वेबसाइट, नेपाली आर्मी वियोन्ड प्राइमरी ड्युटिज, nepalarmy.mil.np/page/bpd. सन् २०१४ के तुलनाम सेनाके यी पूरा सङ्ख्याके डान्छे कम हो जौन ब्याला “७,६२७ सेनाके सुरक्षाकर्मिन १० राष्ट्रिय निकुञ्ज, ३ संरक्षित क्षेत्र ओ ६ ठो संरक्षित बन्क १३८ नाकामन परिचालित रलह।” हेरी nepalarmy.mil.np/viewnews/143

<sup>२७</sup> धारा २६७ (४)

<sup>२८</sup> दफा ३ ख (१)

<sup>२९</sup> योगेश डङ्गोल, रोडेरिक पि. निउम्यान, “स्टेट मेकिङ् थु कन्जर्भेसन: द केस अफ पोस्ट कन्फ्लिक्ट नेपाल”, *पोलिटिकल जियोग्राफि*, मार्च २०२१, भोल्युम ८५, पृष्ठ १०२३२७, www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0962629820303905

<sup>३०</sup> १३ अक्टोबर २०२० (२०७७ कुवौर २७) म हुइलक बाटचीट

<sup>३१</sup> २०७७ कुवौर २७ म हुइलक बाटचीट

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज ओ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज नेपालक प्रमुख संरक्षित क्षेत्रनमध्येके डुठो हुइत । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज युनेस्कोके एकठो विश्व सम्पदा क्षेत्र हो ओ नेपालक सक्कुनसे ठेउर राजश्व आर्जन कर्ना संरक्षित क्षेत्र हो ।<sup>32</sup> यी निकुञ्जके मध्यवर्ती क्षेत्रम लगभग २,६०,३५२ मनैनके बसोबास बा । जिहिम ठेउरजसिन थारू बट ।<sup>33</sup> चेपाङ, बोटे, कुमाल ओ मुसहर अस और आदिवासी समूहन फे यी क्षेत्रम बैसठ । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज तराईके सक्कुनसे बरा संरक्षित क्षेत्र हो ओ याकर मध्यवर्ती क्षेत्रके जनसंख्या १,१४,२०१<sup>34</sup> बाट । थारूके अलावा सोनाहा, राजी ओ कुमालअस छुटी आदिवासी समूहन यी निकुञ्जक मध्यवर्ती क्षेत्रम बैसल बट ।

### ३.३ मध्यवर्ती क्षेत्रके व्यवस्थापन

स्थानीय जन्टनके लजरसे मध्यवर्ती क्षेत्रसम्बन्धी नीति जवर्जस्तीयुक्त रहल बा । काजेकि यी संरक्षण अधिकृतके क्षेत्राधिकार निकुञ्जक बाहारसम चौखट बा ।<sup>35</sup> मध्यवर्ती क्षेत्रसम्बन्धी नियमावलीसे जनतन बन्वम पट्याकाठी कर्नाम सीमित बेल्साइके अधिकार डेल बा । हर मध्यवर्ती क्षेत्रम एकठो निर्वाचित मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति रठा । उह फे, अन्तिम निर्णायक अधिकारी भर संरक्षण अधिकृत जो रना कर्ठ । ज्याकरठे समितिके निर्णय उल्टैना ओ समितिहन जो फुटाइसेक्ना समके अधिकार रठस ।<sup>36</sup>

निकुञ्ज ऐनसे किनुञ्जके ३० ठेस ५० प्रतिशत आय मध्यवर्ती क्षेत्रके विकास ओ संरक्षण गतिविधिनके लाग विनियोजन कर्ना व्यवस्था कैराखल । लेकिन, अध्ययनसे असिन गतिविधिन आदिवासी जनजातिनके प्राथमिकताहन विरर सम्बोधन कैगिलक डेखाराखल ।<sup>37</sup> तराईके राष्ट्रिय निकुञ्जनकमध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिम निकुञ्जके कानुन ओ नियमावलीनसे सबसे ठेउर प्रभावित आदिवासी समूहन ओ जन्निनके अगुवाइके अभाव रहल बा ।<sup>38</sup> आपन पर्यावरण ओ स्रोतनके पाछसमकेलाग व्यवस्थापनके बारेम गभिन ज्ञान रलसे फे आदिवासी जनजाति समुदायहन संरक्षणसम्बन्धी नीतिन तय कर्ना अवसर निडेगिल हो ।<sup>39</sup>

<sup>32</sup> मुखाम्र, संरक्षित क्षेत्रम ५८ प्रतिशत राजश्व बर्हलक जानकारी २०७४ फागुन ३ [hakahakionline.com/en/804/protected-areas-report-58-percent-surge-in-revenue/](http://hakahakionline.com/en/804/protected-areas-report-58-percent-surge-in-revenue/)

<sup>33</sup> चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन योजना, २०१३-२०१७

<sup>34</sup> बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन योजना, २०१६-२०२०

<sup>35</sup> जोम टि हेइनन् ओ जय मेहता, इमर्जिड इस्युजे एण्ड प्रोसिज्युरल आस्पेक्ट्स अफ बफर जोन म्यानेजमेन्ट उइद केस स्टडिज फ्रम नेपाल, जर्नल अफ इन्भाएरन्मेन्ट एण्ड डिभलपमेन्ट, मार्च २०००, भोल्युम ९, पृष्ठ ४५-६७ ।

<sup>36</sup> हेरी मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५३ के दफा १३ ओ १४

<sup>37</sup> ठाकुर सिलवालसमेत, "रेभिन्डु डिस्ट्रिब्युसन प्याटर्न एण्ड पार्क पिपल कन्फ्लिक्ट इन चितवन नेसनल पार्क, नेपाल", *बन्वक जानकारी*, मई २०१३

<sup>38</sup> संगिता थापा, "उइमिन एण्ड उइज: रिक्लेमिड इक्वालिटी इन रिसोर्स गभनेन्स", जर्नल अफ फोरेस्ट एण्ड लाइभ्लिहुड, अगस्ट २०१६, भोल्युम १४ (१), पृष्ठ २८-४०

<sup>39</sup> रमेश कुमार सुनाम, दिपक विश्वकर्मा ओ कुमार बहादुर दर्जी, कन्जर्भेसन पोलिसि मेकिङ्ग इन नेपाल: प्रोब्लमटाइजिङ्ग दी पोलिटिक्स अफ सिमिक रिजिस्टेन्स, *कन्जर्भेसन एण्ड सोसाइटी*, २०१५, अङ्क १३, इस्यु २, पृष्ठ १७९-१८८

राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनके दफा ५ से निम्न गतिविधि करबेर गैरकानुनी हुइना व्यवस्था बा:

- घरपालुवा जीवजन्तु या पंक्षी चढैना या पानी पियैना,
- वन्यजन्तुके शिकार कर्ना,
- जौनो फे पदार्थके घर, भोंफ्री, आश्रय या और मेढिक बनाए या भोग कर्ना,
- कौनो भूभाग कब्जा कर्ना, सफा कर्ना, आवादी कर्ना, खेती कर्ना या कौनो बाली उब्जैना या कट्ना,
- रुखा, टेल्वा, भिँभाँ-भङ्गटा या और कौनो प्रकारसे हानी नोक्सानी पुगैना या बन्वा पैदावार ओसारपसार कर्ना,
- खानी कोर्ना, पठ्ठर निक्रैना या कौनो खनिज पदार्थ, पठ्ठर, कड्डर, माटी या और अस्ट पदार्थ हटैना,
- हातहतियार खरखजाना या विख सँग लैजैना या बेल्सना,

मन्छी मर्ना, लालाबाला चढैना ओ बन्वा पैदावार खेर्नाम लगागिलक यी रोक्वासे आदिवासी जनजातिनके जीविका ओ सांस्कृतिक जीवन भङ्खनम बरल बटन । निकुञ्जके वन्यजन्तुनसे हुँकन्हक बालीनालीम सड्डअस आक्रमण कर्ना ओसहक हुकन्हक भोंफ्रीम बिगार पुगैना कर्ठ । किनुञ्जके सीमाना सरके हुँकन्हक जग्घहन निकुञ्ज भिट्टरजो पारगैल पाछ्ठे उरजन्ह आपन जिमिन उपरके पहुँचम पचुरल बट । और कठ्याकजन्ह जुन नेपाली सेना ओ राष्ट्रिय निकुञ्जके अधिकारिनसे हुइलक जबर्जस्ती निक्कावापैना, उत्पीडन, यौन दुर्व्यवहार, मनलगी हिरासत, यातना ओ और मेढिक दुर्व्यवहार ओसहक गैरकानुनी हत्याके घटनाके समना कर्ल बट ।<sup>४०</sup> यी प्रतिवेदनम दस्तावेजीकरण कैगिलक घटनन डेखाइलअस असिन मानवअधिकार उल्लङ्घनके घटनन अक्सर चितवन ओ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जम वर्तमानके ब्यालम फे कौनो फे समाधान ओ उपचारबिनक जारी पलि बा ।

याकर अतिरिक्त एकठो स्वतन्त्र विज्ञमण्डलीसे नोभेम्बर २०२० म प्रकाशित कैगिलक प्रतिवेदनसे प्रकृतिके लाग विश्व वन्यजन्तु कोष (WWF) आपन विद्यमान पद्धति उपर फेर लजर (पुनरावलोकन) पुगैना आवश्यक रहलक बाटुपर ओजरार कैराखल ।<sup>४१</sup> नेपाल ओ और देशके संरक्षण क्षेत्रम आरोप लगागैलक मानवअधिकार दुर्व्यवहारके सम्बन्धम डब्लुडब्लुएफसे नेपाल ओ और डेसम खडा कैगैलक एकठो स्वतन्त्र विज्ञमण्डलीसे “आदिवासीनके अधिकार ओ प्राकृतिक साधन उपरके पहुँचके सवालम संरक्षित क्षेत्रके रेञ्जर

<sup>४०</sup> जगन्नाथ अधिकारी ओ शरद घिमिरे (संपादित), *बातावरणीय न्याय:श्रोत सँगालो* । मार्टिन चौतारी, २००३, काठमाडौं, नेपाल

<sup>४१</sup> लाहुरिनिप ओ राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घ, नेपालको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा आदिवासी जनजातिहरूके मानवअधिकार उल्लङ्घन, फेब्रुअरी २०२०, यिहाँ उपलब्ध बा: [https://www.iwgia.org/images/publications/new-publications/2020/Violation\\_of\\_Indigenous\\_Peoples\\_Human\\_Rights\\_in\\_Chitwan\\_National\\_Park\\_of\\_Nepal.pdf](https://www.iwgia.org/images/publications/new-publications/2020/Violation_of_Indigenous_Peoples_Human_Rights_in_Chitwan_National_Park_of_Nepal.pdf) र २२ मे २०१८ मा प्रकाशित *मेन इन ग्रीन* गायत श्रद्धा घलेसे लिखगैलक लम्बे लेख, यिहाँ उपलब्ध बा:

<http://kathmandupost.ekantipur.com/news/2018-05-22/men-in-green.html>. डब्लुडब्लुएफका अलावा श्रद्धा घले जुलोजिकल सोसाइटी अफ लन्डन-नेपाल, प्राकृतिक श्रोत ओ प्रकृतिके संरक्षणके लाग अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ, युएसएआइडि ओ औरजन्ह फे एकठो मानवअधिकारम आधारित पद्धति नैऔल्यागैलक जनैल बट ।

ओ सेनाके संरक्षण इकाईलगायत सरकारविरूद्ध पर्लक उजुरीनके फेर लजर पुगैना ओ सुनुवाइके लाग एकठो स्वतन्त्र संयन्त्र” अवलम्बन करक लाग डब्लुडब्लुएफहन सिफारिस कैराखल।<sup>४२</sup> यी प्रतिवेदन आकुर का फे सिफारिस कैराखल कलसे डब्लुडब्लुएफ नेपालसे “सीमान्तकृत समुदाय ओ समूहनके मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन निकायनसे हुइलक बहिष्करणहन ओराइक लाग आवश्यक सुधारके पैरवी करपठा ओ वर्तमान संरक्षणसम्बन्धी कार्य ओ संयन्त्रनसे समुदायके सक्कन्हक प्रतिनिधित्व ओ हित कैगलक पक्कापक्की करक लाग स्याकटसम जोर करपठा”।<sup>४३</sup>

---

<sup>४२</sup> डब्लुडब्लुएफके संरक्षणसम्बन्धी कामके सन्दर्भके सवालम सञ्चार माध्यमम उठागैलक मानवअधिकार उल्लङ्घनके आरोपनके उपर स्वतन्त्र विज्ञमण्डलीके स्वतन्त्र पुनरावलोकनसम्बन्धी प्रतिवेदन, इम्बेडिङ्ग ह्युमन राइट्स् इन नेचर कन्जर्भेसन: फ्रम इन्टेन्ट टु याक्सन, नोभेम्बर २०२०, पृष्ठ १२१, यिहाँ बा:  
[https://www.fint.awsassets.panda.org/downloads/independent\\_review\\_\\_\\_independent\\_panel\\_of\\_experts\\_\\_\\_final\\_report\\_\\_24\\_nov\\_2020.pdf](https://www.fint.awsassets.panda.org/downloads/independent_review___independent_panel_of_experts___final_report__24_nov_2020.pdf)

<sup>४३</sup> स्वतन्त्र विज्ञ मण्डलीके प्रतिवेदन, पृष्ठ ११

# ४. भूमिमा आश्रित आदिवासी जनजातिविरुद्धके मानवअधिकार उल्लङ्घन

## ४.१ सङ्घर्ष जबरजस्ती निष्कावापैना डरम बैसपना अवस्था

एकठो बरा संख्यक आदिवासी जनजाति समुदायक मनैनहन राष्ट्रिय निकुञ्जना स्थापनाके ब्यालम जबरजस्ती निष्कावापैना कैगिल रह ।<sup>४४</sup> उह ब्यालमठेस ठेउरअस अव्यवस्थित आवासम बैसि आइल बट । मध्यवर्ती क्षेत्रम बैसिअलक कठ्याकजहन प्राकृतिक स्रोतके पहुँचम इन्कार कैगिल बा ओ हुँकन्हक परम्परागत काम जस्ट मच्छी मर्ना, लालाबाला चहैना, स्थानान्तरण खेती कर्ना, खानी खिट्खोर्ख स्वान उत्खनन् कर्ना अस्ट अभ्यास कर्नासे वञ्चित कैगिल बा । लगहारेक बाहारसे आपन जमिन कटान कैके राष्ट्रिय निकुञ्जके सीमानाभिद्वार कराडिहल पाछ, औरजन्ह आपन जमिनम जाय पाई निसकल हुइट ।

बर्दिया जिल्लाम पुस्तौठेस आपन स्वामित्वम रहलक, भोगचलन कर्लक या अपन खेती कर्लक जमिनम थारू किसानहुँकन पहुँच नैडेल हुइटन । वैकल्पिक आवास ओ भूमिके उचित प्रबन्ध नैकैगिलकओसे हुँक सार्वजनिक जमिनम अव्यवस्थित बैसुइयन बन पुगल बट । एम्नेस्टी इन्टरनेसनल ओ आत्मनिर्भर केन्द्रसे बर्दिया ओ चितनवनलगायतक जिलम राष्ट्रिय निकुञ्जके अधिकारिन कर्लक हालसाल्हक ठेउर जबरजस्ती निष्कावापैनाके घटना ओ जबरजस्ती निष्कावापैना जोर कर्नाके बारेम दस्तावेजीकरण कैरखल । नेपालके अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दायित्वके सँग हालसाल्ह लागू कैगिलक आवासके अधिकारसम्बन्धी ऐनअन्तर्गतके कानुनी

<sup>४४</sup> संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, मानवअधिकार परिषद्, १२ औं सत्र, २००९, आदिवासी जनजातिके मानवअधिकार ओ आधारभूत स्वतन्त्रताके अवस्थासम्बन्धी विशेष प्रतिवेदक जेम्स अनायाके प्रतिवेदन, UN Doc A/HRC/12/34/Add.3, p. 10-12, [undocs.org/A/HRC/12/34/Add.3%26Lang=E](http://undocs.org/A/HRC/12/34/Add.3%26Lang=E)

मापदण्डहन ढिउरजसिन बेवास्ता कैगिल बा १<sup>४५</sup> सन् २०२१ अप्रिलसम्मम यी ऐनके कार्यान्वयनके लाग कौनो नियमावली निबनागिल हो ।

## जबर्जस्ती निक्कावापैना कलक का हो ?

जबर्जस्ती निक्कावापैना कलक बिना कानुनी संरक्षण ओ और सुरक्षात्मक व्यवस्थनबिना मनैनसे बैस्टरलक घर या जिमिनसे हुँकन्हक मनकढूढ हटैना काम हो । संयुक्त राष्ट्र संघके अधिकार आयोगसे जबर्जस्ती निक्कावापैनाके कामसे मानवअधिकार, खास कैख बैस्ना अधिकारके कर्रा उल्लङघन हो कैख कल बा १<sup>४६</sup> राज्यसे बल बेलसख कर्ना जौनफे जबर्जस्ती निक्कैनाहन निक्कावापैना नैकजाइत । सुहावन प्रक्रिया (Due Process) अवलम्बन बिनाकल कैगिलक निक्कावा पैनाहन जाट्टिक जबर्जस्ती निक्कावापैना कैखे बुभजाइत । आर्थिक, सामाजिक ओ सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय अभिसन्धिके कार्यान्वयनक लाग स्थापित निकाय, आर्थिक, सामाजिक ओ सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार समितिसे जबर्जस्ती निक्कावापैनाहन “व्यक्ति, पन्जार या समुदायहन हुँक ओगलक या बैस्लक आवास या जिमिनसे सुहावन कानुन या और संरक्षणात्मकअसके व्यवस्था बिनाकल ओ ओहिम पुगसेक्ना गरी मनकढूढ विपरित स्थायी या अस्थायी रूपम हटाजिना काम” कैके परिभाषित कैराखल १<sup>४७</sup>

अन्तर्राष्ट्रीय मानवअधिकार कानुनअनसार निक्कावा पैनाके सक्कु और सम्भाव्य विकल्पनके अन्वेषण कैके सुहावन प्रक्रियागत संरक्षणात्मक उपायनके व्यवस्था कैस्याकल पाछ, स्याकटसम केल्ह जबर्जस्ती निक्कावापैना काम कर सेक्जिने बा ।

असिन सुरक्षात्मक उपायनम निम्न बाट पठा :

- प्रभावितहुँकनसे बिनभुठ्ठा ओ जाट्टिक परामर्शके लाग सुहावन अवसर,
- निक्कैनासे आघ प्रभावितहुँकन डेरसे डेर ओ सुहावन सूचना;
- निक्काइक लाग कैगिलक प्रस्तावित जिमिन कौन हो ओ ऊ जिमिन या आवासहन निक्कास्याकल पाछ का कामके लाग बेल्सना हो कैके जानकारी प्रभावित सक्कुजहन सुहावन ब्यालम उपलब्ध करैना;
- निक्कैना ब्यालम सरकारी अधिकारी या हुँकन्हक अगवा उपस्थित हुइपर्ना;
- निक्कावा पउइया सक्कुन सुहावनसे पहिचान कर्ना;
- प्रभावित समुदायसे स्वीकार कैगिलक ब्यला बाहेक खराब मौसमके ब्याला या राटिक ब्यालम निक्कैना काम नैकर्ना;
- कानुनी उपचारके व्यवस्था कर्ना;

<sup>४५</sup> आवासके ऐन २०७५, दफा ५ (४)

<sup>४६</sup> मानवअधिकार आयोग प्रस्ताव १९३३/७७, अनुच्छेद १

<sup>४७</sup> सामान्य टिप्पणी नं. ७, अनुच्छेद ३



- अदालतसे उपचारके खोजी कैके ढलकहन लागटपुगटसम कानुनी सहायताके व्यवस्था कर्ना ।

सरकारनसे निक्का पैनाके कारण केको फे मानवअधिकार उल्लङ्घन निहुइलक या किउ फे घरबारविहीन नैहुइलक पक्कापक्की कर पठा । निक्कायसे आघ जो प्रभावित हुउइयन लागलपुगटसम आवास ओ सक्कु बिगारके हर्जाना डिह पठा ।<sup>४८</sup>

### ४.१.१ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज (सिएनपी) के अधिकारिन २०७७ साउन ३ गतेक दिन चेपाङ आदिवासी जनजाति समुदायके १० घरप्यारन जबर्जस्ती हटैल । चेपाङ एकडम सीमान्तकृत आदिवासी समूहन हुइट । जे पुस्तौसे चितवनके बन्वम बैस्टि अइल बट । २०६८ सालक जनगणनाअनसार हुँकन्हक जनसंख्या ७० हजारके हाराहारी बटन । हुँक आधा डुल्वा मनैन हुइट । ज्याकर पहिला जीविकोपार्जनम शिकार कर्ना, खेर्ना ओ स्थानान्तरण खेती कर्ना अस पठन् । हुँकनमध्ये ढेउरजन्ह अखिस संरक्षणके सन्दर्भम यी अभ्यासहन कर्ल रना संघर्ष कर्तिबट ।<sup>४९</sup> ढेउरजसिन नेपाङन गरिब बिना जिमिनके बट ओ यहाँउहाँरसे लन्लख खैनापिनाम भर पठ ।<sup>५०</sup>

निकुञ्जके अधिकारन २०७७ साल साउन ३ गते चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जके मध्यवर्ती क्षेत्रभिट्टर माडी नगरपालिका वडा नं. ९ कुसुमखोलाके डुठो भौँफ्री जराडेलकसँग और आठठो भौँफ्रीन खट्टम पार्डेलक प्रभावित चेपाङ प्यारनसे एम्नेस्टी इन्टरनेसनल ओ आत्मनिर्भर केन्द्रहन कल ।<sup>५१</sup> मकवानपुर जिलम अइलक बाहार ओ माटी खस्कलकओसे ऊह प्यारन सन् २०१७ से विस्थापित होरखलह ओ उह ब्यालासे हुँक पुनर्वासम गैल रलह । बन्वम आश्रित हुइलकओसे हुँक चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जक आँजरपाँजर अनोपचारिक मेरसे बैठल रलह लेकिन निकुञ्जके सीमाके आँजरपाँजर भर नैबैठल रलह ।

सन् २०१७ म नगरपालिकासे तयार कैगिलक एकठो प्रतिवेदनके अनुसार यी क्षेत्रम अनोपचारिक मेहिक बैस्ना भूमिहीन मनैनके १६० घर लह । सन् २०१८ ओ २०१९ म नगरपालिकासे हुँकनमध्ये ढेउरजहन राईटोल डाँडा, कृष्णनगरके सामुदायिक बन्वभिट्टरके

<sup>४८</sup> जबर्जस्ती निष्कासनसम्बन्धी सामान्य टिप्पणी नं. ७, आर्थिक, सामाजिक ओ सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय समिति, अनुच्छेद १५ ओ १६

<sup>४९</sup> राई, एन.के., पिपल अफ दी स्टोन्ज्: दी चेपाङ्ज् अफ सेन्ट्रल नेपाल, १९८५, किर्तिपूर, सेन्टर फर नेपाल एण्ड एसिएन स्टडिज्, त्रिभुवन विश्वविद्यालय । यी फे हेरी : [ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/features/WCMS\\_083550/lang-en/index.htm](http://ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/features/WCMS_083550/lang-en/index.htm)

<sup>५०</sup> नेपाल सरकार, भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय । फेब्रुअरी २०२० । नागढुङ्गा-नौबिसे-मुगलिङ् (एनएमएम) अन्तर्गतके सरक ओ पुल, रणनीतिक सरक कनेक्टिभिटी ओ व्यापार सुधार परियोजना (एसआरिएसटिआइपि) के इन्डिजिनस पिपल डिभलपमेन्ट प्लान (आइपिडिपि) सम्बन्धी अन्तिम प्रतिवेदन

<sup>५१</sup> एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल २०७७ श्रावण ५ म पीडित चेपाङसे कर्लक फोन अन्तर्वार्ता

लौब जग्घम फेर बैसागिल रह । कुसुमखोलाके यी हल्लाल निक्कावा पउइया जम्म १० घरहन केल्ह फेर बैसैना पलिरलहन ।<sup>५२</sup>

निकुञ्जके अधिकारिन पहिल अपन खेती कर्लक जिमिनम साटठो हात्ती चह्वैटी ओ कोकिनक बाली क्षति पुगैटी आवासके लगघ अइलक एकजन्ह पीडितसे एम्नेस्टी इन्टरनेसनलसे बट्ठइल ।<sup>५३</sup> वाकर पाछ हुँक डुठो घरम आगि लगाडेल ओ हाठीनसे और घर भस्काक ध्वस्त कर लगैल । दश चेपाड पय्यारन आपन घर गुमैल ओ हुँकन्हक सामान, रूप्या ओ परिचयपत्र फेन नष्ट ह्वाय पुगलन ।<sup>५४</sup>

गंगामया चेपाड हिमालय टेलिभिजनहन कली :

**“हम्म हुँकन आब हम्म काहाँ जैना कैक पुछ्ली । हामाठे ओहर्ना बिछैना कुछु फे निरह । हुँक हम्मन स्कूल डेखाक ‘ऊ उँह जाक सुटा’ कल । हामाठे घल्ना भुल्वा फे निहो कैख कली । हम्म का खैना ? हामा सक्कु भाँराबर्तन फे आगिले नष्ट होराखल रह । हुँक ‘टुन्हक आँस हम्मन जिडेखाओ’ कल ।”<sup>५५</sup>**

विद्यालयम कुछु राट बिटाइल पाछ प्रभावित मनैन उह मध्यवर्ती क्षेत्रक वडा नं. ८ क लड्डेक लगघक क्षेत्रम गैरसरकारी संस्थानसे राहत स्वरूप डेगिलक पाल टाडक अस्थायी बैस्ना बनाख बैस्टरलह । हुँक कौना सरकारी सकारी निपैल रलह । न त हुँकन कौनो क्षतिपूर्ति जो डेगिल रलहन ।<sup>५६</sup>

निकुञ्जक अधिकारिनसे भर आवास भस्कैलक ओ आगि लगैलक जिम्म नैलिहल रलह । “निकुञ्जक डान्छे कर्मचारी ओ नेपाली सेनाक सुरक्षाकर्मिन ऊ आवास क्षेत्रमा गावँलेन ठाउँ खाली करकटे अर्जी कर गैलरलह । लेकिन हुँक स्थानीयनसे दावी बरअस भौँफ्रीम आगी निलगैल हुइट । महिन जनाइल अनसार कुछु भौँफ्री भस्कागिल रह ... कुसुमखोला ओ बाँदरभुलाके कुछु क्षेत्रके बस्तीन निकुञ्जके क्षेत्र अतिक्रमण कैके निर्माण कैगिल बा । हम्म ऊ क्षेत्रहन फेर निकुञ्जम लानक लाग पहल कर्तीबटी”, निकुञ्जके प्रमुख अधिकृत

<sup>५२</sup> काठमाण्डु पोष्ट, चितवन पार्क अथरिटी अक्युज्ड अफ बर्निङ्ग हट्स अफ ल्याण्डलेस स्ववाटर्ज इन माडी, २० जुलाई २०२०, <https://tkpo.st/3fQ9zgA>

<sup>५३</sup> दानबहादुर पुर्जासे एम्नेस्टी नेपालले २०७७ साउन ५ म कर्लक सञ्चार ।

<sup>५४</sup> हेरी : इन्सेकके प्रतिवेदन (नेपालीम केल्ह) यिहाँ उपलब्ध बा : <http://inseconline.org/np/wp-content/uploads/2020/10/Kusum-Khola-Fact-Finding-Report-2077-Kartik.pdf>

<sup>५५</sup> हिमालय टेलिभिजन कार्यक्रमनसे लेगैलक कहाइ, निकुञ्ज अधिकारीन घरम आगी लगाडिहल पाछ चेपाड पय्यारनके बिचल्ली, २०७७ साउन १०, <https://www.himalayatv.com/2020/07/25/6856/>

<sup>५६</sup> चितवन माडी नगरपालिका वडा नं ९ के अध्यक्ष शिवहरी सुवेदीसँगके बाटचीट, २७ कुँवार २०७७

नारायण रुपाखेली कल ।<sup>५७</sup>पीडितहुँकर भर अपन स्थानान्तरण मुइकलाग तयार रहलक ओ सुख्खा मौसमके आस्रम रहलक सञ्चार माध्यमहन कल ।<sup>५८</sup>

वडा नं. ९ के प्रमुख शिवहरि सुवेदी कल, “वडा कार्यलय ओ नगरपालिकासे स्थानान्तरणक लाग सुहावन ठाउँके खोजी कैरखल लेकिन याकर लाग ब्यला लगना....राष्ट्रिय निकुञ्जसे ....यी सुकुम्बासीलगायत स्थानीय समुदायन कोरोना महामारी ओ बर्खक ब्यालाम हुइना विपतसे बँचकलाग कन्कनार रहलक ब्यालाम एकहप्ट्या निक्कना सूचना डेना विकल्प रोजल ।”<sup>५९</sup>

चितवनक प्रमुख जिल्ला अधिकारी<sup>६०</sup> नारायणप्रसाद भट्टराई निकुञ्जके अधिकारिन स्थानीय सरकारके अधिकारीहुँकन जानकारी बिना करैल जो कारबाही कैगिलक बाट सञ्चार माध्यमसे पुष्टि कर्ल ।<sup>६१</sup>

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल ओ आत्मनिर्भर केन्द्रके बुभाइ का बा कलसे निक्कनासे एक अप्ता आघ मुहक सञ्चार केल्ह हुइल रह ओ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड ओ लौव आवासके अधिकारसम्बन्धी ऐन विपरित बा ।<sup>६२</sup> अनाधिकृत रुखवा कटानके संग राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रम घर ओ डगर बनैना योजनाके सवालम स्थानीय अधिकारीन ओ राष्ट्रिय निकुञ्जके अधिकारीनक माभ्रम रहलक भ्रगाके पृष्ठभूमिम यी जबर्जस्ती निक्कोइना हुइ पुगलक फे यी संस्थनके बुभाइ रहल बटन् ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल ओ आत्मनिर्भर केन्द्रके मूल्यांकनम यी एकठो जबर्जस्ती निक्कनाके पक्का उदाहरण हो । जौन और सम्भाव्य विकल्प ओ और प्रकृयागत संरक्षण अस ठेउरसे ठेउर परामर्श, सुहावन सूचना, सरकारी अधिकारीके उपस्थिति, सुहावन मौसम निरलक, पुगटसम आवासके विकल्प या क्षतिपूति असके बारेम अन्वेषण बिना कर्ल जो कैगिल रह ( उप्परक क्वाठा (कोठा) हेरी) । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डके विपरित हुइना गरी असिक निक्कैलक ओसे प्रभावित प्यारन बिना घरक ह्वाय पुगल ।<sup>६३</sup>

व्यापक सक्कहोरिक आलोनाके पाछ वन तथा वातावरण मन्त्रालयसे निकुञ्जक अधिकारिनसे हुइलक कामके छानविन करक लाग तीन सदस्यीय टोली खटाइल ।<sup>६४</sup> सन् २०२१ के

<sup>५७</sup> काठमाण्डु पोष्ट, चितवन पार्क अथरिठि अक्युज्ड अफ बर्निङ्ग हट्स् अफ ल्याण्डलेस स्क्वाटर्ज इन माडी, २० जुलाई २०२०, <https://tkpo.st/3fQ9zgA>

<sup>५८</sup> काठमाण्डु पोष्ट, हाई करेन्ट कन्जर्भेसन मोडेल्ज आर फलअड, २३ जुलाई २०२०, <https://tkpo.st/32Z3zPI>

<sup>५९</sup> काठमाण्डु पोष्ट, चितवन पार्क अथरिठि अक्युज्ड अफ बर्निङ्ग हट्स् अफ ल्याण्डलेस स्क्वाटर्ज इन माडी, २० जुलाई २०२०, <https://tkpo.st/3fQ9zgA>

<sup>६०</sup> सिडिओ (प्रजिअ) जिल्ला स्तरम सङ्घीय सरकारके सबसे बरा प्रतिनिधि हुइट ।

<sup>६१</sup> अनलाइन खबर, चेपाङहरूको निष्कासनको विषय अनुसन्धानका लागि मन्त्रालयले टोली चितवन पठायो, २४ जुलाई २०२०, यिहाँ बा: <https://english.onlinekhabar.com/ministry-sends-team-to-chitwan-to-probe-eviction-of-chepagns.html>

<sup>६२</sup> आवासके अधिकार ऐन २०७५, दफा ५(४)

<sup>६३</sup> आर्थिक, सामाजिक ओ सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय समिति, पर्याप्त आवासके अधिकार, जबर्जस्ती निक्कनासम्बन्धी लिशैसी टिप्पणी नं. ७, पृष्ठ १५ ओ १६

<sup>६४</sup> आवासके अधिकार ऐन २०७५, दफा ५(४)। थप जानकारीके लाग कानुन ओ नीति अध्यायम टर हेरी ।

अप्रिलसम एम्नेस्टी इन्टरनेसनल ओ आत्मनिर्भर केन्द्रसे फ्यारक फ्यारा अर्जी करबेर फे छानबिनके नतिजाके बारेम जानकारी पाइ निसेकल । न त यिहीहन सार्वजनिक जो कैगिल बा ।

यिह जबर्जस्ती निक्रैनाके भर्त्सना कर्ती ओ याकर जिम्मेवारहन जवापदेही बनाइकटे माग कर्ती २०७७ साउन ६ गते एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल एकठो सार्वजनिक वक्तव्य जारी कैरखलाहा ।<sup>६५</sup>

सर्वोच्च अदालतके स्थगन आदेश<sup>६६</sup> (Stay order) के ओसे चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जके अधिकारिन अखिसम निक्रैना काम निकर्ल हुइट । उह फे निकुञ्जके क्षेत्र अतिक्रमण कैके और ४,००० असिन घर बनागिलक अधिकारिन ठन्ल बट । यिहीले भविष्यम हुइसेकना सम्भावित निक्रैनासम्बन्धी चासोहन उजागर कर्ठा ।<sup>६७</sup>

यक्रहसंग राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयके आपत्तिकओसे माडी नगरपालिकाके अधिकारीन वैकल्पिक बैस्ना बनैना कामहन रोक्वा कर कर्ता परल बटन् । नगरपालिकासे राष्ट्रिय चितवन निकुञ्ज कार्यालयके प्रवृत्तिहोर कर्ता चिन्ता कर्ल बा ओ निक्रावा पैलक चेपाड प्यारनके लाग बिना रोक्वा वैकल्पिक बैस्ना बनैना कामके लाग डगर छिछ्छाल्याडर कराइकटे अदालतहन अर्जी कर्ल बा ।<sup>६८</sup>

## ४.१.२ बारबर्दिया, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज

सरकारसे लागू कर्लक कोभिड लकडाउनके ब्यालम सन् २०२० जुनम बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जके कार्यालयसे मनलगी सात डिन्या सूचना जारी कर्ती बर्दिया जिलक बारबर्दिया नगरपालिकाके बन्वा क्षेत्रम बैस्लक (प्रायः थारू समुदायक) १४१ घरप्यारन बन्नोक क्षेत्र छारा कर जबर्जस्ती निक्रावापैनाके सामना करकटे धम्की डिहल ।<sup>६९</sup> उहाँ ऊ प्यारन कत्रा लम्मा ब्यालासे बैस्टरलह ओ हुँकनसे कौनो वैकल्पिक बा या नैहो कना बाटके पुष्टि फे बिनकर्ल हुँकन असिन सूचना जारी कैरखलह । स्थानीय समुदायसे विरोध हुइलपाछ ओ

<sup>६५</sup> काठमाण्डु पोष्ट, एम्नेस्टी कन्डेम्ज इन्फोर्ड इभिकसन अफ इन्डिजिनस चेपाड फेमिलिज् बाइ चितवन न्यासनल पार्क, ०६ साउन २०७७, यहाँ उपलब्ध छः <https://kathmandupost.com/province-no-3/2020/07/21/amnesty-condemns-enforced- eviction-of-indigenous-chepang-families-by-chitwan-national-park-authority>

<sup>६६</sup> काठमाण्डु पोष्ट, रिट फाइल्ड याट सुप्रीम कोर्ट सिक्किङ् इट्स् इन्टर्नेसन टु स्टप फोर्सफुल इभिकसनज् अफ पिपल फ्रम डिफ्रेन्ट प्लेइसेज्, २०७७ साउन १२, यिहाँ उपलब्ध बा : <https://kathmandupost.com/national/2020/07/27/writ-filed-at-supreme-court-seeking-its-intervention-to-stop-forceful-evictions-of-people-from-different-places>

<sup>६७</sup> काठमाण्डु पोष्ट, हाई करेन्ट कन्जर्भेसन मोडल्ज् आर फ्लःड, ०८ श्रावण २०७७, यिहाँ उपलब्ध बा : <https://tkpo.st/32Z3zPI>

<sup>६८</sup> राजु प्रसाद चापागाईं समेत (०७७ WO-००३८) मुद्दाम माडी नगरपालिकाके लिखित जवाफ । २०७७ कुँवार ९ म निवेदकनसे प्रतिलिपि प्राप्त ।

<sup>६९</sup> २०७७ जेठ १९ गते ठाकुरद्वारास्थित बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जके कार्यालयसे जारी कैगैलक सूचना ।

राष्ट्रीय मानवअधिकार आयोगसे स्थानीय निकायम<sup>७०</sup> हस्तक्षेप करल पाछ ओ सर्वोच्चम मुद्दा दायर हुइल पाछ (उप्पर हेरी) जबर्जस्ती निक्रैना काम रोक्वा हुइल रह ।

सन् २०२१ अप्रिलके सुरुवातसम यी प्यार यी क्षेत्रम बैस्टरहल बट । सर्वोच्चम विचाराधीन मुद्दाके नतिजाहन हुँकर अँस्या लगल बट । एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल ओ आत्मनिर्भर केन्द्रसे यिहाँक अवस्थहन अनुगमन कर्ती बट ।

### ४.१.३ मगराडी, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज

२०७४ साल जेठ ७ गते बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज ठाकुरद्वाराके सेनासे मगराडी गाउँ विकास समितिके भर्नियाम बैस्टरलक १०० से ढिउर थारू प्यारनके घरम आगी लगैती १०५ घर नष्ट कैडेरखलह । उ समुदाय ओ मानवअधिकारकर्मीन थारू समुदायसे विवादम रलक स्थानीय मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिके उक्साहटम नेपाली सेना ऊ कारवाही कर्लक आरोप लगारखल ।<sup>७१</sup>

सेना, जिल्ला भूमि अधिकार मञ्ज (भूमि मञ्च) ओ स्थानीय बीच मध्यस्थता हुइलपाछ यदि यी प्यारन “वास्तविक भूमिहीन” कना एकीन हुइलसे ओ राजनीतिक दलनसे सो पुष्टि कर्ती सिफारिस कर्लसे मध्यवर्ती क्षेत्रम उक्त समुदायन बैस डिहक लाग सेना सहमत हुइल ।

यिह सहमतिहन लेख मिति २०७४ असार २९ गते मगराडी वन व्यवस्थापन समितिके प्रतिनिधि, वडा नागरिक मञ्जके प्रतिनिधि ओ स्थानीय अगवनके सामिलीम एकठो सर्वपक्षीय छलफल आयोजना केगल । यिह क्षेत्रके “वास्तविक भूमिहीन” पहिचान करक लाग एकठो समिति बनैना निर्णय केगल । सककु प्यारन प्रमाण (विजिलक बिल टिर्लक रसिद या मुचुल्का, स्थानीय प्रतिनिधि या अधिकारी या और साँचीनके आघ कबुल कर्लक कबुलियतनामा) बुभैलसे कुछ ब्यालक पाछ ऊ समितिसे १०५ मध्ये ६४ प्यारन केल्ह ‘वास्तविक भूमिहीन’ कैख पहिचान करल ।

यी विवादके पाछ भर्नियाके बाँकी ४१ प्यारन और क्षेत्रम बसाइँ सके आपन पुख्यौली जिमिन केल्ह केती कर्म कर्ती अस्थायी भौँफ्रीम बैसभिरल रलह ।

<sup>७०</sup> २०७७ जेठ २३ गते काठमाण्डुहन आधार बनाके कार्यरत मानवअधिकार अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईँ ओ बर्दियाके भूमि अधिकारकर्मी होमेन्द्र थापासे राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगक अध्यक्षहन अवस्थाके अनुगमन ओ अनुसन्धानके लाग बुझागैलक लिखत निवेदनके प्रति ।

<sup>७१</sup> चार ठो गाउँलेनसे लेगैलक अन्तर्वार्ता, अक्टोबर २०२०

## ४.१.४ गेरुवा, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज

आधिकारिक हिसाबम कर्णाली लड्यक पश्चिउहा शाखाअस रहलक गेरुवाके पश्चिउक पाँजर बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जके सीमाना तय कर्ता।<sup>७२</sup> यद्यपि, बर्खत्या बाहार अइना ब्यालम लड्या आपन डगर फेठा ओ लड्यक डिक्वा सर्टी जिमिनहन निकुञ्जके सीमानाभिटर पर्ना करट। परिणाम स्वरूप निकुञ्ज लगघ बैस्लक ठेउर मनै आपन जिमिनम पुग निसेक्ना हुइल बट।

सन् १९८० के माभसे जो फ्यारक फ्यारा अइलक बाहारके पाछ लड्या डगर फ्यारल पाछ राष्ट्रिय निकुञ्जके अधिकारीन बर्दिया जिलक गेरुवा गाउँपालिका वडा नं. ४ ओ ६ के थारू समुयके २७४ समेत कैख ३०० घरधुरीहन हुँकन्हक जिमिनम रोक्वा लगैल।<sup>७३</sup> एकिन तथ्यांक नैरलसे फे और वडाके मनैन फे असहँके प्रभावित हुइल बट। यी मनैन हुँकन्हक जिमिनम पहुँच अस्वीकार कर्ना क्रमम सुहावन प्रक्रिया बिनबेल्सल हुँक जाटिक असक जबर्जस्ती निक्रावा पैल रलह।

सन् १९८३ म जौनब्याला गेरुवा लड्डेसे वन्यजन्तु आरक्षके सीमानाके काम कर्ल रह। ऊ ब्यालम एकठो बरा बाहारकेओसे लड्डेक डिक्वा कट्टी गैल पाछ सौसे ठिउर घरधुरी विस्थापित हुइल रलह। ठिउरअस हुँक स्थानी कटन (कपास) विकास समितिके कार्यालयसे निबेल्सलक जिमिनम बैस्ल रलह। लेकिन नेपाली सेना हुँकन उहाँसे निक्राल रह। आपन जीवन ओ जीवनयापन कर्मके लाग हुँक ठेउर ठाउँ घुमकलाग कर्ना पर्ल रलहन।<sup>७४</sup> आपन अनुभवहन सम्भटी सन् १९८३ म ऊ कपास समितिके जग्घम बैस्लक केशव खड्का कल :

**“बर्दिया जिल्ला प्रशासन कार्यालय हमन उहाँ पठाइल रह। हम्र उहाँ बैस्लक ३०० प्यार रलही। कुछ हफ्टक पाछ नेपाली सेना हाँठी बेलस्ख उहाँ बैसुइयन रगेट्ल। मै उ ठाउँ तीन महिनक पाछ छोर्नु। कुछ प्यारन भर उहाँ छ महिनासम बैस्ल। पाछ हुँक बर्दिया जिलक और भागम जाक बैस्ल।”<sup>७५</sup>**

आधिकारीनसे कैजाइपर्ना सुरक्षित वैकल्पिक आवास ओ क्षतिपूर्तिके अभावम यी प्यारके ठेउरजहन आपन जीवनहन पन:निर्मण कर्ना जोर कर्टरलक अस्थायी स्थानसे फे फ्यारकफ्यारा निक्रागैरहल।

<sup>७२</sup> २०४५ मंसिर २० के नेपाल राजपत्र ऐनके दफा ३ बमोजिम बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जके सीमाना निर्धारण कैरखल। इहिसे आग इहिहन शाही बर्दिया वन्यजन्तु आरक्षके नाउम संरक्षित कैगिल रह।

<sup>७३</sup> एम्नेस्टी इन्टरनेसनल ओ आत्मनिर्भर केन्द्र गेरुवा गाउँपालिकाके और वडाके घरप्यारन फे प्रभावित रहलक बारेम सचेत बा लेकिन यी ब्यालम विस्तृत विवरण ख्यार (सङ्कलन) कर नैसेकगैल।

<sup>७४</sup> नेपाल राजपत्र, २०४५ मंसिर २०।

<sup>७५</sup> शेर बहादुर खड्कासँगके अन्तर्वार्ता, वडा नं. ६, गेरुवा, २७ असार २०७७

गेरुवाके पाँचठो वडाम वैस्टरहुइयन खास कैख वडा नं. ४ ओ ६ के मनैन आपन जिमिन उपर पहुँच गुमैल बट । वडा नं. ४ कार्यालयके अधिकारीनके अनुसार सन् १९८३ से १९८९ के ब्यालम वडा नं. ४ के केल्ह १४४ घरधुरी आपन जिमिन उपरके पहुँच गुमैल बट ।<sup>६६</sup> जिहिम ९६ घरधुरी थारू समुदायके बट ओ और प्रभावितम भर और सीमान्तकृत समूहन जस्त मगर (आदिवासी जनजाति) ओ दलित पय्यार बट ।

वडा नं. ६ कार्यालय राष्ट्रिय निकुञ्जहन पठैलक पत्र अनसार ऊ वडाक १५१ घरपय्यार आपन जिमिन उपरके पहुँच गुमैल बट ।<sup>६७</sup> उमध्ये १३० पय्यार थारू समुदायके बट । वडा नं. ४ म अस निहोक वडा नं. ६ क घरपय्यारन गुमैलक ठेउरअस जग्घा भर ऐलानी (दत्ता नै कैगिलक सरकारी जग्गा या स्वामित्वके मान्यता नैपैलक जग्घा) रहल बा । ३१ घरपय्यार ( १६ थारू घरपय्यार समेत कैखे)ठे केल्ह जग्गाधनीके प्रमाणपत्र बटन् ओ औरजहनठे कौनो फे कागजी प्रमाण नैहुइटन ।<sup>६८</sup>

राष्ट्रिय निकुञ्जके अधिकारीन यी जग्घा निकुञ्जके सीमाभिद्वर परलक ओ उहमार राष्ट्रिय निकुञ्ज कानुनअन्तर्गत सक्कु कानुनी रोक्वा ओसिन जग्घम लागू हइना दाबी कर्ती बट । या किहुँहन फे उहाँ बौसकटे या प्राकृतिक सम्पदा ख्यारक लाग भ्रमण कर या “कौनो भूकाग कब्जा कर, सफा कर, आवादी कर, खेती कर या कौनो बाली उब्जाए या काट” कर्ता रोक्वा बा ।<sup>६९</sup> एम्नेस्टी इन्टरनेसनलके स्थलगत अध्ययनक क्रमम निकुञ्ज प्रवेशम रोक्वा लगाइक लाग उ क्षेत्रम तारवेन्होसे घेरगैल पागिल ओ असिक घेरगैलक ठाउँम फ्यारक फ्यारा अइलक बाहारसे मनै विस्थापित हुइलक जिमिन फे समावेश कैगिलक पागिल । निकुञ्जके सीमावर्ती तारवेन्होम ठेउर सिसी-टिभी क्यामेरा जोरके ढरल फे पागिल ।<sup>७०</sup>

---

<sup>६६</sup> वडा कार्यालयके उपलब्ध करैलक वडा नं ४ के प्रभावित घरधुरीनके सूची, २९ वैशाख २०७६

<sup>६७</sup> गेरुवा वडा नं ६ का अध्यक्ष टेकबहादुर चौधरीसँगके अन्तर्वार्ता, २०७६ भाद्र ०६

<sup>६८</sup> २०७४ श्रावण ३१ गतेक पत्र, पत्र नं २०७६/०७७

<sup>६९</sup> राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनके दफा ५

<sup>७०</sup> काठमाण्डु पोष्ट, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज वन्यजन्तु संरक्षणको लागि प्रविधमा निर्भर, २२ अक्टोबर २०२०, यिहाँ उपलब्ध बा : <https://tkpo.st/3mfQHdX>



⊙ ↑ गेरुवा गाउँपालिका वडा नं. ४ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा रोरोक लगाइक लाग रलक तारबार । गेरुवा लड्या डगर फ्यारल पाछ निकुञ्जमा पर गैलक स्थानीय व्यक्तिगत जग्गा यिह तार भिट्टर बा ।

दशकौंसम आपन भूमिम पहुँच नैपैलसे फे यी गेरुवाबासी मालपोत (भूमि राजश्व कर) भर टिर्ती जो बट ।<sup>६९</sup> आपन भूमि उपरक पहुँचहन सुरक्षित ढरक लाग ओसिन कर्लक हुँक कल बट । काजे कि क्षतिपूर्ति दावी करक लाग मालपोत भुक्तानी कैगलक प्रस्तुत कर जरौरी बाट (टर हेरी) । एम्नेस्टी इन्टरनेसनल ओ आत्मनिर्भर केन्द्रहन गाउँवासी ढउरजन्ह ढेउर रसिद देखैल बट ।

गेरुवा गाउँपालिकाको कार्यालय  
 गेरुवा, बर्दिया  
 मालपोत विवरण  
 २०७३

रसिद नं. 10029  
 डेवी नम्बर .....  
 जग्गा धनिको नम्बर .....  
 बुभुजाएको मिति १५/११/१९  
 २०..... साल दाँध २०५..... साल सम्म

क्र.सं.	क्षेत्र	वार्ड नम्बर	कित्ता नम्बर	क्षेत्रफल	किसिम	आ.व.सम्मको		आ.व.सम्मको		आ.व.सम्मको		चालु आ.व.को	जम्मा	जरिवाना	जम्मा	किफायत
						रु.	पै.	रु.	पै.	रु.	पै.					
१	जगाड	३५	१२	०-५-०												
"	"	"	१५	०-१५-०												
"	"	"	२०	०-१५-०												
"	"	"	२२	०-१०-०												
"	"	"	२४	०-१०-०												
"	"	"	२६	०-१०-०												
			६३६	०-५-०												
				३-५-०	वा											

बुभुजाउनेको नाम थर वतन सही छाप  
 तयार गर्नेको सही छाप  
 बुभुजाउनेको सही छाप  
 प्रमाणित गर्नेको सही छाप  
 मिति : .....

नोट : यो रसिद २ प्रति हुनेछ कार्वन राखेर लेख्नु पर्छ ।  
 पहिलो प्रति (सेतो) म.ले.प.को निमित्त कार्यालयमा सुरक्षित राख्नु पर्छ र दोस्रो प्रति (पहेलो) बुभुजाउनेलाई दिनु पर्छ ।

⊙ ↑ स्थानीय एक आदिवासी परिवारसे गेरुवा गाउँपालिकाहन टिर्लक मालपोतक रसिद ।

६९ दफा २१ : सुक्खा या और दैवी प्रकोपसे बाली हुइ नैसेक्लसे मालपोत मिन्हा हुइना : (१) कौनो वरस सुक्खा या पट्टर पानी आक या सलह लागके या बाहार आक या और कौनो दैवी प्रकोपसे कौनो क्षेत्रम मुख्य बाली नोकसान हुइलसे पर्लक जाँचबुझ कैके टनिक डान्छे या पूरा मालपोत मिन्हा डिहपर्ना लगलसे आपन सल्लासहित मालपोत कार्यालय नेपाल सरकारहन जाहेर गर्ने बा । (२) उपदफा (१) बमोजिम जाहेर होक अइलसे या कौनो तवरसे ओसिन अवस्थाके जानकारी नेपाल सरकारहन हुइलसे आवश्यक देखैल जठ्याक मालपोत नेपाल सरकारसे मिन्हा हुइने बा ।

जोरौना निहुम मानवअधिकार उल्लङ्घन  
 "म्भार आपन स्वामित्वक जिमिनम पैला टेक मै का अपराध कर्ल रनहूँ



“हम आपन जिमिन बेल्सनासे पचुरल रलसे फे हम मालपोत टिटी अल बटी । हमन असा बाट कि एक डिन हामा जग्गाके पहुँच पुनःस्थापित हुइनेबा”, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल ओ आत्मनिर्भर केन्द्र से आयोजना कर्लक समूह छलफलक एक सहभागी कल ।<sup>८२</sup> यदि आपन जग्गम पहुँच पुनःस्थापित कर नैसेकना हो कलस लागल पुगल क्षतिपूर्ति (प्रचलित बजार मूल्याअनसार) पाय चहलक ठेउर सहभागीन कल ।

गेरुवा गाउँपालिका वडा नं. ४ क अध्यक्ष मालपोत संकलन कर लिरौसी हुइलक कल । ऊ कल, “राष्ट्रीय निकुञ्ज भिट्टर पर गैलक जग्गाम खेती कर नैसेकलसे फे वडा कार्यालय जग्गा कर संकलन भर कर्तिरहल बाट । काजेकी हुँक (विस्थापित हुँकन) जग्गाधनीसम्बन्धी कानुनी स्थापित यथावत ढर चाहट ।”<sup>८३</sup>

“जग्गा लइया खोल्लोसे काटगैलसे या बालुबुर्ज हुइलसे या हिलामाटीले भाँटजाके मुख्य बाली नैहुइलसे” मालपोत ऐनसे मालपोतसे मिन्हा या पूरा छुट डेना व्यवस्था बा । यी प्रावधान प्रभावित किसाननसे सम्बन्धित मालपोत कार्यालयम आवेदन डेलसे केल्ह लागू हुइठा । पीडित मनैन यी सुविधाके लाग हाभिहनसम आवेदन नैडेल हुइट । काजेकि हुँक मालपोत रसिद पाइ चहठ । जौन हुँकन्हक आपन जग्घम फिर्ता जइक लाग या पूरा क्षतिपूर्ति पाइक लाग जरौरी रठा ।<sup>८४</sup>

और समुदायक तुलनाम थारू ओ विपन्न समुदायनअस दलितहुँकनम प्रतिकूल असर पुगलक अन्तर्वार्ताम सहभागीन कल । काजेकी औरहोर ठौसारी कैके अलिक मजा जिन्गी पैलक समुदायके तुलनामा थारूहुँक आपन पुर्खनसे रोज्ख बैस्लक ठाउँ छोके विस्राख जाइ नैसेकल । एकजन्ह पीडित ओ समुदायके जिमिन उपर पहुँच पुनःस्थापनाम कन्कनार अभियन्ता माधव चौधरी कल :

**“हामा जिमिन उपर पहुँच भविष्यम पाजिनेबा कना असाम हम यी ठाउँम बैस्लक दशकौँ होस्याकल बा ।”<sup>८५</sup>**

<sup>८२</sup> गेरुवाके प्रभावित किसाननसे कैगलक लक्षित समूह बखेरी (छलफल), २०७६ भदौ ६

<sup>८३</sup> गेरुवा वडा नं. ४ के अध्यक्ष अम्बर बहादुर चलाउनेसँगके अन्तर्वार्ता, २०७६ भदौ ६

<sup>८४</sup> दफा २० : लड्डेक कटान, बालुबुर्ज हुइलसे या पहिरो गैलसे मालपोत मिन्हा डेना : (१) मालपोत लगना कौनो जग्गा कौनो वरस लइया खोल्लोसे से काटगैलसे या बालुबुर्ज हुइलसे या पहिरो गैलसे या पहिरोले भाँटजाके मुख्य बाली हुइ नैसेकलसे सम्बन्धित जग्गावालसे टोकगैलक म्यादभिट्टर टोकगैलक ढाँचम विवरण खोल्क मालपोत कार्यालयम दर्खास्त डिह पर्ने बा । लेकिन, बाली लगलक जग्गाके हकम उपदफा (२) बमोजिम जाँचबुझ हुइसे पहिलहै सो बाली काट नैहुइट । (२) उपदफा (१) बमोजिम पर अइलक दरखास्तम उल्लेखित बाटके जाँचबुझ कर मालपोत कार्यालयके प्रमुखसे तीस दिनमभर अपनहै जाके या डोर खटाके जाँचबुझ कर या कराइपर्ने बा । उ बमोजिमके जाँचबुझ कर या कराइबेर उ वरस मालपोत मिन्हा करपर्ना देखगैलसे कै प्रतिशतसम्म मालपोत मिन्हा डिहपर्ना हो मालपोत कार्यालयसे एकीन कैके मिन्हा देख मालपोत विभागम सात दिनभिट्टर जानकारी डिहपर्ने बा । (३) उपदफा (२) बमोजिमके जाँचबुझसे कौनो जग्गा सड्डक मनममत्त वेसावूद या बेकम्मा हुइलक देखपर्लसे उ जग्गक लगत कट्टा कर मालपोत कार्यालयसे नेपाल सरकारहन जाहेर कर्ने बा ओ नेपाल सरकारसे मुनासिव देखगैलसे उ जग्गाके लगत कट्टा करक लाग मालपोत कार्यालयहन आदेश डेने बा ।

<sup>८५</sup> महादेव चौधरीसँगके अन्तर्वार्ता, वडा नं ४, गेरुवा गाउँपालिका, बर्दिया, २०७६ भदौ ६

“हामा जिमिन उपर पहुँच भविष्यम पाजिनेबा कना अस्राम हम्र यी ठाउँम बैस्लक दशकौं होस्याकल बा ।”<sup>८५</sup>

गेरुवा गाउँपालिकाके अध्यक्ष जमान सिं केसी एम्नेस्टी इन्टरनेसनलसे डेल अन्तर्वार्ताम अखिस आपन जिमिन बर्दिया राष्ट्र निकुञ्जके सीमानाभिद्दर पर गैलकओसे ऊ जिमिनम पहुँच पाए निसेकुइयनक समस्या सम्बोधनक लाग यिहाँक कार्यालयसे प्रदेशक अधिकारी ओ वकिलनसँग कचेरी कर्टरल दाबी कर्ल । उह फे, यी अवस्था समाधानके पहिला ठोस कदमके रूपम करपर्ना बाट जिमिनम असिक पहुँच गुमउइयन किसाननके विस्तृत अभिलेख कायम कर्ना काम भर गाउँपालिकासे आमिहनसम कर नैसेकल हो ।<sup>८६</sup> यी सीमा समस्याके समाधान का हुइ सेकी कना प्रश्नके जवाफम गाउँपालिकाके प्रमुख ओ वडा नं. ४ क अध्यक्ष अम्बरबहादुर चलाउने कल कि सबसे पैलह त राष्ट्रिय निकुञ्ज ओसहक वन्यजन्तु संरक्षण विभागसे राष्ट्रिय निकुञ्जके क्षेत्र गाउँपालिकागत हिसाबम छुट्याइ परठ, राष्ट्रिय निकुञ्जभिद्दर पर गइलक जिमिनके लगत संकलन कर पर्ठा ओ असिक दुःख पैलक किसाननके आपन जिमिन उपरके पहुँच पुनःस्थापना समेत कैके हुँकन्हक समस्या समाधान कैजाइ पर्ठा ।<sup>८७</sup>

## ४.२ जीविकाके अधिकार ओसहक ओ आर्थिक अधिकारम प्रभाव

आइएलओ महासन्धि १६९ हन सन् २००७ म अनुमोदन कैगिलसँग नेपालसे आदिवासी समुदायके जीविकाके स्रोत ओ प्राकृतिक स्रोत साधन उपरके पहुँचहन संरक्षण कर्ना प्रतिबद्धता व्यक्त कर्ल बा । उह फे वास्तविकता एकदम फरक बा । सन् २०१९ म प्रकाशित राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगके एकठो प्रतिवेदन आइएलओ महासन्धि १६९ हन नेपालसे कार्यान्वयन कर निसेकलक निष्कर्ष निकैल बा ।<sup>८८</sup>

भूमिम पहुँचके विषयहन ठेउरसे ठेउर खाद्य अधिकारसे जोटी खाद्य अधिकारसम्बन्धी विशेष प्रतिवेदन टिप्पणी कर्ल बाट कि “खाद्य अधिकारके सम्मान कर्ना, रक्षा कर्ना ओ परिपूर्ति कर्ना दायित्वअनसार राज्यसे व्यक्तिहुँकन्हक आपन खाद्यान्न जोहो कर्ना सन्दर्भम उत्पादनमूलक संसाधनके पहुँचसे वञ्चित करसेकना खालक उपायन नैलेना (सम्मान कर्ना दायित्व), ओर पक्षसे असिन पहुँच उपर हुइसकना अतिक्रमणहन च्वाकपर्ना (संरक्षण कर्ना दायित्व) ओ जनतनके खाद्य सुरक्षा ओ जनजीविका पक्कापक्की करकलाग आवश्यक

<sup>८५</sup> महादेव चौधरीसँगके अन्तर्वार्ता, वडा नं ४, गेरुवा गाउँपालिका, बर्दिया, २०७६ भदौ ६

<sup>८६</sup> अन्तर्वार्ता, २१ असार २०७७

<sup>८७</sup> गेरुवा गाउँपालिका वडा नं ४ के अध्यक्ष अम्बर बहादुर चलाउनेसँगके अन्तर्वार्ता, ६ भाद्र २०७६, गेरुवा गाउँपालिकाके प्रमुख जमान सिं केसीसँगके अन्तर्वार्ता, २१ असार २०७७

<sup>८८</sup> मानवअधिकार आयोग, आइएलओ महासन्धि नं १६९ के कार्यान्वयनके अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदन, मार्च २०१९, [https://www.nhrcnepal.org/nhrc\\_new/doc/newsletter/ILO\\_169\\_Implementation\\_Report\\_English\\_NHRC\\_Jestha\\_2076.pdf](https://www.nhrcnepal.org/nhrc_new/doc/newsletter/ILO_169_Implementation_Report_English_NHRC_Jestha_2076.pdf)

स्रोत ओ साधन उपरके पहुँच ओ बेल्साइ बल्गर बनैना (परिपूर्ति कर्ना दायित्व) काम कर पठा ।”

म बन्वम आश्रित आदिवासी मनै बैस्टरहलक क्षेत्रम काम करुइया अभियन्तनसे सरकारके संरक्षणसम्बन्धी लजर असन्तुलित बन्लक ओ ओहीले “जानवरके पक्षम ठेउर वकालत कैके मनैन उपेक्षा कर्लक” अर्जी कर्ल बट ।<sup>९९</sup>

आदिवासी जनजाति ओ स्थानीय समुदायसे सहव्यवस्थापन कैगिलक ओ समुदायके स्वामित्वम रहलक संरक्षण क्षेत्रम कैगिलक अध्ययनसे संरक्षणसम्बन्धी परिणाम लिहकला राज्यसे केल्ह चलैलक संरक्षण क्षेत्रमनसे असिन संरक्षण क्षेत्रनके औसत सफलता ठेउर रहलक देखागिलक ब्यालम फेन असिन हुइल बा ।<sup>९०</sup>

यी निकुञ्जके व्यवस्थापन ओ संरक्षणहन निर्दिष्ट कर्ना कानून ओ संयन्त्रन शिकार कर्ना, पशु चरण कर्ना, रुखवा कटना, जिमिनम खेतीपाती कर्ना या बन्वम पट्याकाठी कर्ना कामम रोक्वा लगैल बट । उहमार आदिवासी जनजातिनके जीवन पद्धति उपर कर्ना प्रभाव पर्लकसंग नाटकीय परिवर्तन फेन लन्ल बाट । मध्यवर्ती क्षेत्रके बन्वम पहुँच पइलक मध्यवर्ती क्षेत्रम बैसुइयनके अलावा<sup>९१</sup> आदिवासी जनजातिहुँकन राष्ट्रिय निकुञ्जम नेङ्ना-घुम्नाम फेन रोक्वा कैगिल बा । उहमार हुँकन खाद्यान्न<sup>९२</sup>, आवास ओ बिर्वीबिर्वाके<sup>९३</sup> परम्परागत स्रोत उपर जाय नैसेक्ल हुइट । बेन्ह हुँकन खेती कर, टेनक छाँठीके लाग पैसा ज्वार, लालाबाला चहाए ओ आधुनिक महड स्वास्थ्य सेवा प्रणाली बेल्सना भडखनम परल बट । जाहाँले खाद्य सुरक्षा ओ स्वास्थ्य ओ आवासके भडखन पैदा ह्वाए पुगल बाट ।

<sup>९९</sup> नेपालके आदिवासीनके मानवअधिकारसम्बन्धी वकिल समूह (लाहुर्निप) सँगके कचेरी : अधिवक्ता शङ्कर लिम्बु ओ भिम राई, ३१ श्रावण २०७५ । यी फे हेरी, जगन्नाथ अधिकारी ओ शरद घिमिरे। *अ बिब्लियोग्राफी अन इन्भाएरन्मेन्टल जस्टिस् इन नेपाल*, मार्टिन चौतारी, २००२, काठमाण्डु, नेपाल ।

<sup>९०</sup> राइट्स एण्ड रिसोर्सेज इन्सिप्टिभ, कर्नर्ड बाई प्रोटेक्टेड एरियाज, जुन २०१८, [www.rightsandresources.org/wp-content/uploads/2018/06/Cornered-by-PAs-Brief\\_RRI\\_June-2018.pdf](http://www.rightsandresources.org/wp-content/uploads/2018/06/Cornered-by-PAs-Brief_RRI_June-2018.pdf)

<sup>९१</sup> चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज ओ मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन योजना, २०१३-२०१७ [chitwannationalpark.gov.np/index.php/document-repository/publications-chitwan-national-park/28-management-plan-printed/file](http://chitwannationalpark.gov.np/index.php/document-repository/publications-chitwan-national-park/28-management-plan-printed/file)

<sup>९२</sup> लाम एलएम, पल एस. डिस्प्युटेड ल्याण्ड राइट्स एण्ड कन्जर्भेसन लेड डिस्प्लेसमेन्ट: अ डबल ह्याम्मी अन दी पुर, कन्सर्भाट सोक [अनलाइन श्रृङ्खला] २०१४ [३० असोज २०७७ म उद्धृत कैगिलक]; १२: पृष्ठ ६५-७६, [conservationandsociety.org/text.asp?2014/12/1/65/132132](http://conservationandsociety.org/text.asp?2014/12/1/65/132132)

<sup>९३</sup> मेहिक-मेहिक रोगब्याडके रोकथाम ओ उपचारके लाग वनस्पतिम अलौकीक शक्ति रहलक कना हुँकनहक बल्गर विद्याशासमेतसे थारूनसे औषधिजन्य वनस्पतिसम्बन्धी परम्परागत ज्ञान हाँसिल करल रलसे फे यी ज्ञानहन जोगैल रना बरी कर्ना हुइटी गैलक कैगिल बा । हेरी, कल्पना घिमिरे ओ ऋषि बस्ताकोटी, ट्रेडिसनल नलेज अफ थारू अफ नेपाल अन मेडिसिनल प्लान्ट्स एण्ड हेल्थकेयर सिस्टम्ज, डिसेम्बर २००७, [researchgate.net/publication/269580487\\_Traditional\\_knowledge\\_of\\_Tharu\\_of\\_Nepal\\_on\\_medicinal\\_plants\\_and\\_health\\_care\\_systems](http://researchgate.net/publication/269580487_Traditional_knowledge_of_Tharu_of_Nepal_on_medicinal_plants_and_health_care_systems)

अन्तर्राष्ट्रीय मानवअधिकार कानूनअन्तर्गत आदिवासी जनजातिहुँक परम्परागतम अच्यैलक बन्वा ओ प्राकृतिक स्रोत उपरके पहुँचम रोक्वा लगौना अन्यायपूर्ण हुइसेकठा ओ असिक कर्ना खाद्यान्नसे पचुराइल अस हुइसेकठा ।<sup>९४</sup>

सोनाहा जातिके मनैनके दुखसे आदिवासी जनजातिनक जनजीविकाम पर गैलक प्रभावहन पक्का बनैल बा ।<sup>९५</sup> बर्दिया, कैलाली ओ कञ्चनपुर जिल्लाम टनिक-टनिक १२०० के गन्टीम रहलक मच्छी मरुइया अल्पसंख्यक सोनाहा समुदायसे मच्छी मर्ना, आहारा खोज्ना ओ कर्णाली लड्यम स्वान उत्खनन कर्ती आघा रड्टा (घुमन्ते) जिन्गी जिना कर्ल बट ।<sup>९६</sup>

बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज बनाइल पाछ सोनाहाहुँकन पुस्तौसे आपन जीविका अच्याइकटे सखैटि रहलक गेरुवा लड्यम मच्छी मार रोक्वा लगागिल । बँचकटे चहलक सामा कर्लकमार सशस्त्र रक्षकनसे हुँकन सटैना ओ पिट्ना काम कर्ल । बहुत भूमिहीन सोनाहा पय्यार बँधुवा मजदुर बनही पर्ना कर्ल पर्लन ओ और ढेउर भारतओर बसयाइँ सर्ल ।<sup>९७</sup>

सन् २००८ म सोनाहा समुदाय ओ नागरिक समाजक अगवनके कर्कक दबाब डिहल पाछ बर्दिया निकुञ्ज प्रशासननसे सोनाहा समुदायहन मध्यवर्ती क्षेत्रम (मध्यवर्ती क्षेत्र बाहेरिक सोनाहाहुँक यिहिम नैसमेटगिल) मच्छी मारकटे अनुमति डिहल । यी अनुमति ढेउर बन्देजके सँग डेगिल रह : जस्ट सोनाहाहुँक वरसके ट्वाकल ब्यालम केल्ह मच्छी मार पाइट, मच्छी मार गैलक ब्यालाम इजाजतपत्र लेल्ह जाइपरन, रातके ब्यालम मच्छी मार निपाजाय ( मच्छी मर्ना सुहावन जुन रातिक ब्यला जो हो), पक्का मच्छी मर्ना उपकरण केल्ह लैजाय अनुमति डेजाय, घरके एकजहन केल्ह इजाजत डेजाय ओ ज्याकर नाउम इजाजत बा ओही केल्ह मच्छी मर्ना अनुमति डेजाइ । उह फे मच्छी मारकटे इजाजत पैना सोनाहानके लाग लसार उपलब्धि रलहन ।

<sup>९४</sup> राज्यकठे वातावरणीय संरक्षण ओ आर्थिक विकास ओ और मानवअधिकारक प्रबर्द्धनअस और सामाजिक लक्ष्यबीच सन्तुलन कायम कर्ना स्वविवेक रठस । लेकिन जौन सन्तुलन कायम कैजाइत ऊ अनुचित हुइ नैहुइत या ओहिँले मानवअधिकारके अनुचित ओ अनुमान करसेकना खालके हननके नतिजा डिह नैहुइत । सन्तुलन उचित बा कि नै हो कैके जाँचकटे मेहिक पक्षहन ह्यार सेकजैठा । जस्ट वातावरणीय संरक्षणके स्तर प्रक्रियागत दायित्व पूरा करक लाग हुइलक निर्णय प्रक्रियाके उपज हो कि नै हो, यी पञ्चगमनकारी बा या नै हो ओ यी गैरविभेदम आधारित बा या नै हो । अन्तिमम राज्यन हुँक अवलम्बन कर्लक मापदण्डहहन पालना करल सँग कार्यान्वयन कर पठन । हेरी, जनता वन कार्यक्रम, आदिवासी जनजाति तथा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ निकाय । संयुक्त राष्ट्र सङ्घ सन्धि निकायनके निर्णयनके सँगालो, मानवअधिकार परिषदके विशेष कार्यविधि ओ आदिवासी जनजातिनके अधिकारसम्बन्धी विज्ञ संयन्त्रनके सुझाव । भोल्युम ७, २०१५-२०१६, पृष्ठ ६७, [www.forestpeoples.org/sites/default/files/publication/2017/03/cos-2015-16.pdf](http://www.forestpeoples.org/sites/default/files/publication/2017/03/cos-2015-16.pdf)

<sup>९५</sup> हुँकन्हक आपन छुट्ट भाषा, संस्कृति ओ परम्परागत जन्मभूमि हुइलसे फे हुँक कानुनी रूपम मान्यता प्राप्त ५९ आदिवासी जनजाति सूचीम नै समेटगैल हुइत ।

<sup>९६</sup> मुख्याग्र बटकोहीसे का सङ्केत कर्ठा कलसे हुँक नेपालके एकीकरणसे पहिले कर्णालीके टरक फाँटम बैसल रलह । सुदिप जना थिड समेत, "दी पोलिटिक्स अफ कन्जर्भेसन: सोनाहा, रिभरस्केप इन दी बर्दिया न्यासनल पार्क एण्ड वफर जोन, नेपाल", *कन्जर्भेसन एण्ड सोसाइटी*, २०१७, भोल्युम १५, अङ्क ३, पृष्ठ २९२-३०३, <http://www.conservationandsociety.org/article.asp?issn=0972-4923;year=2017;volume=15;issue=3;spage=292;epage=303;aulast=Thing>

<sup>९७</sup> सुदिप जना थिड समेत

लेकिन कुछ महिनके पाछ मनाउ गाविसके डुजे सोनाहाहुँकन गैडा जोरीशिकारी कर्लक आरोपम गिरफ्तार कैगिल । ऊ घटनाके पाछ निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्रके सक्कु सोनाहा समुदायहुँकन मच्छी मर्ना डेटी अइलक अनुमति खारेज करल । लम्मा संघर्षके पाछ भखरह मच्छी मर्ना अनुमति पैलक सोनाहा समुदायके लाग यी सामूहिक दण्ड बरा प्रहार रलहन ।<sup>१८</sup> सोनाहाहुँक आपन मच्छी मार पैना अधिकारके लाग संघर्ष कर्तिबट । सन् २०१७ म पारित कैगिलक राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनके पाँचौ संशोधनम मध्यवर्ती क्षेत्रके स्थानीयन आपन परम्परागत जीविकासम्बन्धी काम कर डेना प्रावधान रहलसे फे<sup>१९</sup> यी लिखिरहल ब्यालासम हुँकन आम्हन मच्छी मर्ना अनुमति नै डेल हुइन ।

वैकल्पिक जीविकाके अभाव, आर्थिक भङ्खन ओ घरायसी खर्च पुगाय निसेकना और कारणसे आपन जिमिनसे निक्कावा पैलक डेउरअस आदिवासीन बटैयादार बनपर्ना भङ्खनम बट ओ हुँक औरजहनक जिमिनम खेतीकिसानी कैके उब्जनी हुइलक रविपातके हाराहारीके ५० प्रतिशत बठा पैठ ।<sup>१००</sup>

बटैया तराई क्षेत्रम चलनचल्टीम रहलक एकठो परम्परागत स्वरूपके अधियादारी हो ।<sup>१०१</sup> थारूलगायतक भूमिहीन किसाननके लाग पहिलहँसे बटैयादारी व्यवस्था जनजीविकाके एकठो बलार आधार बन पुगल बा । आत्मनिर्भर केन्द्रके अनुमानित आँकलन अनुसार नेपालक चौथाई घरन्यार आपन जीविकाके लाग बटै प्रणालीम अच्यैल रहल बट ।<sup>१०२</sup>

मानवअधिकारके लजरसे खासकैख नेपालके संविधानसे प्रत्याभूत कैगिलक शोषणके सटाहा हक<sup>१०३</sup> के लजरसे ह्यारबेर याकर बरा अर्थ रलसे फे नेपालम बटैयादारी प्रथाहन कानुन मान्यतासे फे सामाजिक मान्यतासे चलागिल बा । यी अभ्यासहन निर्देशित करक लाग राज्यसे अवलम्बन कैगिलक कौनो निर्दिष्ट औपचारिक कानुन संयन्त्र फे नैहो । बाँके ओ बर्दिया जिलम अन्तर्वाता लेगैलक किसानन जिम्दारनसे अपन फ्यारक फ्यारा शोषणम पर्लक ओ हुँकन विन ज्यालक घरायसी काम कर वा काठीपट्या कर लगैलक कल ।

<sup>१८</sup> श्रद्धा घले, २७ मार्च २०१८ ।

<sup>१९</sup> पाँचौ संशोधन विधेयकके दफा ५.२ म निकुञ्ज लग्गक स्थानीय बासिन्दन "परम्परागत रूपम वेल्सटी अइलक डगर, रैथाने चरिचरण, पिनापानी, सिँचाइ ओ तटबन्ध वेल्सना" ओ "परम्परागत रूपम खेती अइलक सागसब्जी ओ कन्दमुल खेर्ना ओ मच्छी मर्ना वातावरण, बन्वा ओ वन्यजन्तुन प्रतिकूल असर नैपर्ना गरी" अनुमति डेना व्यवस्था लिखगैल बा ।

<sup>१००</sup> समूह केन्द्रित बखेरी, गेरुवा ६ भदौ २०७६, ओ क्रान्तिपुर, बाँके म ७ भदौ २०७६ म हुइलक बखेरी

<sup>१०१</sup> सामुदायिक आत्मनिर्भर केन्द्र, लोकल्ली प्रिजेन्ट ल्याण्ड टिनुअर टाइपोलोजी इन नेपाल: अ स्टडी रिपोर्ट, मई २०१८, शब्दावली

<sup>१०२</sup> सामुदायिक आत्मनिर्भर केन्द्र, ल्याण्ड टिनुअर एण्ड आग्रारियन रिफर्म्स इन नेपाल २०११, पृष्ठ २५, यिहाँ उपलब्ध बा:

[https://csrnepal.org/wp-content/uploads/2019/07/2dpV2BZ0IsM4luC-cB\\_L2A00gEbYm-U.pdf](https://csrnepal.org/wp-content/uploads/2019/07/2dpV2BZ0IsM4luC-cB_L2A00gEbYm-U.pdf); यी अनुमान १६

जिल्लाके २५,१९९ घरघुरीके १४३,१२५ जन्ह संलग्न एकठो अध्ययनम आधारित बा । बटैयाहन अधिया कैके फे बुइजाइट ।

<sup>१०३</sup> धारा २९ । शोषणविरुद्धके हक : (१) प्रत्येक व्यक्तिहन शोषणविरुद्धके हक रहने बा । (२) धर्म, प्रथा, परम्परा, संस्कार, प्रचलन या और कौना आधारम कौनो फे व्यक्तिहन कौनो मेहिक शोषण कर नैपाजैने हो । (३) किहुँहन फे बेचबिखन कर, दास या बँदवा बनाई नैपाजैने हो ।

गेरुवा ४ के दशरथ थारूके सलहो प्यार १२ विघा (८.१३ हेक्टर)<sup>१०४</sup> जिमिन राष्ट्रिय निकुञ्जम गुमैल ओ अखिस हुँकाहार प्यारके सक्कु घरधुरी बटैयादारीम अच्यैल बट । वडा नं. ४ के आपन छोटिमोटी कठ्क घर डेखैटी ऊ कल :

**“२०४० सालम विस्तापित हुइल पाछ हम्म अन्तिमम यिहाँ आक बैस भिल्ली । निकुञ्ज क्षेत्रम पर गैलक म्वार जिमिनसे पठ्ठरसम बिट्ठार निडेगल । अखिस मै एक विघा ओ १५ कठ्ठा<sup>१०५</sup> जिमिनम खेती कर्तिबट्टु ।”<sup>१०६</sup>**

## ४.३ वन्यजन्तुनसे बाली नष्ट

वन्यजन्तुनसे हुइना बालीनालीके नष्ट राष्ट्रिय निकुञ्जक आँजरपाँजर बैस्ना मनैहुँकर भोगलक एकठो बरिक्करा ओ चौखट भडखन (समस्या) हो ।<sup>१०७</sup> लेकिन राष्ट्रिय निकुञ्जक आँजरपाँजर बैसकटे भर वन्यजन्तुके गिन्टीम हुइलक वृद्धिके अर्थ हुँकन्हक बालीनाली ओ संरचनाके बिगार, लालाबालाके क्षति ओ कब्बुकाल ट मनैन च्वाट ओ जिन्गीके क्षति फेन हुइल बटन । वन्यजन्तुनसे रविपाटके क्षति राष्ट्रिय निकुञ्जक आँजरपाँजर बैस्ना मनै सामना कर्तिरहलक एकठो बरिक्करा ओ चौखट भडखन हो ।<sup>१०८</sup>

बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जम बघ्वा, गैरा ओ हाँठी संरक्षित जानवरनके गिन्टी पाछक वरषम बहर्ति गैल बटन ।<sup>१०९</sup> बर्दियाके किसानन संरक्षित वन्यजन्तुन फ्यारकफ्यारा रविपाट, कुट्याक ठलक अन्न, लालाबाला, घरगोठ्वालगायतक संरचना ध्वस्त पर्ति अइलक डुख डेखैल । गेरुवा गाउँपालिका वडा नं. ४ म बैसुइया सुनी थारू एम्नेस्टी इन्टरनेसनल ओ आत्मनिर्भर केन्द्रहन कली :

**“हाँठी, भाल, बनछेग्री ओ बाँडरन खेटुवम आक फ्यारकफ्यारा रविपातम है कठ । आब खेटुवम बाली नैरहल कलसे हाँठी आख हामा घर जो भस्काडेठ । टिन फ्यारा हाँठी अनिस कर स्याकल बाट । मही**

<sup>१०४</sup> १ विघा = ६,७७२.६३ वर्ग मि = ०.६८ हेक्टर

<sup>१०५</sup> २० कठ्ठा = १ विघा

<sup>१०६</sup> अन्तर्वार्ता, गेरुवा, २०७६ भदौ ०६

<sup>१०७</sup> हिमालयन टाइम्स, टाइगर पपुलेसन नियर डबल इन नेपाल, ३ अगस्ट २०२०, [thehimalayantimes.com/nepal/tiger-population-near-double-in-nepal](http://thehimalayantimes.com/nepal/tiger-population-near-double-in-nepal)

<sup>१०८</sup> जगन्नाथ अधिकारी ओ शरद घिमिरे । २००२ । *अ बिब्लिओग्राफी अन इन्भाएरन्मेन्टल जस्टिस इन नेपाल* । मार्टिन चौतारी, काठमाण्डू, पृष्ठ ७९

<sup>१०९</sup> डब्लुडब्लुएफ, ग्रुथ अफ टाइगर इन बर्दिया, [tigers.panda.org/news\\_and\\_stories/stories/tiger\\_survey\\_in\\_bardia\\_national\\_park/](http://tigers.panda.org/news_and_stories/stories/tiger_survey_in_bardia_national_park/)

**जम्म एक हजार रूप्या भरही डेगिल । एकहौर आपन जिमिनम जाइ नैपैना औरहौर बन्वक जानवरन फ्यारकफ्यारा सँटैलक दुःखकमार जिन्गी चलैना बरी करा बा ।”<sup>११०</sup>**

कब्हुकाल ट जानवरन मनैन फे आक्रमण कठ । सन् २०२० के अक्टोबर-नोभेम्बरम पाँचजन्ह थारूहुँकन बघ्वा भूपटके मुअइलक जनागिल बा ।<sup>१११</sup>

वन्यजन्तुके प्रभाव जाटिक डान्चे जिमिन रहइया या जिमिन नैरहुइयनके लाग बरी करा बटन । गेरुवा गाउँपालिका वडा नं. ४ के गुरिलाल थारूके डुबिघा ओ १० कट्ठा (टनिकक १.७ हेक्टर) जिमिन राष्ट्रिय निकुञ्जम परिगलन । ऊ कल :

**“हम्र राष्ट्र निकुञ्ज भिट्टर हामा सक्कु जिमिन गुमेलकओसे और जिमिनम हम्र जिन्गी चलाइकटे बटैयादारीम खेती कटिबटी । लेकिन ऊ जिमिनमसे उब्जना रविपाटके एकतिहाइ ट जानवरन जो है कैडेठ, आधा जिम्डरुवहन बुभाइ परट, बाँकी एकतिहाइले मै कसिक जिन्गी चलैम ?”<sup>११२</sup>**

कुछ परव आघसम ऊ बरी डान्छे (रू.१,०००) रूप्या वालीके भरावन निकुञ्जसे पैना करट । लेकिन कुछ समयके यहाँर ऊ निकुञ्जके अधिकारीनके आघ असिन भरावन दाबी कर नैगैल हुइट । काजेकी प्रक्रिया बरी लम्मा बा ओ भरावनके मात्रा बरी डान्छे बा । याकर अतिरिक्त जिमिनम स्वामित्व बिना रल किसानन हानीनोक्सानीके भरावन दाबी कर फे निसेक्ट ।<sup>११३</sup>

राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनके दफा ३(घ) से सरकारके दायित्व “राहत” डिहकला केल्ह सीमित कर्ल बा ओ ठेउरसे ठेउर क्षतिपूर्ति (भरावन) डेना दायित्वहन बेवास्ता कर्ल बा ।<sup>११४</sup> राहत निर्देशिकाके अनसार वन्यजन्तुसे रविपाटके क्षतिपूर्ति बेहोर्लक किसान बीस हजार रूप्यासमके राहत पाइसेकठ । उह फे बर्दिया निकुञ्जम असिक डेजिना कौनो फे राहत मानवअधिकारम आधारित हुइनासे फे सांकेतिक केल्ह रहल बा । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जके संरक्षण अधिकृतके अनसार हुँकन्हक कार्यालय ५०० आवेन पाइल रह लेकिन जम्म ४५ जन्ह केल्ह राहत पैल । काजे कि ठेउरअस जन्ह पुगल कागजान (जग्गाधनीके प्रमाणपत्र ओ

<sup>११०</sup> सुनी थारूसँगके अन्तर्वार्ता, २०७६ भाद्र ०६ ।

<sup>१११</sup> हिमायलयन टाइम्स, टाइगर किल्स फाइभ इन अ मन्थ इन बर्दिया, २० नोभेम्बर २०२०, [thehimalayantimes.com/nepal/tiger-kills-five-in-a-month-in-bardiya](http://thehimalayantimes.com/nepal/tiger-kills-five-in-a-month-in-bardiya)

<sup>११२</sup> राम अवतार थारूसँगके अन्तर्वार्ता, वडा नं ४, गेरुवा गाउँपालिका, २०७६ भदौ १२ गते

<sup>११३</sup> श्रद्धा घले, दी टाइगर एण्ड दी फार्मर, काठमाण्डु पोष्ट, १० अप्रिल २०१८, [kathmandupost.ekantipur.com/news/2018-04-10/the-tiger-and-the-farmer.html](http://kathmandupost.ekantipur.com/news/2018-04-10/the-tiger-and-the-farmer.html)

<sup>११४</sup> दफा ३ घ के व्यवस्था : राष्ट्रिय निकुञ्ज ओ आरक्ष से बाहिर वन्यजन्तुनके आक्रमणम पर्के धनजनके नो खसान हुइलसे, ओसिन क्षतिके सटाहा कहल (ट्वाकल) वमोजिम राहत डेजैने बा ।

मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिके सिफारिस पत्र समेत) बुझाए नैसेकल । जग्गम स्वामित्व नरहउइयन - जिहिम आदिवासी जनजाति ओ दलिन फेन पठ - राहत पाइक लाग योग्य फेन नै हुइट ।

राहत डेगैलसे फे भट्टहैं नैडेजाइट । राहतके लाग निवेदन डेना प्रक्रिया लम्मा ओ करी बा । याकर लाग निवेदकन एकठो फाराम भरपठा, जग्गाधनीके प्रमाणपत्र, जग्गाके फोटु ओ क्षतिसम्बन्धी विवरणलगायतक कग्डीकग्डा उपलब्ध गराइ पठा ओ ओहिन मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिम लेक जाइपठा । समिति उक्त कागजातके अध्ययन कैके प्रमाणीकरणके लाग वडा कार्यालयम पठैठा ओ वडा कार्यालयके प्रमाणीकरणके पाछ राष्ट्रिय निकुञ्जके कार्यालयम पठैठा । हम्र बाट कर्लक स्थानीयन एकदम डान्चे केल्ह राहत, भड्खन्हा प्रक्रिया, प्रमाणीकरण ओ भुक्तानीम हुइना ढिलासुस्ती (वर्षम एकचो केल्ह विवरण कैजाइट) ओ निश्चित प्रकारके जानबरन (जस्ट बाँदर)से फ्यारकफ्यारा हुइना हैके लाग राहत अभावके बारेम गुनासो कर्ल ।<sup>११५</sup>

## ४.४ मनलगी गिरफ्तारी ओ हिरासत, यातना ओसहक और दुर्व्यवहार ओ डेउर बल बेल्साइ

आदिवासी जनजातिहुँकन राष्ट्रिय निकुञ्ज ओ आरक्षणके क्षेत्रम गैलकओसे घरीघरी गिरफ्तार कर्ना ओ हिरासतम ढर्ना कैगिल बा । हुँकनमध्ये डेउरजन्ह पार्कम तैनाथ सेनाके कर्मचारीनके दुर्व्यवहार ओ यातना फेन ख्याप पलक, परिणाम स्वरूप किहुनके ज्यान गैल बटन । सेना महिनम करिब ४०० जन्हन गिरफ्तार कर्ना कर्ल चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जम खटागैलक नेपाली सेनाके इकाई बटुक दल गणक प्रमुख अरुण श्रेष्ठ सन् २०२० के जुलाइम कल ।<sup>११६</sup>

नेपालम वन्यजन्तुसम्बन्धी अपराधम ठुन्वाम परूइयनके गिन्टिम आदिवासी जनजाति समुदायक मनै डेउर रहलक डेउर अध्ययन ओ प्रतिवेन संकेत कर्ल बाट ।<sup>११७</sup> अधिकारीनसे सड्डअस वन्यजन्तुसम्बन्धी अपराधम संलग्न शक्तिशाली निकायनके सटाहा गरिब ओ न्यून आय रहूइयन गिरफ्तार कर्ना कर्लक आलोचकनके कना कर्ल बट ।<sup>११८</sup> नेपालम वन्यजन्तुके बेपारम संलग्न हुइलक आरोपम जेल सजाय भोगना डेउरअस मनै आदिवासी जनजाति समुदायके ओ खास कैख चेपाङ, थारू ओ तामाङ समुदायके रहलक बाट एकठो भख्खर ओरैलक अध्ययन पुष्टि कैराखल । हुँकनमध्ये डेउरअस गरिबीके छैहेम रहलक घरपन्यारके रहलक बट । असिन सजायसे हुँकन्हक जीविकोपार्जन ओ लर्कापर्कावनके शिक्षाम घिनावन

<sup>११५</sup> प्रभावित किसान हुँकन्हक लक्षित समूह बखेरी, वडा नं. ४, गेरुवा गाउँपालिका, २०७६ भदौ १२ गते

<sup>११६</sup> काठमाण्डु पोष्ट, चेपाङ युवाको मृत्युमा नेपाली सेनाको सुरक्षाकर्मी माथि आरोप लगाइयो, २५ जुलाई २०२०, [tkpo.st/3f0axFU](http://tkpo.st/3f0axFU)

<sup>११७</sup> उकेश राज भुजुसमेत २००९। “रिपोर्ट अन दी फ्याक्टस् एण्ड इस्युज अन पोचिङ्ग अफ मेगा स्पेसिज एण्ड इलिगल ट्रेड इन दियर पाटर्स् इन नेपाल,” ट्रान्स्पेरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल। यी फे हेरी : रोशन सेढाई, “थ्रि जेनेरेसन्ज् अफ राइनो पोचिङ्ग, प्रजाज् स्टिल डर्ट पुअर”, २० मार्च २०१७, [myrepublica.nagariknetwork.com/news/16769/](http://myrepublica.nagariknetwork.com/news/16769/)

<sup>११८</sup> काठमाण्डु पोष्ट, स्मल फिस एण्ड स्केपगोट्स्, ३ अप्रिल २०१७, [kathmandupost.com/opinion/2017/04/03/small-fish-and-scapegoats](http://kathmandupost.com/opinion/2017/04/03/small-fish-and-scapegoats)



असर परल बटन, पन्यारनके सदस्यनसे श्रीसम्पत्ति ब्याँच या बसाइँ सर करी परल बटन, जन्नीनसे डुर हुइ परल बटन या जन्नी/ठर्वा छ्वारपर्ना हुइल बटन ओ यिहींले बरा गहिँर सामाजिक कलंक पैदा कैराखल ।<sup>११९</sup>

भरतपुरम रहलक एकठो गैरसरकारी संस्था मध्यवर्ती क्षेत्र जनअधिकार महासंघ (प्रभात किरण सेवा समिति) के अभिलेक अनुसार सन् २०१५ के जनवरी-फेब्रुअरीसमम वन्यजन्तुसम्बन्धी अपराधम १५१ जन्ह मनैन चितवन जिल्ला कारागारम ठुन्वम ठैगिल रह । सन् २०१४ म राष्ट्रिय निकुञ्ज ओ वन्यजन्तु संरक्षण विकागसे वन्यजन्तुसम्बन्धी अपराधम १४२ जन्हन हिरासतम लेगिल रह । यिहिमसे आरोपित ७३ जन्हन भुट्टा आरोप लगागिल रह । १४२ मनसे ६४ जन्ह चेपाडन रलह ओ और भर कुमाल, बोटे ओ थारू समुदायके आदिवासी जनजातिन रलह ।<sup>१२०</sup> यी संस्थासे सन् २०१८ अप्रिलसे २०२० अप्रिलसम ४४ जन्ह जन्नी मनै ओ १५२ जन्म थारू मनैनक मच्छी मर्ना जाली अछिन्लक, डुङ्ग विग्राडेलक, मारपिट कैगिलक ओ मनलगी हिरासतम लेगिलकसम्बन्धी १९६ ठो उजुरीहन अभिलेक कैराखल ।<sup>१२१</sup>

बर्दिया जिलक गेरुवाके थारू समुदायक मनै (उपर हेरी) नेपाली सेनाके अधिकारीनसे विभेदजन्य बेभार ओ पिट्वा पैटि अइलक अर्जी कर्ल । सीमाना नहाडक कानुनी हिसाबम आपन स्वामित्वम रहलक लेकिन अखिस बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज भिट्टर पर गैलक जग्घम कैलक ओसे जो एकजन्ह भूतपूर्व बरघर दीपेन्द्र थारू अप्नहन गिरफ्तार कैके ब्यारेकम लैगिलक अर्जी कर्ल । “म्वार आपन स्वामित्वके जिमिनम पाइला टेक्के मै का अपराध कर्ल रनहु ?”, ऊ एम्नेस्टी इन्टरनेसनल ओ आत्मनिर्भर केन्द्रह कल ।

सड्डअस काठीपट्या कर बन्वम पैठपर्ना हुइलक मार निकुञ्जके आँजरपाँजर बैस्ना जन्नी मनैन मानवअधिकार उल्लङ्घनके जोमिम बट । २०६९ वैशाख ३० गते नेपाली सेनाके एकजन्ह सिपाहीसे चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जअन्तर्गतके बेल्सार सामुदायिक बन्वम एकजन्ह भूमिहीन जन्नीहन पिटलसँग यौनजन्य हिसाबसे आक्रमण कर्ल ।<sup>१२२</sup> सेनाक जवानहन स्थानीय जन्नीनसे “भ्वाज” कैके आपन डुबस्यो पोस्टिड ओराइल पाछ बेपत्ता हुइलक घटना फेन ठेउर बाट । ज्याकरओसे जन्नीन भोजाहा सम्बन्धसे फे औरजहनसे जर्मलक लर्कापर्का हुकैना ओ सामाजिक कलंकके शिकार ह्वाइ पुगल बट ।<sup>१२३</sup>

<sup>११९</sup> कुमार पौडेल, गेरी आर पटर एण्ड ज्याकोब फेल्ट्स। फेब्रुअरी २०२० (अनलनाइनम उपलब्ध बा : १५ डिसेम्बर २०१९) । ‘कन्जर्भेसन इन्फोर्मेन्ट: इन्साइट्स् फ्रम पिपल इन्कासरेटेड फर वाइल्डलाइफ फर काइम्ज् इन नेपाल’। कन्जर्भेसन साइन्स एण्ड प्राक्टिस, भोल्थुम २, इस्थु २ ।

<sup>१२०</sup> काठमाण्डु पोष्ट, स्मल फिस एण्ड स्केपगोट्स, ३ अप्रिल २०१७, , [www.kathmandupost.com/opinion/2017/04/03/small-fish-and-scapegoats](http://www.kathmandupost.com/opinion/2017/04/03/small-fish-and-scapegoats)

<sup>१२१</sup> एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालहन उपलब्ध करागैलक दस्तावेज, डिसेम्बर २०२०

<sup>१२२</sup> बिपुलेन्द्र अधिकारी। २९ मे २०१२। “इन्क्वायरी इन्टु यालिजिड् रेप् बाइ सोल्जर्स,” *रिपब्लिका*, [myrepublica.com/archive/61197/Inquiry-into-alleged-rape-by-soldier](http://myrepublica.com/archive/61197/Inquiry-into-alleged-rape-by-soldier)

<sup>१२३</sup> काठमाण्डु पोष्ट, मेन इन गिन, २२ मे २०१८, [kathmandupost.ekantipur.com/news/2018-05-22/men-in-green.html](http://kathmandupost.ekantipur.com/news/2018-05-22/men-in-green.html) छबिलाल न्यौपाने ओ चित्र बहादुर माझी, *संरक्षित क्षेत्रका द्वन्द*, माझी मुसहर बोटे कल्याण सेवा समिति, नवलपरासी ओ प्रभात किरन सेवा समाज, चितवन, २०१७।

सन् २०१० म नेपाल स्थित मानवअधिकार उच्चायुक्तके कार्यालय (उच्चायुक्तको कार्यालय-नेपाल)से सुरक्षाकर्मीनसे हुइलक डेउर ओ डेउर जसिन ब्यालम बिनपट्टक बल बेल्सलक सवालम एकठो सरोकारके पक्का छोटकरी प्रकाशन कैरखलाहा । यिहिम ६ ठो घटनाहन दस्तावेजीकरण कैगिल रह । जिहिम उच्चायुक्तके कार्यालय बर्दिया ओ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज ओ पर्सा वन्यजन्तु आरक्षम गस्ती कर्ना नेपाली सेननसे कर्ना बलके गैरकानुनी तरिकासे बेलसौलक पक्का आरोप भेटारखलाहा । उच्चायुक्तके कार्यालय लिखाखल :

**सेना ओ राष्ट्रिय निकुञ्जके अधिकारिनसे पीडितहुँक चोरी शिकारी कर्ना मनै रहलक ओ हुँकन आत्मरक्षाके ब्यालम मुलक दाबी कर्ती हुँकन्हक जयान गैलकहन वैधानिकता डेरखल । यी सक्कु मुद्दाम कैगिल यी दाबीक उपर शंखा पैदा हुइना खालके प्रमाण बाट ओ यिहीले स्वतन्त्र छानविनके माग कर्ठा । यी मुद्दाम सेना पुलिस्वनक अनुसन्धानम नैसखैल हो ओ सम्बन्धित मनैहुँकन सोधपुछके लाग पुलिसनकेठे उपस्थित फे नै करैलहो । १२ वर्षीया लर्किन्यासे लेक तीन जन्ह जन्नीनके हत्या कैगिलक (-) बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जके मुद्दाम सेना ओ राष्ट्रिय निकुञ्जके अधिकारीन पीडितके पन्यारहुँकन फैजदारी उजुरी फिर्ता लिहकटे दबाब डेख फैजदारी जवाफदेहिता अवरोध कर्नाम कन्कनार हुइना काम कर्ल । संशोधित सैनिक ऐनम असिन मुद्दाम अनुसन्धान ओ अभियोजन कर्ना विषयहन पक्का रूपम नागरिक अधिकारके क्षेत्राधिकारभिद्दर ठैल रलसे फे यिहिम सखाइकटे सेना पाछ पज्गुर्ती बा । यी घटनासे राष्ट्रिय निकुञ्ज ओसहक वन्यजन्तु संरक्षण ऐनम रहलक कमजोरीन फे उजागर कर्ल बाट । यिहीसे ज्यान उपर कौना खतरा नैरहल ब्यालम फे बन्दुक बेल्सकटे अनुमति डेल बा ।<sup>१२४</sup>**

पाटछक कुछ वरसम नेपाली सेनासे घातक बल डेउर बल बेल्सलक बारेम डान्छे, केल्ह समाचारम अइलक रलसे फे यातना (कब्हुकाल ज्यान गैलक), बलात्कार ओ और मानवअधिकार उल्लङ्घनके समाचार आम्हिन फे सड्डअस अइटी बा । टर व्याख्य कैल अस हत्या कैगिल मनैनक पन्यारन न्यायके अश्रम रहल बट ओ हुँकन आम्हिन प्रभावकारी उपचार नै डेगिल हो ।

<sup>१२४</sup> उच्चायुक्तको कार्यालय-नेपाल, तराईमा भएका गैरन्यायिक हत्याका आरोपहरूको अनुसन्धान, उच्चायुक्तको कार्यालय-नेपालके सरोकारक सारसङ्क्षेप, जुलाई २०१०, पृष्ठ ९, [nepal.ohchr.org/en/resources/Documents/English/reports/HCR/Investigating%20Allegations%20of%20Extra-Judicial%20Killings%20in%20the%20Terai.pdf](http://nepal.ohchr.org/en/resources/Documents/English/reports/HCR/Investigating%20Allegations%20of%20Extra-Judicial%20Killings%20in%20the%20Terai.pdf)

प्रभावकारी उपचारके अधिकारहन नागरिक ओ राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि (आइसिसिपिआर), आर्थिक, सामाजिक ओ सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धि (आइसिडिएससिआर) ओ जातीय विभेद (टरउपर) उन्मुलनसम्बन्धी महासन्धि (सर्ड) लगायत नेपाल पक्ष राष्ट्र हुइलक ठेउर मानवअधिकार सन्धिनम समावेश कैगिलक बा । सन् २००५ म संयुक्त राष्ट्रसंघके महासभासे अनुमोदन कैगिलक अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानूनक घोर उल्लङ्घन ओ अन्तर्राष्ट्रि मानवीय कानूनके कर्ता उल्लङ्घनके पीडितनके लाग उपचार ओ परिपूरणके अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय आधारभूत सिद्धान्तम यी अधिशारहन गम्कार बना राखल ।<sup>१२५</sup> याकर मुख्य पाँचठो अवयव बटस् : परिपूरण, क्षतिपूर्ति (भरावन) पुनरागमन, पुनःस्थापना, सन्तुष्टि ओ फेर नैडोहरैना पक्कापक्की । सन्धिनके कार्यान्वयनके अनुगमन कर्ना ठेउरअस सन्धि निकयनसे खास-खास उल्लङ्घननक सवालम कसिन उपचार डिह पठा कना बारेम फछ्वारसे व्याख्या कैरखल ।

यातना, नैमजा बेभार ओ गैर न्यायिक हत्याके पीडित ठेउर जहन जाहेरी दरखास्त (जाहेरी) या एफआइआर, फैजदारी अनुसन्धानके लाग औपचारिक उजुरी) दायर करबेर कर्ता भङ्खन बा । असिन उजुरी फौजदारी कार्यविधि संहिताअनसार स्थानीय प्रहरीम दर्ता करपर्ना हुइलकओसे यहीले बरा भङ्खन उटैठा । पुलिस फ्यारकफ्यारा जाहेरी दर्ता कर निमानट या जाहेरी मानसे पहिले जाहेरी विषयवस्तु फ्यारकटे जाहेरी डेनाहन दबाव डेठा ।<sup>१२६</sup>

#### ४.४.१ चितवन - राजकुमार चेपाडः दुर्व्यवहार ओ यातनाके ओसे मृत्यु

२०७७ असार २ गते राप्ती नगरपालिका वडा नं. २ के २६ वर्षक राजकुमार चेपाड ओ और ६ जन्ह (टिनजन्ह चेपाड थारू मनै, डुजन्ह चेपाड जन्नी मनै ओ आदिवासी राई समुदायके एक जन्ह) लड्डेम घाँधी (शङ्खेकिरा के एक प्रजाति जिहिहन बरी मीठसे खाजिठा) बिन्ना कैखे चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज भिट्टर पैठल रलह । सेनाक एकज सिपाही हुँकन गिरफतार करल ओ निकुञ्जभिट्टर यातना डिहल । हुँकन उह डिन छोरडिहल रलहन । राजकुमार चेपाडके घरक मनैनके अनसार घर घुमल पाछ पिट्वापैलक मार ऊ बेराम पर्ल । उहिँन अस्पतालम भर्ना कैगिल लेकिन २०७७ असार ८ गते ऊ मुगैल ।

यातना खेपक जिट्टी रहइया एकज सन्तोष चेपाड कल :

<sup>१२५</sup> उच्चायुक्तको कार्यालय । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानूनको घोर उल्लङ्घन ओ अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनको कर्ता उल्लङ्घनका पीडितनके लाग उपचार ओ परिपूरणके अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय आधारभूत सिद्धान्त ओ निर्देशिकन । १६ डिसेम्बर २००५ के महासभाके प्रस्तावना ६०/१४७ ।

<https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/remedyandrepairation.aspx>

<sup>१२६</sup> उच्चायुक्तको कार्यालय-नेपाल, तराईम हुइलक गैरन्यायिक हत्याके आरोपनके अनुसन्धान, उच्चायुक्तको कार्यालय-नेपालको सरोकारके सारसङ्क्षेप, जुलाई २०१०,

[nepal.ohchr.org/en/resources/publications/Investigating%20Allegations%20of%20Extra-Judicial%20Killings%20in%20the%20Terai.pdf](http://nepal.ohchr.org/en/resources/publications/Investigating%20Allegations%20of%20Extra-Judicial%20Killings%20in%20the%20Terai.pdf)

“जब नेपाली सेनाके सिपाही हमन भेटाइल टब हम्र एकठो छोटीमोटी साँक्री (कुल्लोम)म घाँधी बिन्टरलही । सुरूम ट उ हमन प्रश्न पुछल । हम्र निकुञ्जम पैँटलकम क्षमा मङ्गली । हम्र मध्ये एकजहन ऊ “ऊ उहाँ” उहाँ जाओ कैके कल, हुँकहिन पानीम लम्पसार होक सुट कहल ओ ऊ ठिहुनसम घल्लक बुटले ठाइलागल । वाकर पाछ ऊ सिपाही मही उहाँ जाइ कहल । मही फे ओसहक पिटल । बरी करक पिटल । डुजन्ह जन्नीन बाहेक हम्र सक्कुन २०-२५ मिनेटस पिट्टरहल । जब जन्निन हम्रहिन जिपिट्ढेओ कैक अर्जी कर्ल टब जन्नि फे करक गर्याइल । वाकर पाछ हमन ठेङ्गा बोकाक प्रशासनसम नेगाइल । हमन डग्रिम फे फेर पिट्गैल । जब हम्र ब्वाल खोजी टब सिपाही ब्वाल फे निडिहल । निकुञ्जके अधिकारी हामा फोटु लिहल ओ नाउ दर्ता करल । सुरूम अधिकारी हर मनै हजार/हजार रूप्या टिर्ना कहल । लेकिन हम्र ओत्रा ठेउर रूप्या नैहो कैके अर्जी कर्ली । पाँचसय रूप्या टिर्ना राजी हुइली । घर घुम्ना ब्याला राजकुमार मजासे न्याड फे नैस्याकटलह । हम्र उहिन न्याड सखैली । हुँकाहा अवस्था भन बिग्रिट गैलन ओ ओक्रहे मार हुँकाहा ज्यान जो गैलन ।<sup>१२७</sup>

राजकुमारसँग खोल्लोम गैलक सन्तलाल प्रजा डुजन्ह जन्नी मनै बाहेक उ ओ ओइनके सडघरियन सिपाही पिट्लक कल । हुँकहिन गम्हिर ठेङ्गा सार ओ १०० फ्यारासम पुसअप कर लगैलक फे उ कल ।<sup>१२८</sup> राजकुमार मुअल पाछ हुँकाहा पन्यार २०७७ साउन ८ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयम जाहेरी दरखास्त (जाहेरी बुझैल ।<sup>१२९</sup> जाहेरीम राजकुमारके बाबा

आपन छावहन सेना यातना डेलक ओ उहमार मुलक कैके दाबी कर्ल । २०७७ साउन १२ गते काठमाडौं, महाराजगञ्जस्थित त्रिभूवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालम राजकुमार चेपाङके मुअल शरीलके शव परीक्षण कैगिल रह । शव परीक्षणके पाछ परिवार साउन १८ गते शव बुझल ओ सामुदायिक परम्परा अनसार दाहसंस्कार कर्ल ।<sup>१३०</sup> शव परीक्षण प्रतिवेदन पुलिस ओ घरपन्यारन बुझागिल रह ।<sup>१३१</sup> रकट ओ तन्तुके आकुर परीक्षण क्रमशः राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशाला ओ राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाम हुइटरलक जनैटी शव परीक्षण प्रतिवेदन मुनाके कारण नै खुल्लक निष्कर्ष

<sup>१२७</sup> एडभोकेसी फोरम ओ तराई मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल, थुनाम हुइलक मृत्युके घटनाम अनुसन्धान कर्ना माग कर्ती कानुन, न्याय ओ मानवअधिकार समितिके अध्यक्षहन बुझागैलक ज्ञापन पत्र, २०७७ कुवाँर ६

<sup>१२८</sup> काठमाण्डु पोष्ट, नेपाल आर्मी पर्सोनल ब्लेम्ड फर डेथ अफ चेपाङ युथ, २४ जुलाई २०२०, tkpo.st/3f0axFU

<sup>१२९</sup> दी रेकर्ड, बेल्ल आउट बाई ब्लड मनी, ५ अगस्ट २०२०, recordnepal.com/wire/features/bailed-out-by-blood-money/

<sup>१३०</sup> दी रेकर्ड, बेल्ल आउट बाई ब्लड मनी, ५ अगस्ट २०२०, recordnepal.com/wire/features/bailed-out-by-blood-money/

<sup>१३१</sup> एडभोकेसी फोरम ओ तराई मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल, हिरासतम हुइलक मृत्युम अनुसन्धान करकटे माग कर्ती व्यवस्थापिका संसदके कानुन, न्याय ओ मानवअधिकार समितिम बुझागैलक ज्ञापन पत्र, २२ सेप्टेम्बर २०२० ।

डेराखल । लेकिन यिहीले डाहारिक डाबर उप्परके भागम “गहिरसे दरफराइल लाल भाग” ओ डाहारिक टरक भागम “डुठो रेखाकार रूपम रहलक खैयर दरफराइल भाग”के सँग डाहारिक टिनठो बाहेरी च्वाट रहलक जनाराखल ।<sup>१३२</sup> बाहेरी च्वाटसे मिल्ला डाहारिक भिट्टरिक परीक्षणसे ४ X २ से.मी. आकारके डुठो ओ ४ X ४ से.मी. आकारके एकठो च्वाट फ्याला परल ।<sup>१३३</sup>

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसे फे राजकुमार चेपाड मुनाके अनुसन्धान करल लेकिन यी प्रतिवेदन लिख्तिरहल ब्यालासम म आयोगके अनुसन्धान निचोडहन सार्वजनिक नैकैगिल हो ।<sup>१३४</sup>

नेपाली सेनासे अनुसन्धान शुरू कैगिलक जनाराखल । २०७७ साउन ९ गते जारी कैगिलक प्रेस विज्ञप्तिम सेनासे “अनुसन्धान प्रक्रियाके जिम्मेवारी पैलक सरकारी निकायन पूरा सखैना पक्कापक्की” जनाराखल ।<sup>१३५</sup>

अधिकारीन पहिल कानुनी कारवाहीके प्रक्रिया छोलसे अदालत बाहिरसे कुछ आर्थिक सहयोग डेना प्रस्ताव कर्ल । जिल्ला प्रशासन कार्यालयम मिति २०७७ साउन १६ गते हुइलक कचेरीम चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जक अधिकारीन सात लाख रूप्या ओ राप्ती नगर कार्यालयसे तीन लाख रूप्या राजकुमार चेपाडके पन्यारहन डेना पक्कापक्की कर्ल रहल ।<sup>१३६</sup> कुछ ढिल हुइलसे फे सन् २०२१ अप्रिलसमम राप्ती नगरपालिका ओ राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय डेना कैखे कबुल कर्लक रूप्या भर डेरखल । राजकुमारसँग सेनाके हिरासतम पिट्वा पउइया सन्तोष चेपाडलगायतक और ६ जन्ह आम्हिनसम न ट असिन आर्थिक सहयोग रूप्या पैल बट न ट और कौना परिपूरण जो पारखल ।<sup>१३७</sup>

व्यापक मनैनके दबावके पाछ केल्ह अधिकारिन फौजदारी अनुसन्धान कैरखलह । पाछ, २०७७ असोज ४ गते नेपाली सेनाके एक सिपाहीहन हत्याके आशंकाम गिरफ्तार करल ।<sup>१३८</sup> ०७७ असोज २७ म चितवन जिल्ला अदालतसे ओहिन मुद्दा फर्स्योट नैहुइसमके लाग

<sup>१३२</sup> २०७७ साल असार २८ गतेको शव परीक्षण प्रतिवेदन, पृष्ठ २ ।

<sup>१३३</sup> शव परीक्षण प्रतिवेदन, पृष्ठ ४ ।

<sup>१३४</sup> काठमाण्डु पोष्ट, न्यासनल ह्युमन राइट्स कमिसन टेक्स सिरिअस् एक्सेप्सन टु दी फोर्सफुल इभिक्सन याण्ड किलिड अफ अ युथ बाई चितवन न्यासनल पार्क अथरिटीज्, २७ जुलाई २०२०, यिहाँ उपलब्ध बा : [kathmandupost.com/province-no-3/2020/07/24/national-human-rights-commission-takes-serious-exception-to-the-forceful- eviction-and-killing-of-a-youth-by-chitwan-national-park-authority](http://kathmandupost.com/province-no-3/2020/07/24/national-human-rights-commission-takes-serious-exception-to-the-forceful- eviction-and-killing-of-a-youth-by-chitwan-national-park-authority)

<sup>१३५</sup> एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालसे सन्तोष बल्लभ पौडेलसँग हुइलक बाटचीत, २०७७ कुवाँर ३० ।

<sup>१३६</sup> काठमाण्डु पोष्ट, अग्रिमेन्ट टु प्रोभाइड रुपिज् वन मिलियन याज अ रिलिफ टु राज कुमारज् फेमिलिज्, २ अगस्ट २०२०, यिहाँ उपलब्ध बा : [tkpo.st/30hHg5x](http://tkpo.st/30hHg5x)

<sup>१३७</sup> राप्ती नगरपालिका, चितवनके सन्तोष चेपाडसँगके बाटचीत, २०७७ कुवाँर २८ गते ।

<sup>१३८</sup> काठमाण्डु पोष्ट, नेपाल आर्मी सोल्जर हेल्ड अन चार्ज अफ असल्टिङ्ग चेपाड युथ इन चितवन नेसनल पार्क इन जुलाई, ३० सेप्टेम्बर २०२०, [tkpo.st/3mZ5JG9](http://tkpo.st/3mZ5JG9) ओ १३ अक्टोबर २०२० म एडभोकेसी फोरमके कार्यकारी निर्देशक ओम प्रकास सेन ठकुरीसँगके बाटचीत ।

ठुन्वाम पठैना आदेश डिहल ।<sup>१३९</sup> अदालतसे २०७८ असार २८ म ओहिन ९ महिना कैद ओ रू.२,००० जुवाना सहितके सजाय हुइना फैसला करल । अदालतसे ओहिन पीडितके पन्यारन डु लाख रूप्या क्षतिपूर्ति टिर्ना आदेश फेन डिहल ।<sup>१४०</sup> वाकर पाछ ऊ टुरुन्ट रिहा हुइल रलह ओ टिरपर्ना जुवाना घटाक डु हजार रूप्या बनागिल रह । काजेकी ओत्रा ब्यालासम ऊ नौ महिनासे ठेउर समय जेलम बिटा स्याकल रलह । फैसालके अध्ययनसे का डेखपरट कलसे ऊ सिपाहीहन मुलुकी अपराध संहिता ऐनके दफा १८२ (३) अन्तर्गत ( हेलचक्राइले हुइलक मृत्यु) अनुसार सजाय कैगिल रह ओ अदालतम प्रमाण डिहबेर हुँकनसे घौँधी बिन गैलक एक जन्ह बाहेक सक्कुज हमन नैपिटलक ओ सिपाही “गरैलक” केल्ह कैरख्ल । एकजन्ह साक्षि राजकुमार चेपाङहन लडडेम “हातपात” कैगिलक, पानीम उठबस कर पठैलक ओ हाँठले पिटलक कैरख्ल । यी लिख्तरहल ब्यालासम यी निर्णयके विरुद्ध कौनो फे पुनरावेदन दायर नैकैगिल हो । २०७८ साउन १४ म एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालसे टेलिफोनम बटोइना ब्यालम चितवन जिल्लाक सरकरी वकिलसे पुनरावेदन कर्ना सम्भावना रहलक कल । फैसला हुइलक ७० डिन भिट्टर पुनरावेदन दायर कर आवश्यक बा । एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल ओ आत्मनिर्भर केन्द्रसे यी मुद्दाहन लगघसे अनुगमन कर्तिरने बट ।

## ४.४.२ चितवन - शिखाराम चौधरी: दुर्व्यवहार ओ यातानके ओसें ज्यान गैलक

निकुञ्जमनसे हुँकाहा छावा चोरी शिकारी कैके लन्लक कैगिलक गैरक सिड नुकैलक आसंखम चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जके रेञ्जरन सन् २००६ जुनम शिखाराम चौधरीहन गिरफतार कैरख्लह । रेञ्जरन शिखारामके घरम आख खानतलासी करबेर सिड ट नैभेटैल लेकिन अदालतम अभियोजनक लाग बुझैलक कागजातअनसार हुँक शिखारामहन भर हिरासतम लेल ।<sup>१४१</sup>

हिरासतके क्रमम हुँकाहा ज्यान गैलन । शव परीक्षणम हुँकाहा साटो करड टुटलक देखपर्लन ओ हुँकाहा आडघर ‘लीलडाम ओ च्वाट’ डेखपरल रलहन । “छातीके पछारी ओ डाब्रेहोर ठेउर दबाब” मुना कारण रहलक जनागिल रह । उहमार शिखाराम साँस फ्यार निसेक्ल रलह ।<sup>१४२</sup> सातजन्ह डेखुइयन ओहिन लगढरे पिटलक कैके कल । वार्डेनसहितक

<sup>१३९</sup> अनलाइनखबरसोलजर अक्युज्ड अफ राज कुमार चेपाङ डेथ अरेस्टेड, १४ अक्टोबर २०२०, [www.onlinekhabar.com/2020/10/903128](http://www.onlinekhabar.com/2020/10/903128)

<sup>१४०</sup> काठमाण्डु पोष्ट, आर्मी म्यान कन्भिकटेड डेथ अफ म्यान इनसाइड चितवन पार्क, १४ जुलाई २०२१, [www.kathmandupost.com/province-no-3/2021/07/14/army-officer-convicted-in-death-of-man-inside-chitwan-park](http://www.kathmandupost.com/province-no-3/2021/07/14/army-officer-convicted-in-death-of-man-inside-chitwan-park)

<sup>१४१</sup> बजफिड न्युज, डब्लुडब्लुएफ फण्ड्ज गार्ड्ज हु टर्चर्ड याण्ड किल्ड पिपल, ४ मार्च २०१९, [buzzfeednews.com/article/tomwarren/wwf-world-wide-fund-nature-parks-torture-death\\_यो\\_पनि\\_हेर्नुहोस्\\_फ्याक्ट\\_फाइन्डिङ्ग\\_मिसन\\_रिपोर्ट\\_फेब्रुअरी\\_२०२०\\_भायोलेसन्ज्\\_अफ\\_इन्डिजिनस\\_पिपल्ज्\\_ह्युमन\\_राइट्स्\\_इन\\_चितवन\\_न्यासनल\\_पार्क\\_अफ\\_नेपाल\\_सबिमिटेड\\_टु:\\_इन्डिपेन्डेन्ट\\_प्यानेल\\_अफ\\_एक्सपर्ट्स्-डब्लुडब्लुएफ\\_इन्डिपेन्डेन्ट\\_रिभिउ\\_सबिमिटेड\\_बाई\\_लयर्ज्\\_असोसियसन\\_फर\\_ह्युमन\\_राइट्स्\\_अफ\\_नेपालिज्\\_इन्डिजिनस\\_पिपल\\_\(लाहर्निप\)\\_न्यासनल\\_इन्डिजिनस\\_उइमिन\\_फेडरेसन\\_\(एनआइडब्लुएफ\),\\_iwgia.org/images/publications/new-publications/2020/Violation\\_of\\_Indigenous\\_Peoples\\_Human\\_Rights\\_in\\_Chitwan\\_National\\_Park\\_of\\_Nepal.pdf](http://buzzfeednews.com/article/tomwarren/wwf-world-wide-fund-nature-parks-torture-death_यो_पनि_हेर्नुहोस्_फ्याक्ट_फाइन्डिङ्ग_मिसन_रिपोर्ट_फेब्रुअरी_२०२०_भायोलेसन्ज्_अफ_इन्डिजिनस_पिपल्ज्_ह्युमन_राइट्स्_इन_चितवन_न्यासनल_पार्क_अफ_नेपाल_सबिमिटेड_टु:_इन्डिपेन्डेन्ट_प्यानेल_अफ_एक्सपर्ट्स्-डब्लुडब्लुएफ_इन्डिपेन्डेन्ट_रिभिउ_सबिमिटेड_बाई_लयर्ज्_असोसियसन_फर_ह्युमन_राइट्स्_अफ_नेपालिज्_इन्डिजिनस_पिपल_(लाहर्निप)_न्यासनल_इन्डिजिनस_उइमिन_फेडरेसन_(एनआइडब्लुएफ),_iwgia.org/images/publications/new-publications/2020/Violation_of_Indigenous_Peoples_Human_Rights_in_Chitwan_National_Park_of_Nepal.pdf)

<sup>१४२</sup> बजफिडन्युज, डब्लुडब्लुएफ फण्ड्ज गार्ड्ज हु ह्याभ टर्चर्ड एण्ड किल्ड पिपल, ४ मार्च २०१९ (उपर हेरी)

टिनजन्ह निकुञ्जके अधिकारीन सुरूम गिरफतार कैके हत्याके अभियोग लगागिल रह ।<sup>१४३</sup> २०६३ साल फागुन २२ गते गिरफतार कर्लक नौ महिनाके पाछ हुकन्हक विरुद्धके मुद्दा अघारी लैजाय नैहुइट कना मन्त्रिपरिषद्के निर्णयके पाछ निकुञ्जके अधिकारनक उपर लगागैलक अभियोग अदालतम फिर्ता लेगिल ।<sup>१४४</sup> शिखाराम चौधरीके मृत्युउपरके अनुसन्धानहन रोक्वा कर्लकम सरकारसे कौना स्पष्टीकरण नैडिहल । यी घटनाम गाउँलेनसे दश लाख रूप्या बराबरके क्षतिपूर्तिके माड कर्ल । परिवारसे ६ लाख रूप्या पैलक पुष्टि कर्ल ।<sup>१४५</sup> अनुसन्धान आघ बहर निसक्लकओसे शिखारामके मुलक कारण अप्रमाणित अवस्थामा रहल बा ।<sup>१४६</sup>

### ४.४.३ बर्दिया: मनलग्गी गिरफतारी ओ हिरासत

निकुञ्जके सशस्त्र सुरक्षाकर्मीनसे अक्सर पिटपाट कर्ना, गरैना, हँसिया ओ मच्छी मर्ना सामा लेडेना कर्ना, मनलग्गी पक्राउ कर्ना ओ जरिवाना टिरैना कर्लक बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जके मध्यवर्ती क्षेत्रक आँजरपाँजरक गवँलेनसे सन् २०१८ म पत्रकारन कल । बिना अनुमति छाँढी छैना खर कटना कर्लक या मच्छी मारल पागैलसे असिन कर्ना गवँलेनसे कब्हुकाल सेननके पोष्ट आँजरपाँजर घाँस कटना, सरसफाई कर्ना, ब्यारेकके भिट्टम रँग लगैनाअस सेनाके कामकाज कर वाध्य पार्जिठा ।<sup>१४७</sup>

भर्निया, मगराडी गाविसके थारू गवँलेन ओ मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिबीचके भग्राके सन्दर्भम सन् २०१७ के मई म २० जन्हन गिरफतार कैके हिरासतम ढर्लक बरेम एम्नेस्टी इन्टरनेसनल ओ आत्मनिर्भर केन्द्रसे चौखटसे दस्तावेजीकरण कैरखल (उपर हेरी) । २०७४ बैशाख २७ म बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जम खटलक सेनाके सुरक्षाकर्मीनसे सात जन्ह थारून्या जन्नीन ओ १३ जन्ह थारून् निकुञ्जके मध्यवर्ती क्षेत्रम पर्ना मगराडी गाविस वडा नं. ६ के भर्निया ओ सिक्रोनेला वस्तमनसे गिरफतार कर्ल । हुँकन २५ डिनसम हिरासतम ढैगिलन ओ उ क्षेत्रक सक्कु १०५ थारू घरपचारसे ऊ ठाउँ छारा कर्ना पक्कापक्की करकटे हुँकन सहमत नैहुइटसम धम्कैना काम कैगिल । हुँक अन्तम रू.२८,२५०।- जनही धरौटीम २०७४ असार १ गते रिहा कैगिल । लेकिन हुँक दुई वरससम राष्ट्रिय निकुञ्जके कार्यालयम डु-डु महिनक बीचम तारेकटे डौर पर्लन ।<sup>१४८</sup>

<sup>१४३</sup> हिमालयन टाइम्स, वाइल्डलाइफ वार्डेन्ज् सस्पेन्डेड, १४ जुन २००६, [thehimalayantimes.com/nepal/wildlife-wardens-suspended/](http://thehimalayantimes.com/nepal/wildlife-wardens-suspended/)

<sup>१४४</sup> काठमाण्डु पोष्ट, नेपाली पार्क अफिसियल्ज् टर्चर्ड अ म्यान टु डेथ। देन दी गभर्नेमेन्ट एण्ड दी वर्ल्ड वाइड फन्ड फर नेचर रिवाडेड देम, ३ मार्च २०१९, <https://kathmandupost.com/investigations/2019/03/03/nepals-park-officials-who-beat-and-tortured-a-man-were-rewarded-by-the-government-and-the-world-wide-fund-for-nature>

<sup>१४५</sup> एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल, डुठो पचारनसे कैगिलक बाटचीत, डिसेम्बर २०१८

<sup>१४६</sup> डब्लुडब्लुएफसे गठन कैगिलक स्वतन्त्र विज्ञमण्डलके प्रतिवेदन, (उपर हेरी), पृष्ठ ११५। "डब्लुडब्लुएफसे एकठा सार्वजनिक वक्तव्य जारी कैके कमजोर निर्णय क्षमता प्रदर्शन कर्लक पागैल । विज्ञसिसे लगगक रहुइनके रिहाईहन "स्वागत" कैराखल ओ मृतक ओ हुँकन्हक पर्यारन या शिखाराम चौधरीके ज्यान गैलक घटनाके सन्दर्भम न्याय या जवाफदेहिताके लाग कौनो सरोकार व्यक्त नै कर्ल हो ।" कना बाट विज्ञमण्डलके अध्ययनसे पागैल बा। (पृष्ठ ११८)

यी फे हेरी : हिमालयन टाइम्स, वाइल्डलाइफ वार्डेन्ज् सस्पेन्डेड, १४ जुन २००६, उपर हेरी ।

<sup>१४७</sup> काठमाण्डु पोष्ट, मेन इन गिन, २२ मे २०१८, [kathmandupost.com/news/2018-05-22/men-in-green.html](http://kathmandupost.com/news/2018-05-22/men-in-green.html)

<sup>१४८</sup> आशा रानी थारू, केशुराम थारू ओ हरिराम थारूसँगके अन्तर्वार्ता, नोभेम्बर २०२०

गिरफ्तार कैगलकम सामुदायिक अभियानकर्मीहुँक केशुराम थारू, हरिराम थारू असुन्दरलाल थारू ओ ग्रामीण भूअधिकार मञ्चके अढिक्षा आशा रानी थारू रलह । आशा रानीहन बन्वमक रूखवा कट्लक ओ मध्यवर्ती क्षेत्रम गैरकानुनी सक बैस्लक आरोप लगागी रलहन । आशा रानीहन सात डिन पाछ रिहा कैरक्लहन । औरजहन भर २५ डिनसम ठुन्वाम ढैरख्लहन । धरौटी रूप्या टिरक लाग हुँक ऋण लिह परल रलहन । ऋणदाता ऋणमसे ३६ प्रतिशत ब्याज असुल करल । हुँक यी धरौटी रूप्या टिरकटे संघर्ष कर्ति बट ।<sup>१४९</sup>

---

<sup>१४९</sup> आशा रानी थारू, केशुराम थारू ओ हरिराम थारूसँगके अन्तर्वार्ता, नोभेम्बर २०२०



# ५. कानून ओ नीति

उपरके घटनाके सन्दर्भनसे जनाइलअस नेपालके संरक्षण कानून ओ नीतिनसे आदिवासी जनजातिनके सीमान्तीकरण ओ हुँकन्हक मानवअधिकार उल्लङ्घनम प्रत्यक्ष योगदान पुगैल बाट । असिक कर सखैना कानूनके ऊ प्रावधानन टर छोटकरीम डेगिल बा ।

## ५.१ राष्ट्रिय निकुञ्ज ओ वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९

राष्ट्रिय निकुञ्ज ओ वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ (राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन)<sup>१५०</sup> संरक्षित क्षेत्रके व्यवस्थापनहन निर्दिष्ट कर्ना एकठो पक्का कानून हो । संरक्षित क्षेत्रमन बैस्ना मनैनक आवश्यकताहन विचार जो बिनाकर्ल वन्यजन्तु संरक्षणम ध्यान केन्द्रित कर्लकम यी ऐनके लम्मा ब्यालासे खिसौरी (आलोचना) हुइटी आइल बा ।<sup>१५१</sup> स्थानीय समुदायक सदस्यन, अभियन्तन ओ संरक्षित क्षेत्रके निर्वाचित प्रतिनिधिनसे यी ऐनहन यदि पूरा विस्थापन कर नैमिल्ना हुइलसे यिहीहन डेउरसे डेउर फेरबदल कर माग कर्ती आइल बट ।<sup>१५२</sup> उह फे पाँच फ्यारा संशोधन होस्याकल पाछ फे कानून आधारभूत रूपम फ्यारलअस नै हो ।

यी कानूनके पक्का प्रावधान असिन बटस :

- यी ऐनअन्तर्गत नेपाल सरकारसे कौनो क्षेत्रहन “वाकर चार किल्ला समेत खोलगैलक सूचना नेपाल राजपत्रम प्रकाशित कैके” राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा कर सेक्ठा ।<sup>१५३</sup> नेपालसे अनुमोदन कर्लक आइएलओ महासन्धि १६९, आदिवासी जनजातिनके अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र ओ जैविक

<sup>१५०</sup> यी ऐन वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०१५ (सन् १९५८) हन प्रतिस्थापन कैरखलाहा ।

<sup>१५१</sup> नया शर्मा पौडेल, सुदिप जना ओ जैलाव कुमार राई। डिसेम्बर २०११। “कन्टेस्टेड लः स्लो रेस्पन्स टु डिमान्ड्स फर रिफर्मुलेटिड प्रोटेक्टेड एरिया लिगल फ्रेमवर्क इन नेपाल।” फोरेस्ट याक्सन नेपाल। छलफल पत्र नं. ११.५।

<sup>१५२</sup> काठमाडौं पोष्ट, माडी वार्ड चिफ अन हङ्गर स्ट्राइक अगेन्स्ट न्यासनल पार्क ल, २१ फेब्रुअरी २०२०, [kathmandupost.com/province-no-3/2020/02/21/madi-ward-chief-on-hunger-strike-against-national-park-law](http://kathmandupost.com/province-no-3/2020/02/21/madi-ward-chief-on-hunger-strike-against-national-park-law), ओ माडी लोकलज् प्रेस फर अमेन्डमेन्ट टु दी याक्ट, [kathmandupost.com/national/2018/04/15/madi-locals-press-for-amendment-to-act](http://kathmandupost.com/national/2018/04/15/madi-locals-press-for-amendment-to-act)

<sup>१५३</sup> राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन, दफा ३.१

विविधतासम्बन्धी महासन्धि लिखल रलक स्वतन्त्र ओ पैल्हे जनाउ सहमतिके व्यवस्था यी कानूनम नै हो ।

- लौव घोषणा कैगिल संरक्षित क्षेत्रम बैस्टि रहलक मनैनके अधिकारहन ध्यान नैडेकिल हो । राष्ट्रिय निकुञ्जम आपन समावेश ट्वाए गैलक ओसिन जग्गाधनी हुँकन ऐनम क्षतिपतिके कौनो व्यवस्था नैकैगिल हो ।<sup>१५४</sup>
- यी कानून (दफा ५) शिकार ख्याल, घरपालुवा लालाबाला मुर्गीचिडना चहाए, रूखवा काट, आवादी कर या बन्वा बेल्स ओ राष्ट्रिय निकुञ्ज या आरक्षम घर बनैनाम रोक्वा लगौल बा ।<sup>१५५</sup>
- उपर लिखलक रोक्वाके उल्लङ्घन कर्लसे ऐनके दफा २४ से यदि कसुर कर्ना मनै उम्कना या भग्ना मन बनाइल पागिलसे “अधिकार प्राप्त अधिकारीन” बिना पक्राउ पुर्जीक गिरफतार कर्ना अधिकार डेराखल । असिख गिरफतार कैगिलक मनैहन कानुनी कारबाहीक लाग मुद्दा हेर्ना अधिकारीनके आघ डगरके म्याद बाहेक २४ घण्टा भिट्टर लैजाही पठा ।<sup>१५६</sup>
- यी कानूनसे कसुर कर्ना मनैन गोली चलैनासे ‘उपाय नैरहलक’ ब्यालम असिक गोली चलाइबेर उह मनैनके यदि ज्यान जो गैलसे फे गोली चलुइया अधिकारीहन उन्मुक्ति मिल्ला प्रावधानके व्यवस्था कैराखल ।<sup>१५७</sup>
- ऐनके पाँच फ्यारक फेरबदलसे वन्यजन्तु अपराधम प्रमाणित ठहर्लक अभियुक्तहुँकन जरिवाना ओ कैद सजाय ठपराखल ।<sup>१५८</sup> निश्चित जनावर<sup>१५९</sup> विरूद्धके अपराधम हुइना सजायम अखिस पाँच लाखठेर दश लाख रूप्यासमके जरिवाना<sup>१६०</sup> या पाँचसे १५ वरससमके जेल सजाय या डुनु व्यवस्था बाट । और वन्यजन्तुके अवराधम एक लाख से पाँच लाखसम जरिवाना या एकठेस दश वरसके जेल सजाय या डुनु सजायके व्यवस्था कैराखल ।
- अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनसार आवश्यक मानगिलक आपन पुख्यौली जिमिनम रहलक संरक्षित क्षेत्रके संरक्षणक सवालमा आदिवासी जनजातिके स्वतन्त्र, पैल्हे ओ

<sup>१५४</sup> यी जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ के प्रावधान विपरित बा जौन क्षतिपूर्तिके व्यवस्था कर्लक ।

<sup>१५५</sup> राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन, दफा ५

<sup>१५६</sup> न्याय आयोग, lawcommission.gov.np/en/archives/13348

<sup>१५७</sup> बजफिडनिउज्, डब्लुडब्लुएफ फन्ड्ज् गार्डज् हु ह्याभ टर्चर्ड एण्ड किल्ड पिपल, ४ मार्च २०१९, यिहाँ उपलब्ध बा, <https://www.buzzfeednews.com/article/tomwarren/wwf-world-wide-fund-nature-parks-torture-death> यी प्रतिवेदनम स्वतन्त्र विज्ञ मण्डली (विचार उद्धृत कैगिलक)से डब्लुडब्लुएफ “मानवअधिकारके मापदण्डविपरित हुइना” गरी दफा २४ के कउनो फे बेल्सलक विषयहन विरोध करपर्ना सम्बन्धम स्पष्ट पारकटे सिफारिस कैराखल ।

<sup>१५८</sup> पाँचौं संशोधन विधेयकके दफा १३ हेरी ।

<sup>१५९</sup> यी जानवरनम गैडा, बाघ, हाँठी, मृग, पाटे चितुवा, हिम चितुवा पठ ।

<sup>१६०</sup> पहिले जरिवाना रकम रु. पचास हजारठेस एक लाख रह । निकुञ्ज ऐनके दफा २६ हेरी ।

सूचित सहमति पाइक लाग ऐनसे प्रभावकारी सहभागिताहन सहजीकरण नैकरट  
।<sup>१६१</sup>

- राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन वन्यजन्तुके ओसे है बेहोर्लक या बाहार या भूक्षयके ओसे आपन जिमिन राष्ट्रिय निकुञ्ज या आरक्ष वा मध्यवर्ती क्षेत्रम पर गैलसे सम्बन्धित जग्गाधनीहन क्षतिपूर्ति डेना व्यवस्था हैराखल । लेकिन क्षतिपूर्तिसम्बन्धी प्रक्रिया लम्मा ओ भडखन्हा बा । यी क्षतिपूर्ति राष्ट्रिय निकुञ्जसे मध्यवर्ती क्षेत्रक लाग छुट्टैलक रूप्या ओ मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिके प्राथमिकताम निर्भर बा ।<sup>१६२</sup> जग्गाधनी प्रमाणपत्र नैरहुइयन, जिहिम डेउरअस आदिवासी जनजाति ओ दलितन पर्थ, असिन क्षतिपूर्ति पाइकटे अयोग्य हुइठ ।

## ५.२ वन ऐन, २०७६

डिन्छे आघ लागू हुइलक वन ऐन, २०७६<sup>१६३</sup> से सरकारहन राष्ट्रिय वन क्षेत्रके रूपम घोषणा कर्ना अधिकार डेगिल बा ओ राष्ट्रि निकुञ्ज ओ वन्यजन्तु आरक्षसे औरहोर रहलक “राष्ट्रिय वन क्षेत्र”<sup>१६४</sup> के भूस्वामित्व नेपाल सरकारम<sup>१६५</sup> रहना व्यवस्था कैराखल ।

यी कानुन अनसार :

- कौनो फे बन्वक क्षेत्रके जग्गाहन बैस्ना ओ फेरबैस्ना उद्देश्यके लाग बेल्स नैसेक्जाइट ।<sup>१६६</sup>
- बन्वक क्षेत्रके जग्गा जोत्ना, कोर्ना, आवाद कर्ना ओ घर या भौंप्री बनैना, व्यवसाय सञ्चालन कर्ना या और मेहिक अतिक्रमण कर्ना कानौ फे काम डेउरम पाँच वरससम कैद या एक लाख रूप्या जरिवाना या डुनु सजाय हुइना कसुर रहल बा ।<sup>१६७</sup>

<sup>१६१</sup> आदिवासी जनजातिके अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय घोषणापत्र, २००७ के धारा २९, ३१, ३२ ।

<sup>१६२</sup> दफा ३ (ग) म असिन व्यवस्था कैराखल : मध्यवर्ती क्षेत्रभिटरके कुइ वासिन्दाके घर जग्गा बाहार पहिरोके मार राष्ट्रिय निकुञ्ज या आरक्षके प्राकृतिक सिमानाभिटर पर गैलसे ओसिन वासिन्दाके उठिबास हुइलसे दफा १६ग. बमोजिम गठित उपभोक्ता समितिके सिफारिसम सम्बन्धित राष्ट्रिय निकुञ्ज या आरक्ष दफा २५क. बमोजिम स्थानीय जनताके सामुदायिक विकासके लाग छुट्टया गैलक रूपमनसे निजहन मुनासिव माफीकके क्षतिपूर्ति डेजेने बा ।" दफा २५ से निकुञ्ज, आरक्ष या संरक्षित क्षेत्रम जमा कर्लक ३० ठेस ५० प्रतिशत कोषहन सामुदायिक विकासम बेल्सना व्यवस्था कैगिल बा ।

<sup>१६३</sup> वन ऐन, २०७६ (२०१९)से वन ऐन २०४९ (१९९३) हन प्रतिस्थापन कैराखल ।

<sup>१६४</sup> वन ऐन, २०७६ (२०१९), दफा २ 2(त) ल "राष्ट्रिय वन" म निजी वनबाहेकके सक्क बन्वहन समावेश कैराखल ।

<sup>१६५</sup> ऐजन, दफा ३

<sup>१६६</sup> ऐजन, दफा १२ ओ दफा ४९ (ग)

<sup>१६७</sup> ऐजन, दफा ५० (३)

- अन्तर्राष्ट्रीय मानवअधिकार कानूनके विपरित हुइनाअस आदिवासी जनजातिनके भूमिअधिकार जोगाइक लाग कानूनम कौना प्रावधान ढैल नैहो या वन ऐनअन्तर्गतके बन्वक क्षेत्रम बैस्टरहलक मनैनके जबस्ती निक्रावा पैनाके विरूद्ध कौनो व्यवस्था नै कैगिल हो।<sup>१६८</sup>
- अधिकारीन बन्वक क्षेत्रम बनागैलक घर या भौफ्रीन हटाइक लाग अधिकार डेगिल बटन लेकिन असिक निक्राइवेर ध्यान पुगाए पर्ना प्रक्रिया ट्वाकल नैहुइन।
- नेपाल सरकारसे डेगिलक लि या और कौना आधारम बाहेक कौनो फे मनैनह बन्वक क्षेत्रम कौनो फे हक पाइल नैहुइत।<sup>१६९</sup>
- यी ऐन बन्वा पैदावारहन<sup>१७०</sup> हटैना, ओसारपसार कर्ना, बेचबिखन कर्ना ओसहक रूखवा टेलवा या ओइनके हड्ग्या कट्ना<sup>१७१</sup> अस मेहिक गतिविधिन रोक्वा कैराखल। परम्परागत विरीबिर्वा ओ जरिबुटी खोज्ना बाटम कौना अपवादके व्यवस्था नैहो।<sup>१७२</sup>

## ५.३ आवासके अधिकार ऐन, २०७५

यी ऐनम दफा ५(४) म निक्रावा पैनासम्बन्धी प्रक्रियाके व्यवस्था कैगिल बा। जिहिम खास कैख असि प्रक्रिया पठा :

- कौनो फे निक्रावापैनाके काम करसे पहिल अगधो परामर्श, सूचना ओ आवासमसे हटाजैना मनै ओ पय्यारके पहिचान कर्ना काम कैगिल रहपठा।
- हटैना व्याला ओ ठाउँम अधिकार पैलक अधिकारी या निजके प्रतिनिधिके उपस्थिति हुइल रहपठा। राटिक ब्यला, पैनाहा (गर्भवती) जन्नी मनै बट कलसे टनिक ध्यान पुगाए परठ।
- अन्तर्राष्ट्रीय मानवअधिकार मापदण्डअन्तर्गत चहना प्रक्रियागत प्रत्याभूतिन जस्ट प्रमाणीकरण, निक्त्रैनाके निर्णयके सुनुवाइके लाग कानौ एकठो संयन्त्रम पहुँच, अपनहेक व्यवस्थापनके प्रबन्ध कर नैसेकुइयन वैकल्पिक आवासके व्यवस्था ओ क्षतिपूर्ति असके बारेम यी कानूनम व्यवस्था नै कैगिल हो।<sup>१७३</sup>
- जबस्ती निक्त्रैनाके विरूद्धके संरक्षण स्वामित्वम आधारित बा। काजेकी निक्त्रैनाके विरूद्ध “क्षतिपूर्ति पैना अधिकार” ओ “पुनःआवास सुविधा” पैना

<sup>१६८</sup> वन ऐन, ५० (३)

<sup>१६९</sup> ऐजन, दफा ८

<sup>१७०</sup> ऐजन। ऐनके दफा २ (द) म परिभाषित कैगिलअनसार “वन पैदावर” म काष्ठ ओ गैरकाष्ठ सक्कु पैदावर समावेश कैजाइत।

<sup>१७१</sup> ऐजन, दफा ४९।

<sup>१७२</sup> ऐजन।

<sup>१७३</sup> एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, सकुनके लाग लागलपुगल आवास : आवासके अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ के विश्लेषण, पृष्ठ १९ : <https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA3104962019ENGLISH.pdf>

अधिकार “आपन स्वामित्वम रहलक जिमिन” बनैलक आवास सुविधासे निक्कावा पउइयन केह उपलब्ध बा । यी प्रावधानसे जिमिन ओ आवासके पहुँचके सवालम पैल्लेसे सीमान्तकृत पारगैलक आदिवासी जनजाति, दलित, गरिबीम रहलक मनै ओ अपन बैस्टरहलक जिमिन उपर कानुनी रूपम मान्यता पैलक अधिकार नैरहलक सुविधासे वञ्चित समूहन थप बहिष्कारम पर बट ।<sup>१७४</sup>

- यी कानूनअन्तर्गत सरकारी नियमावली आम्हिन फे जारी हुइना पलि बा । सूचना डेना ब्यला, परामर्शके विधि ओ और विवरणलगायतके चौखट आवश्यकताहन यी नियमावलीसे स्पष्ट पर्ना असा कैगिल बा ।

यी लिखिरहल ब्याला राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन ओ और कानूनहन नेपालके संविधान, २०७२ अनुरूप बनाए ओ ओइन आवासके अधिकारसम्बन्धी ऐन ओ और हालसाल्ह जारी कैगिलक कानूनसँ एकरूपता हुइना गरी फेरबदल कर पर्ना जरौरी बा ।

## ५.४ मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५२ ओ मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन निर्देशिका, २०५६

सन् १९९३ म पारित हुइलक राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनके चार फेरिक फेरबदल (संशोधन)से राष्ट्रिय निकुञ्ज ओ वन्यजन्तु संरक्षण विभागहन मध्यवर्ती क्षेत्र स्थापना कर्ना अधिकार डेराखल । जिहिम मध्यवर्ती क्षेत्रहन निकुञ्ज या आरक्ष विपरितके क्षेत्र जाहाँ सड्डअस ओ लाभदायक हिसाबम स्थानीयसे बन्वा पैदावारके बेल्स मिल्ना कैके परिभाषित कैगिल बा । २०५२ सालम लागू कैगिलक मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावलीम असिन प्रावधान बा :

- यी नियमावलीसे राष्ट्रिय निकुञ्जके संरक्षण अधिकृतहन मध्यवर्ती क्षेत्रम सक्कु मेहिक संरक्षण ओ विकासके कार्यक्रमके व्यवस्थापकीय अख्तियारी डेगिल बा ।<sup>१७५</sup>
- नियमावलीके भाग ४ से सामुदायिक विकास ओ स्रोतके सुहावनसे बेल्साइम सखाइकटे संरक्षण अधिकृतहन उपभोक्ता समिति गठन कर्ना ओ दर्ता कर्ना अधिकार डेराखल ।
- भाग ५ से रोक्वा कर्लक कामनके सूचि उल्लेख कैगिल बा ।

<sup>१७४</sup> एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, सकुनके लाग लागलपुगल आवास : आवासके अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ के विश्लेषण, पृष्ठ १९ : <https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA3104962019ENGLISH.pdf>

<sup>१७५</sup> हेरी, उदाहरणके लाग, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज व्यवस्थापन योजना, २०१६-२०२०, यिहाँ उपलब्ध बा । [http://www.bardianationalpark.gov.np/index.php/en/component/docman/cat\\_view/5-downloads?orderby=dmdate\\_published&ascdesc=DESC](http://www.bardianationalpark.gov.np/index.php/en/component/docman/cat_view/5-downloads?orderby=dmdate_published&ascdesc=DESC)

- भाग ८ से क्षतिपूर्तिके प्रक्रियाहन उल्लेख कैराख । यिहीम वन्यजन्तुके ओसें मानवीय जीवन, घरम पल्लक लालाबाला या बालीके हैम कौनो क्षतिपूर्तिके व्यवस्था नै कैगिल हो ।
- राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन ओ २०५२ सालके नियमावलीसे निर्दिष्ट कैगिल बाहेक यी निर्देशिकासे डेउर मेद्विक समिति खडा कैरखल । यिहिम मध्यवर्ती क्षेत्र विकास परिषद्के व्यवस्था कैगिल बा । ओकहेक भरम वडा तहम उपभोक्ता समूह बनाए सेक्जाइट ओ गाउँ तहम उपभोक्ता समूहके प्रतिनिधिन मिलैलक उपभोक्ता समिति बनाए सेक्जाइट ।

## ५.५ और सुहावन कानून ओ नियमावलीन

- जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ से सरकारहन सार्वजनिक कामके लाग मुआब्जा डेना गरी कौनो फे ठाउँके जठ्याक जग्घा फे लेना अधिकार डेराखल ।<sup>१७६</sup>
- जलस्रोत ऐन, २०४९ (१९९२) से उपलब्ध सक्कु जलस्रोतके स्वामित्व राज्यम निहित रहलक घोषणा कैराखल ।<sup>१७७</sup>
- जलचर संरक्षण ऐन, २०१७ (१९६०) से इजाजत बिन पैल लड्डेम मच्छी मर्नाम रोक्वा कैगिल बा । असिन इजाजतके व्यवस्थासे आदिवासी मच्छी मर्ना समुदाय थारू, बोटे, माभी, मुसहर, सोनाहा ओ मलाहके जीवनयापनम बिनसुहावन असर परल बटन ।<sup>१७८</sup>
- मालपोत ऐन, २०३४ से भूमि राजश्व या मालपोतके संकलन ओ जग्गा आवाद कर्नासम्बन्धी व्यवस्थाहन सुदृढ बनाराखल । यी ऐनसे मालपोतहन राजश्व ओ “जग्गाधनीसे नेपाल सरकारहन टिरपर्ना और कौनो फे राजश्व” के रूपम परिभाषित कैराखल । दर्ता नै कैगिलक जग्गम आवाद कर्लसे सजाय हुइना व्यवस्था रहल बा ।<sup>१७९</sup>

<sup>१७६</sup> जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४, दफा ३

<sup>१७७</sup> जलस्रोत ऐन, २०४९ (सन् १९९२), दफा ३

<sup>१७८</sup> ऐन दफा ३, ४ ओ ५

<sup>१७९</sup> मालपोत ऐन, २०३४, दफा २९ ।

# ६. उपचारके अधिकारके उल्लङ्घन

उप्पर लिखगैलक मानवअधिकार उल्लङ्घनके सवालम कौनो फे पीडितसे पुगल जठ्याक क्षतिपूर्ति या नेपाल पक्ष रहलक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसे प्रत्याभूत कैगलक और कौनो फे उपचार पाय नैसेक्ल हुइट ।

## ६.१ जबर्जस्ती निक्कावा पैनाके उपचार

नेपालके अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दायित्वअन्तर्गत जबर्जस्ती निक्कावा पैलक मनैन ठेउरसे ठेउर वैकल्पिक आवास ओ क्षेतिपूतिलगायतक प्रभावकारी उपचार डेजाइ पठा । आर्थिक, सामाजिक ओ सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिके आधिकारिक व्याख्या कर्ना विज्ञ निकाय आर्थिक, सामाजिक ओ सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय समितिसे सरकारहन ठेउर आवासके अधिकारहन सम्मान कर परहिस कना बाट लिखगैल बा । यिहिम जबर्जस्ती निक्कैना कामसे डूर रना, जिम्डार या घरबेटी अस ट्यासर पक्षसे हुइना आवासके अधिकार उपरके हस्तक्षेपसे मनैन जोगैना ओ ठेउर आवासके अधिकारहन पूरापूर पाइकटे सुहावन कानुनी, प्रशानिक, न्यायिक, सम्बर्द्धनात्मक, बजेटगत ओ और उपायहन अवलम्बन कर्ना बाट परठ । सरकारसे सक्कुनके लाग चहना ठिक्कक आवासके सुविधा उपलब्ध करैनाहन प्राथमिकता डिह पठा ओ असिक करबेर स्रोतनके विनियोजन कर्ना ब्यालम सक्कुनसे भङ्खनम रहलक समूहहुँकन अघवा ढरपठा । समितिसे राज्यके निकायन अजहेहन प्रभाव पर्ना निर्णयनम जनताके परामर्श ओ सहभागिताके अधिकारहन प्रत्याभूत कर ओ यदि यी कौनो फे अधिकार उल्लङ्घन हुइलसे प्रभावकारी उपचार डिहपर्ना आह्वान कैराखल ।<sup>१८०</sup>

यद्यपि यी अनुसन्धानके ब्यालम एम्नेस्टी इन्टरनेसनल ओ आत्मनिर्भर केन्द्रसे अनुसन्धान कैगलक घटनाम अधिकारीहुँकन जबर्जस्ती निक्कैना काममनसे बड्डुर रहना ओ जबर्जस्ती निक्कैलक मनैन संरक्षण कर विफल केल्ह नैहुइल, असिन जबर्जस्ती निक्कैलक घटनाम प्रभावकारी उपचार डिह फे हुँक विफल हुइल बट ।

<sup>१८०</sup> आर्थिक, सामाजिक ओ सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी समिति, सामान्य टिप्पणी नं ४, पृष्ठ ९ ओ सामान्य टिप्पणी नं ७, पृष्ठ १३

नेपालके संविधान, २०७२ नेपालम संघीय व्यवस्थाके सूत्रपात करल । यी संविधानसे सक्कु राष्ट्रिय निकुञ्ज ओ आरक्षण केन्द्र सरकारके क्षेत्राधिकारम ठैराखल ।<sup>१८१</sup>

संविधानके धारा ३७ अन्तर्गत जबर्जस्ती निक्कैनाके विरुद्ध जोगैना ओ आवासके अधिकार पक्का कर्ना दायित्व संघीय सरकारम निहित रहल बा । प्रदेश ओ स्थानीय सरकारनके भूमिका परिपूरक रहल बा । सक्कु तीन तहके सरकारम “अधिकारके सम्मान कर्ना” जिम्मेवारी रहल बा । ज्याकर अर्थ हो, ऊ सरकारनसे मनैनके आवासके अधिकारहन नोक्सानी पुगैना हिसाबम कौनो फे काम नै करहुइट । ओसहक यी सरकारन संघीय, प्रादेशिक ओ स्थानीय कानुनवमोजिम यी अधिकारके “संरक्षण (जोगैना)” ओ “परिपूर्ति” कर्ना दायित्व फे पूरा कर पठन् । कौनो फे कानुनी जिम्मेवारी पूरा कर्ना सवालम संघीय सरकारहन प्रदेश ओ स्थानीय सरकारसे समन्वय करपर्ना जिम्मेवारी फे बटस् ।

याकर अलावा काठमाडौंम अधिकारीनसे लेलक अन्तर्वार्ताके ब्याला का पक्का हुइलक कलसे राष्ट्रिय निकुञ्जसे प्रभावित हुइलक आदिवासी जनजाति समुदायहुँकन प्रभावकारी उपचार डेना सवालम केन्द्र सरकारम सीमित राजनीतिक इच्छाशक्ति रहल बा । संघीय ओ स्थानीय सरकारम विद्यमान रहलक आपन क्षेत्राधिकार ओ दायित्वसम्बन्धी भ्रम<sup>१८२</sup> ओ आवासके अधिकारसम्बन्धी ऐन अस पैल्हा लौव कानुनसम्बन्धी नियमावली आम्हिन अवलम्बन नै कैगलक ओसे जो कुछ हदम असिन हुइलक हुइसेक्ठा ।

२०७७ साउन १२ गते मानवअधिकार अधिवक्ता ओ अनिकारकर्मीनके एकठो समूह चितवनके चेपाङ ओ बर्दियाके थारूलगायत अनौपचारिक क्षेत्रम बैस्टरहुइयन जबर्जस्ती निक्कैना कामसे जोगाइक लाग ठेउर आदेश माड कर्ती सर्वोच्च अदालतम एकठो सार्वजनिक सरोकारके मुद्दा दायर कर्ल । यी रिट निवेदन निक्कावा पैलक हुँकन (२०७७ साउन ३ म चितवनके कुसुम खोल्लेमसे चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जके अधिकारीनसे कैगलक जबर्जस्ती निक्कावापैलक पीडित)हुँकन प्रभावकारी उपचारके फे माड कर्ल रहल ।<sup>१८३</sup> अदालतहन कैगलक एकठो पक्का भागम वैकल्पिक आवासके व्यवस्था बिना कर्ल कौनो फे अधिकारीहन कौनो फे निक्कैना काम नैकर्ना आदेश रहल रह । कुसुम खोल्लोमक चेपाङ प्यारनके जबर्जस्ती निक्कैनाके सावालम निवेदकनसे अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डवमोजिम हुँकन्हकटे उचित पुनःआवास (उप्पर हेरी परिभाषा), लागल पुगल क्षतिपूर्ति ओ जबर्जस्ती निक्कैना कामम संलग्न रहके पीडितन बिनघरक बनाए ओ हुँकन आपन जीविकासे पज्जुरोइना जिम्मेवार रहलक मनैयक हकम फौजदारी जवाफदेहीता कायम कर्ना माग कर्ल रहल । खाद्य अधिकार ओ खाद्य सम्प्रभूतासम्बन्धी ऐन, २०७५<sup>१८४</sup> ओ मुलुक अपराध सहिता

<sup>१८१</sup> नेपालको संविधान, २०७२, अनुसूची-५ (धारा ५७ उपधारा १ र धारा १०९ सम्बन्धी), सङ्घके अधिकारके सूची, नं.२७)

<sup>१८२</sup> हेरी, उदाहरणके लाग, डिमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपाल। “दी इन्टररेलेसनसिप बिटुइन थ्रि लेभलज् अफ गभर्नमेन्ट इन नेपालज् फेडरल स्ट्रक्चर” अक्टोबर २०२०। डिआरसिएन, ललितपुर, नेपाल। यी फे हेरी :

[www.kathmandupost.com/politics/2019/05/28/confusion-grips-three-tiers-of-government-over-division-of-royalties-from-natural-resources](http://www.kathmandupost.com/politics/2019/05/28/confusion-grips-three-tiers-of-government-over-division-of-royalties-from-natural-resources)

<sup>१८३</sup> राजुप्रसाद चापागाईंसमेत वि. प्रधानमन्त्री ओ मन्त्रिपरिषद्के कार्यालय, रिट निवेदन नं. ०७७-WO-००३८

<sup>१८४</sup> दफा ४० (ड) ओ दफा ४२ (ग)



ऐन, २०७४<sup>१८५</sup> हन उद्धृत कर्ती निवेदनसे गृहमन्त्रालयहन चेपाड प्यारन जबर्जस्ती निर्रैना कामके जिम्मेवारहुँकनके विरूद्ध फैजदारी अनुसन्धान कैके अभियाजन कर्ना आदेश डिह अदालतहन अर्जी कर्ल रलह ।

भुँखसे मुक्त हुइना ओ खाद्यान्न अभावके ओसेँ जीवन जोखिमम रहना ब्यालसे सुरक्षित रहना बाटहन प्रत्याभूत कर्ना संविधानके धारा ३६ बमोजिम हुइना गरी खाद्य अधिकार ओ खाद्य संप्रभूतासम्बन्धी ऐन, २०७५ के दफा ४० (ड) से किहुहन बिनघरक बनाक आधारभूत जीवनयापनसे पञ्जुरोइना कामहन अपराधीकरण कैराखल । जिहिहन दफा ४२(ग) म ठेउरम पाँच वरसके कैद या पाँच लाख रूप्या जुर्वानाके व्यवस्था कैगिल बा । ओस्टख मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ के दफा २८५(३) (घ) म “केक्रो घर, कार्यालय या सम्पत्तिम आगी लगाक या विष्फोटक पर्दा बेल्सना” काम कर्लसे डु ठेस पाँच वरस कैद ओ बीस ठेस पचास हजार रूप्या जुर्वाना कर्ना व्यवस्था बा ।

ऊ निवेदनम २०७७ साउन १५ गते हुइलक पैल्हा सुनुवाइके पाछ सर्वोच अदालतसे चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयलगायत सम्बन्धित सक्कु अधिकारीनके नाउम कुसुम खोल्लोम अनौपचारिक रूपम बैस्टरहलक चेपाड प्यारन जबर्जस्ती नै निर्रैना कैख अन्तरिम आदेश जारी करल ।<sup>१८६</sup> २०७७ कुवाँर १२ म अदालतके राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगहन नेपाड प्यारनके जबर्जस्ती निर्रैनासम्बन्धी अनुगमन प्रतिवेदन एक हप्ताभिट्टर बुभैना कैके आदेश जारी करल । अदालत चितवन जिल्ला अदालतके श्रेस्तेदारहन आकुर आदेश जारी कर्ती घटनास्थल जाक निर्रावा पैलक प्यार काहाँ बैस्ट बट, माडी नगरपालिका काहाँ वैकल्पिक आवास बनैटी बा, ओ ऊ बनैना क्षेत्र मध्यवर्ती क्षेत्र या निकुञ्ज क्षेत्र कहाँ पठा कना बाटके चौखट विवरण संकलन कर कैरखलाहा । सन् २०२१ के जनवरीसमम मानवअधिकार आयोग ओ चितवन जिल्ला अदालतके श्रेस्तेदारसे अर्जी करलअनसारके जानकारी बुभास्याकल बट । यी मुद्दाके अन्तिम सुनुवाइके मिति २०७८ जेठ २ गतेकलाग ट्वाकल रह । लेकिन कोभिड विरूद्धके निषेधाज्ञा जारी रहलकमार स्थगित हुइल बा ।<sup>१८७</sup>

२०७७ साउन १५ गते अदालत कुसुम खोल्लोक नेपाड प्यारन कौना जबर्जस्ती निर्रैना काम जिकरहो कैके अदालतसे कैगिलक आदेशहन पालन कर्ना बाहेक अधिकारीन भविष्यम जबर्जस्ती निर्रैना काम रोक्ना सवालम कौनो उपाय नै लेलहुइट ।

<sup>१८५</sup> दफा २८५ (३) (घ)

<sup>१८६</sup> काठमाण्डु पोष्ट, सुप्रीम कोर्ट अर्डर्ज अल टिएर्ज अफ गभर्नमेन्ट टु रिफ्रेन फ्रम इभिकिटङ्ग स्क्वाटर्ज फ्रम दियर शेल्टर, ३० जुलाई २०२०, tkpo.st/30bamDu

<sup>१८७</sup> चितवन जिल्ला अदालतके रजिस्ट्रारसँगके बाटचीट, २०७७ कुवाँर २७ । मानवअधिकार आयोगके कानुनी शाखाके प्रमुख श्याम बाबु काफ्लेसँगके बाटचीट, २०७७ कुवाँर २८ ।

## ६.२ भूमि हडलक क्षतिके उपचार

राष्ट्रीय निकुञ्ज ऐन मध्यवर्ती क्षेत्रम बसोवास कर्ति अउइयनके यदि आपन घर या जिमिन राष्ट्रीय निकुञ्जके सीमा भिट्टर पर गैलसे क्षतिपूर्ति पाइ सेक्ना व्यवस्था कैराखल । उहफे बर्दिया राष्ट्रीय निकुञ्जके मध्यवर्ती क्षेत्रम बैस्टरहलक जनतन आपन जिमिन उपरके पहुँच गुमैलक ४० वरस बिटस्याकल पाछ फे आपन क्षति हुइलक जिमिनके सटाहा कौनो क्षतिपूर्ति नै पैल हुइट । ठेउर जहनके लाग आपन जिमिनहन फिर्ता लेना मजा हुँहिन लेकिन यी सम्भव नैहुइल ब्यालम डेजेना क्षतिपूर्ति हुँक गुमैलक जिमिनके मूल्यहन प्रतिविम्बित कर पठा । आपन पन्थारक जिमिन उपरके पहुँचहन पुनःस्थापित करकटे संघर्षरत वडा नं. ६ गेरुवाके शेरबहादुर खड्का कठ :

“हम्र प्रदेश ओ संघके सम्बन्धित सांसदन ठेउर फ्यारा भ्याँट कैख बाट सुनैली । यी भडखन सम्बोधनके लाग हुँक कुछ नै कर्ल हुइट । आब संघर्ष कर्ना बाहेक हामाठे और विकल्प नै हो -मार्च २०२० म राष्ट्रीय निकुञ्ज कार्यालय (एकठो अनौपचारिक बातचीतम) डिन्छे क्षतिपूर्ति (जिमिनके मूल्यंकनके ३० ठेस ५० प्रतिशत) म हम्र सहमत हुइलक चाह लेकिन हम्र ओहिम सहमति नै जनैली । चितवन राष्ट्रीय निकुञ्जसे प्रभावित हुइयन जौन दरले क्षतिप्रति डेराखल उह दरम हमन फे हुँक क्षतिपूर्ति डिहपर्ना हामा चाहा बा ।”<sup>१८८</sup>

सन् २००६ म जग्गाधनीके प्रमाणपत्र रहलक ६७ जन्ह किसानसे संयुक्त रूपम राष्ट्रीय निकुञ्जकमार आपन जग्गा मुमाए पर्लकओसे क्षतिपूर्तिके लाग सर्वोच्च अदालतके ड्वार ठोक्ल रलह -भुखाली थारू वि, बर्दिया राष्ट्रीय निकुञ्ज समेत) ।<sup>१८९</sup> जग्गा सर्लक मार किसानन भ्वाग पर्लक हानीहन सर्वोच्च अदालसे मान्यता डेलसे फे हुँकन्हक रिट निवेदनहन भर खारेज कैगिल रह ।

२०६३ वैशाख ५ गते अधिकारीन (राष्ट्रीय निकुञ्ज कार्यालय, मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति ओ राष्ट्रीय निकुञ्जा ओ वन्य जन्तु संरक्षण विभाग) के नाउम क्षतिपूर्ति डिहकटे आदेश डेटिरह नैपर्ना कैके निर्णय करल । काजेकी ऊ अधिकारीन आपन लिखित जवाफम यदि दावी कैगिल क्षतिपूर्ति पुष्टि कर जरौरी सक्कु कागजातन (जस्ट जग्गाधनी प्रमाणपत्र ओ कर टिलक रसिद) उपलब्ध करैलसे अपन क्षतिपूर्ति डिहकटे तयार रहलक जनैल रलह ।<sup>१९०</sup>

<sup>१८८</sup> गेरुवा वडा नं. ६ का शेरबहादुर खड्कासँगके अन्तर्वार्ता, २०७६ भदौ ६; २०७७ असोज २७

<sup>१८९</sup> वर्ष २०६२ (२००५) के रिट नं. २८७७

<sup>१९०</sup> सर्वोच्च अदालतके निर्णय, २०६३ वैशाख ०५

एह फे, अदालतहन बुभागैलक लिखित जवाफके विपरित अधिकारिन (खासम बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय) असिन कौनो क्षतिपूर्ति नै डिहल । यिहे विषयम पुछवेर हुँक एक्नेस्टी इन्टरनेसनल ओ आत्मनिर्भर केन्द्रहन राष्ट्रिय निकुञ्ज आर्जन कर्लक आय स्थानीय स्तरम उह समस्याके सम्बोधन करक लाग छिछ्छाल्याडर हुइलकओसे क्षतिपूर्ति डिह सम्भवन नै रहलक कल ।

गेरुवाके वडा नं. ४ म बैस्ना सुनी थारू एक्नेस्टी इन्टरनेसनल ओ आत्मनिर्भर केन्द्रहन कली :

**“हम्र बर्दिया जिल्ला प्रशान कार्यालयम उजुरी डेख्लही । हम्र राष्ट्रिय निकुञ्जके कार्यालय फे गैली । हामा जिमिनके अवस्थाके बारेम वडा कार्यालयसे एकठो सिफारिस फे लन्ली । अदालतम मुद्दा डारकटे चन्दा फे उठैली । अदालतम मुद्दा डारकटे एकज वकिलहन जिम्मेवारी फेन डेली । लेकिन समस्या जसकाटस बा । म्वार टिन्नेओ छ्वावन अह्या लगैठ... म्वार छ्वाइन छोटिहम जो भ्याज कर्ल । मै अखिस म्वार छोटका छ्वाकठे रहुँ ।”<sup>१९१</sup>**

सन् २०२० नोभेम्बरम बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जके संरक्षण अधिकृतसे क्षतिपूर्ति डेजिना सम्बन्धम कौना योजना नै रहलक कल ।<sup>१९२</sup> क्षतिपूर्तिसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाम भङ्खन निहित रहलक निकुञ्जके अधिकारीनके विचार बटन्<sup>१९३</sup> ओ ऐनम नेपाल सरकारसे असिन क्षतिपूर्तिके लाग बजेट विनियोजन कर्ना व्यवस्था रहनागरी संशोधन कैजाइ पर्ना हुँक तर्क कर्ल बट ।<sup>१९४</sup>

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जके अवस्था टनिक फरक बा । जे अस्टहे खालक क्षतिक क्षतिपूर्ति डेना कुछ प्रयास कैराखल । २०६७ (सन् २०१०) सालम एकठो सर्वेक्षणके माध्यमसे प्रभावित जग्गाधनीन ओ निकुञ्जम सर्लक जग्गाके सूची तयार कैगिल रह । यी सूचीके आधारम चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जसे प्राथमिकताके आधारम प्रभावित मनैहुँकन क्षतिपूर्ति

<sup>१९१</sup> सुनि थारूसंगके अन्तर्वार्ता, २०७६ भदौ ०६

<sup>१९२</sup> विष्णु प्रसाद श्रेष्ठसंगके बातचीट, २०७७ कार्तिक २४

<sup>१९३</sup> “मध्यवर्ती क्षेत्रभिट्टर कुइ बासिन्दाके घर जग्गा बाहार पहिरोके कारणसे राष्ट्रिय निकुञ्ज या आरक्षके सिमानाभिट्टर पर गैलसे ओसिन बासिन्दनके घरबास उटलसे उपभोक्ता समितिके सिफारिसम सम्बन्धित राष्ट्रिय निकुञ्ज या आरक्ष स्थानीय जनताके सामुदायिक विकासके लाग छुट्टैलक रूपेमसे हुँकन मुनासिव माफिकके क्षतिपूर्ति डेजेने बा ।” कना व्यवस्था रहलक राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनके दफा ३(ग) ओ निकुञ्जके अधिकारीहुँकन निकुञ्ज, आरक्ष या संरक्षित क्षेत्रसे आर्जन हुइलक कोषके ३० ठेस ५० प्रतिशत स्थानीय विकासके लाग खर्च कर्ना अधिकार डेगैलक ऐनको दफा २५ के बारेम हुँक चर्चा कर्लक हुइट ।

<sup>१९४</sup> संरक्षण अधिकृत अन्नाथ बराके अन्तर्वार्ता, २०७६ असोज ०७; मध्यवर्ती क्षेत्र परिपदके अध्यक्ष नेत्र राज आचार्यसंगके अन्तर्वार्ता, २०७७ असार १९; राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागके उपसचिव विष्णु प्रसाद श्रेष्ठसंगके अन्तर्वार्ता, २०७७ असार १५

डेगैलक जनाराखल 1<sup>१९५</sup> आर्थिक वर्ष २०७६/८८ (२०१९/२०२०) म यी प्रयोजनके लाग निकुञ्जसे आपन कमैलकमनसे पचास लाख रूप्या (युएस डलर ४२,४३०) विनियोजन कैरखलाहा । डोसुर वरस आर्थिक वरस (२०७७/०७८, सन् २०२०/२०२१) म जिमिनके क्षतिस्वरूप उपलब्ध करैना क्षतिपूर्तिके लाग एक करोड रूप्या (युएस डलर ८४,८५०) विनियोजन कैराखल ।

प्रभावित मनैन क्षतिपूर्ति भुक्तानी करल पाछ भूस्वामित्व फे चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जम स्थानान्तरण हुइल । सन् २०२० के जुन सम आकु एक सय विघा (६,७७,२०० वर्ग मि.) जिमिन चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जके स्वामित्वम स्थानान्तरण कैगिल बा ।<sup>१९६</sup>

कौनो राष्ट्रिय निकुञ्जके लाग छिछ्छाल्याडर ओ औरनके लाग बरी डान्चे रकम हुइनाके कारणके बारेम पुछ्छबेर बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जके संरक्षण अधिकृत राजस्वके पैल्हा सूत पर्यटन रहलक लेकिन बर्दिया निकुञ्जम पर्यटनके विकास चितवनम अस नै हुइलक कल ।<sup>१९७</sup>

निकुञ्जके सीमानाभिद्वार पर गैलक जिमिनहन फेर दाबी कर्ना अधिकारसम्बन्धी कानुनी संरक्षणके अभाव, बाहार या पहिरोके कारण जिमिन निकुञ्ज क्षेत्रम सर जउइयनके हकम ठेउरसे ठेउर क्षतिपूर्ति डेजैना सवालम सरकारके पक्का जिम्मेवारीके अभाव ओ राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनअन्तर्गतके क्षतिपूर्ति उपचारके लाग स्थानीय तहम कमागैलक रूपेम पूरा अन्याइल रहपनाओसे हजारौ मनैन खास कैख आदिवासी समुदायके मनैन प्रतिकूल असर पुगल बटन् ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षण विभागके उपसचिव विष्णुप्रसाद श्रेष्ठ अनिस क्षतिम क्षतिपूर्ति डिहक लाग नेपाल सरकारहन जो जिम्मेवार बनौन गरी ऐनम फेरबदल नैकरटसम सुहावन उपचार कर नैसेकजैना कल । सन् २०१७ म राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनके पाँच फ्यारक फेरबदलके बारेम विचार करबेर विभाग जिमिनके क्षतिके सवालम क्षतिपूर्तिके प्रावधानहन फेरबदल करकटे अर्जी (प्रस्ताव) कर्लक लेकिन अर्थमन्त्रालयके विरोधके मार ऊ प्रयास सफल नै हुइलक उ कल ।<sup>१९८</sup>

गेरुवा गाउँपालिकाके निर्वाचित प्रतिनिधिन आपन सरोकारहन निकुञ्जके अधिकारीके संगसंगे प्रदेश ओ संघके सांसदनके आघ उठैटी अइलक दाबी कर्ल बट । सन् २०१७ म हुइलक गेरुवा गाउँपालिकाके पैल्हा सभासे यी भङ्खनहन समाधान करक लाग निकुञ्जके

<sup>१९५</sup> चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जके वार्षिक प्रतिवेदन (२०१८/२०१९) नदीजन्य कटानके ओसे प्रभावित हुइलक १९ घरपर्यारनके हुँकन्हक जिमिन चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जके स्वामित्वम स्थानान्तरण कैगिल पाछ क्षतिपूर्ति पैलक डेखैठा । असिख प्रभावित हुइलक १९ मध्ये १३ घरपर्यारन आदिवासी जनजाति (छ थारू, छ कुमार ओ एक जे तामाड) बट । एम्नेस्टी इन्टरनेसनल ओ आत्मनिर्भर केन्द्र यी जानकारीहन पुष्टी कर नैसेइल हो ।

<sup>१९६</sup> संरक्षण अधिकृत नारायण रूपाखेतीसंगके अन्तर्वार्ता, २०७७ असार १५; संरक्षण अधिकृत विष्णु ढकालसंगके अन्तर्वार्ता, २०७७ असार १५ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जके वार्षिक प्रतिवेदन (२०१८/२०१९) फे हेर्नी ।

<sup>१९७</sup> बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जके संरक्षण अधिकृत अनाथ बरासंगके अन्तर्वार्ता, २०७६ कुवॉर ०७

<sup>१९८</sup> उपसचिव ओ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागके प्रवक्ता विष्णु प्रसाद श्रेष्ठसे लेगैलक अन्तर्वार्ता, २०७७ असार १५

सीमाना छुट्याइकटे सर्वेक्षण करपर्ना माइ सहितके अर्जी प्रस्ताव कैराखल रह ।<sup>१९९</sup> उह फे, पालिका ओ राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयबीच आक्कलभक्कलक कचेरी अलावा कौनो ठोस प्रगति नै हुइल हो ।<sup>२००</sup> याकर अलावा, राष्ट्रिय निकुञ्जके अधिकारीन स्थानीय अधिकारीकेओर जवाफदेही नै हुइल । हुँक प्रभावित आदिवासी जनजातिनकेओर जवाफदेही हुना ट बाट छोरी, बेन्ह हुँक केन्द्र तहके वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतके सरकारी निकाय राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागम रिपोर्ट कर्ठ । बर्दिया जिल्ला प्रशासन कार्यालयके एकज अधिकारी राष्ट्रि निकुञ्ज जिलम वास्तविक समानान्तर सरकारके रूपम काम कर्ना कर्लक विचार ढर्ल ।<sup>२०१</sup>

२०७६ साउन ४ गते एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल, न्याय ओ अधिकार संस्था नेपाल (जुरी-नेपाल), आत्मनिर्भर केन्द्र ओ राष्ट्रिय भूमिअधिकार मञ्चके एकठो प्रतिनिधिमण्डल भूमि व्यवस्था, सहकारी ओ गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालहन बन्वम अरेइलक आदिवासी जनजातिनके अधिकार उल्लंघनके विरूद्ध काम कर ओ गेरुवा लड्डेक धार फेरगैलकओसे बर्दिया निकुञ्ज भिट्टर पर गैलक आपन जिमिनम हुँकन विनारोक्वा पहुँच डिहकलाग अर्जी कर्ती एकठो पत्र बुझाल रह । ऊ पत्रम प्रस्ताव कैगिलक कर्ना उपाय असिन रह : क) स्थानीयन भोगिटरहलक भड्खनके सखलहे (समग्र) मूल्यांकनके लाग उच्चस्तरीय विज्ञमण्डल बनैना, ख) स्थानीयनके आपन जिमिन उपरके पहुँच पक्का कर्ना ओ ग) आपन जिमिनम पहुँच पाइ नैसेक्लकओसे बिहवार पर्लक क्षतिम ठेउरसे ठेउर क्षतिपूर्ति डेना ।<sup>२०२</sup> स्थानीयन भोगलक मानवअधिकार उल्लंघनके अनुगमन कैके सरकारहन सिफारिस करकलाग आह्वान कर्ती एकठो छुट्ट ज्ञापनपत्र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगहन बुझागिल रह । सन् २०२० अक्टोबरम आयोगक अधिकारीनके म्याद ओरैना ब्यालम यी ज्ञापनपत्रके प्रतिजवाफ स्वरूप आयाग कौना काम कलक पटा हुइ नै आइल हो ।<sup>२०३</sup>

## ६.३ भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग

२०७६ माघम फेरबदल कैके लानगैलक भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ के लौव दफा ५२ ख (६) के अधिनम रहके सरकार २०७६ साल चैतम तीन बर्सा कार्यकाल सहितके “भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग” स्थापना करल । यी व्यवस्थासे “भूमिहीन सुकुम्बासी”नके

<sup>१९९</sup> गेरुवा गाउँ पालिकाके अध्यक्ष जम्मान सिं केसिसे लेगैलक अन्तर्वार्ता, २०७७ कुवाँर २७

<sup>२००</sup> जम्मान सिं केसीसँगके अन्तर्वार्ता, उपर हेरी

<sup>२०१</sup> बर्दियाके सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन सुवेदीसे लेगैलक अन्तर्वार्ता, २०७६ कुवाँर ०७

<sup>२०२</sup> से पत्रहन एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल, आत्मनिर्भर केन्द्र, न्याय ओ अधिकार संस्था नेपाल ओ भूमि अधिकार मञ्चसे संयुक्त रूपम मन्त्रालयम बुझागैल रह, २०७६ असार २९

<sup>२०३</sup> २०७६ साउन ०९ म एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल, आत्मनिर्भर केन्द्र, न्याय ओ अधिकार संस्था नेपाल ओ भूमि अधिकार मञ्च राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगम एकठो पत्र बुझैल रलह, [old.amnestynepal.org/campaigns/ai-nepal-activities/](http://old.amnestynepal.org/campaigns/ai-nepal-activities/)

पहिचान कैके हुँकन जग्गाके स्वामित्व डेना ओ “व्यवस्थित बसोबासी”नके पहिचान कैके हुँकन जग्गाके स्वामित्व डेना लक्ष्य लेह बा ।<sup>२०४</sup>

भूमि आयोग नेपालके ७५३ पालिकामध्ये ७४३ ठोसे प्राथमिकताके आधारम सखैनासम्बन्धी समझदारी पत्रम अस्ताक्षर कैराखल ।<sup>२०५</sup> पालिकाके गतिविधिनके अनुगमनके लाग आयोगसे स्थानीय ओ जिला तहम सहजीकरण समितिनके नियुक्ति कैगिल बा । यी समितिम नौ सदस्यन बट (जिहिम तीन जन्ह जन्नीन फे बट, जौनमध्ये एकजन्ह दलित महिला रहने बट लेकिन आदिवासी जनजातिके प्रतिनिधित्वहन भर चौखटसे पक्का नै कैगिल हो) ओ सन् २०२० के पाछपाछसे यी समिति आपन काम सुरु कैरखल । २०७७ चैत २२ गते एम्नेस्टी इन्टरनेसनल ओ आत्मनिर्भर केन्द्रसँगके कचेरीम भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगके अध्यक्ष ओ और सदस्यन अपन बन्वम अरेइलक आदिवासी समुदाय ओ प्यारन राष्ट्रिय निकुञ्जके स्थापना हुइलकओसे विस्थापित हुइ पुगलक बारेम कन्कनार रहलक कल । सँगहे हुँकन आदिवासी जनजाति जनतनके परम्परागत जीवनशैलीके अधिकार ओ हुँकनक परम्परागत भूमिसे फे डुर पुनःआवास नैकर्ना मनके इच्छहन सम्मान कर्ती हुँकन वैकल्पिक आवास पक्का करक लाग नेपाल सरकारसे परामर्श कैजिना पक्कापक्की फे कर्ल ।

आयोगसे स्थानीय सरकारन “भूमिहीन सुकुम्बासी” ओ “अव्यवस्थित बसोबासी”नके ( परिभाषा उप्पर हेरी) सूची तयार कैके उपलब्ध कराए अर्जी कैगिल बा । स्थापना हुइल लढरे वैशाख २०७७ म सम्बन्धित अधिकारीहुँकनसे किउ फे “भूमिहीन सुकुम्बासी” ओ “अव्यवस्थित बसोबासी”न नै निक्रैना आह्वान कैगिल रह ।<sup>२०६</sup>

यी प्रतिवेदनहन अन्तिम रूप डेटी रहलब्याला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाके नेतृत्वक लौव सरकार यी आयोगहन विघटन कैराखल ।<sup>२०७</sup> सन् २०२१ के जुलाइ पुछारसम आयोग २,४७,९६० “भूमिहीन सुकुम्बासी” ओ ९,३२,८०१ “अव्यवस्थित बसोबासी”नसे ग्यार लाख असी हजार आवेदन पैल रलह ।<sup>२०८</sup> आयोगहन विघटन करपर्ना कौनो कारण नै डेगिल हो ।

<sup>२०४</sup> कानुनम “भूमिहीन सुकुम्बासी” हन “अपन या पर्यारनके स्वामित्वम जग्गा जिमिन नैहुइलक ओ आपन या आपन पर्यारनके आय आर्जन, स्रेत या प्रयाससे जग्गाके प्रबन्ध करकटे मन्जुर नैरलक मनै या निजके उपर आश्रित पर्यारके सदस्य समेत” कैके परिभाषित कैगैल बा ओ “अव्यवस्थित बसोबासी” कलक “सरकारी एलानी, पर्ती या सरकारी अभिलेखम बन्वा जनैलक रलसे फे लम्मा ब्यालासे आबाद समेत कैके घर, झेफ्री बनाक बैस्लक मनै” कैके परिभाषित कैगिल बा ।

<sup>२०५</sup> रातोपाटी, देउवा सरकार भूमि आयोग खारेज गर्दै, २०७८ असार २२, <https://ratopati.com/story/190838/2021/7/21/bhumi-aayog->

<sup>२०६</sup> आयोगके प्रेस वक्तव्य, २०७७ साउन ०६। वेबसाइट हेरी : [www.lirc.gov.np/menu/about/74](http://www.lirc.gov.np/menu/about/74)

<sup>२०७</sup> कान्तिपुर, भूमि आयोग खारेज, २० श्रावण २०७८, <https://ekantipur.com/news/2021/08/04/162804340224291748.html>

<sup>२०८</sup> कान्तिपुर, भूमि आयोग खारेज, २० श्रावण २०७८, <https://ekantipur.com/news/2021/08/04/162804340224291748.html>

# ७. सिफारिसहरू

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल ओ सामुदायिक आत्मनिर्भर केन्द्रके सिफारिस असिन बटन् :

१. संघीय सरकारके लाग :

- (क) आपन भूमिम रहल कैगिलक बचाउसम्बन्धी पहलम पूरा रूपम सहभागी ह्वाए पैना आदिवासी समुदायके अधिकार प्रत्याभूत कर ओ हुँकन मानवअधिकारहन प्रभावित पर्ना सक्कु पहलनम स्वतन्त्र, पहिलहे ओ सूचित सहमतिके अधिकार पक्का करक लाग देशको संरक्षणसम्बन्धी कानुनी संरचनाम फेरबदल कर्ना;
- (ख) राष्ट्रिय निकुञ्जसे निक्रावा पैलक आदिवासी जनजातिनसे हुँक भोगलक उल्लंघनके सुहावन उपचार ओ जोगैलक क्षेत्रम रहलक हुँकन्हक पुख्यौली भूमिम घुम्ना (फिर्ता) विकल्प के लाग फे स्वाभ (इमानदार) परामर्शके प्रक्रियाके व्यवस्था कर्ना । अविभेदकारी ओ बरी जरौरी कर्ना कारणहन सरकारसे विश्वसनीयताके संग प्रदर्शन कर सेक्ल ब्याला केल्ह असिख फिर्ती कर मिल्ला बाटके एकठो अपवाद हुइ सेकठा । जरौरीके अर्थ औरजहनके अधिकार ओ स्वतन्त्रताके सुहावन मान्यता ओ सम्मान ओ एकठो प्रजातान्त्रिक समाजके न्यायोचित ओ बाध्यकारी आवश्यकता पूरा कर्ना उद्देश्यके लाग लिह पर्ना कदम कैके बुझ पठा;
- (ग) बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज ओ गेरुवा लड्डेक सन्दर्भम डेखपरल अस अप्ण बैस्टरहलक या खेतीपाती कर्टरहलक जिमिन बाहारके ओसें या लड्ड्या धार फेरक (डगर माल्हक) राष्ट्रिय निकुञ्जके क्षेत्रम परगैलक ब्यालम हुँकन असिख निकुञ्जनम पर गैलक जिमिनम बिना रोक्वा पहुँच डेना बाट पक्का कर्ना;
- (घ) राष्ट्रिय निकुञ्ज ओ और जोगैलक क्षेत्रके स्थापना हुइलक ओसें या और कारण (जस्ट बाहार “खोल्हमक बाहार”के ओसें आपन जिमिन संरक्षण भिट्टर पर गैलक”से आवास ओ भूमि गुमउइया सक्कुन नेपाल सरकारसे हुँकन परम्परागत जीवन पद्धति उपर गडबडी नै हुइना गरी हुँकन्हक पाछसम्मनके जीविका पक्कापक्की के लाग पुगल जठ्याक वैकल्पिक आवास ओ भूमिके व्यवस्था कर पठा;

- (ड) संरक्षित क्षेत्रके शासन प्रणालीहन नेपालके संविधानमुताबिक जाट्टिक सहभागितामूलक बनैना पक्का करक लाग राष्ट्रिय निकुञ्ज ओ वन्य जन्तु आरक्षण ऐनहन यदि सक्कु विस्थापन नै कर्ना हो कलसे फे चाहल जठ्याक फेरबदल कर पठा;
- (च) आदिवासी जनजातिनके अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय ओ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डके अनुरूप हुइना गरी मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनक सवालम एकठो छुट्ट संयन्त्र अवलम्बन कर्ना;
- (छ) विद्यमान कानूनहन आवासके अधिकारसम्बन्धी ऐन ओ और आकु पच्छोक कानून अनुरूप एकनास करैना गरी फेरबदल कर्ना;
- (ज) कौना फे निक्कैना कामम न्यायिक अनुमति चहना व्यवस्था ढरक लाग आवासके अधिकारसम्बन्धी ऐनहन संशोधन कर्ना;
- (झ) राष्ट्रिय निकुञ्ज ओ संरक्षित क्षेत्रनम नेपाली सेनाके भूमिकहन पुनरावलोकन कर्ना ओ साभेदारहुँकनठेसक परामर्शम सेनाहन गस्ती कर्ना कामम केल्ह सीमितन कर्ना गरी पक्का कानुनी प्रावधानके व्यवस्था कर्ना ओ सेना ओ निकुञ्जके अधिकारीनके जवाफदेहीता स्थानीय समितिनम रहलक पक्का कर्ना;
- (ञ) निकुञ्जके अधिकारीन सम्बन्धित स्थानीय सरकार ओ समुदायनकेओर जवाफदेही हुइलक पक्का कर्ना;
- (ट) मध्यवर्ती क्षेत्र समितिनहन आकु प्रतिनिधिमूलक बनाइ पठा । राष्ट्रिय निकुञ्जसे सक्कुनसे ढेउर प्रभावित हुइलक सीमान्तकृत समुदाय ओ जन्नीनके यी समितिनम चाहल जठ्याक ओ प्रभावकारी सहभागिता हुइलक पक्कपक्की करक लाग सक्के उपायके खोजी कर पठा । असिन प्रतिनिधित्व औपचारिकता (Tokenism) म केल्ह सीमित नहवाए ओ महिला ओ सीमान्तकृत समुदायके सदस्यन यी समितिम सहभागी केल्न नाही निर्णय प्रक्रियाम हुँक अर्थपूर्ण मेढिकसे सहभागी हुइ सेक्कलक पक्कापक्की करक लाग प्रयास कैजाइ परट;
- (ठ) वन्यजन्तुनसे हुइना बालीनाली ओ और समपत्तिके क्षतिके सटाहा क्षतिपति पैना प्रक्रियाहन आकु प्रभावकारी बनाए ओ जिमिनके क्षति या बालीनाली या सम्पत्तिके नोशसम्बन्धी राष्ट्रिय निकुञ्जके कमाही निर्भर नै रहना बाट पक्का करकटे सुहावन पुनरावलोकन कर्ना । निकुञ्जक आँजरपाँजर बैस्ना किसानन बालीके बिमा सुविधा डेना बाट यी समस्या समाधानके एकठो उपाय हुइसेक्ठा;
- (ड) संरक्षणक कानून कार्यान्वयन कर्ना सन्दर्भम नेपाली सेना ओ निकुञ्जके अधिकारीनसे हुइलक कना आरोप लगागैलक सक्कु राष्ट्र ओ अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तर्गतके अपराध ओ मानवअधिकार उल्लंघनके शीघ्र ओ स्वतन्त्र



फौजदारी अनुसन्धान हुइलक पक्का कर्ना ओ यदि पुगल जठ्याक मानजैना प्रमाण बा कलसे आरोपितन साधारण नागरिक अदालतम निष्पक्ष पूर्पक्षसे मानवअधिकार मापदण्डके सुहावन प्रक्रियावमोजिम अभियोजन कर्ना ।

२. वन तथा वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विका ओ राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयनके लाग :

- (क) मध्यवर्ती व्यवस्थापन क्षेत्र ओ जोगैलक (आँजरपाँजरके गाउँनम जोगा गैलक वन्यजन्तुनसे बालीनाली, लालाबाला, सम्पत्ति ओ मानव जिन्गीक विनाशहन च्वाकक लाग आवश्यक उपायन अवलम्बन कर्ना;
- (ख) क्षतिनके ब्यलासुहावन अनुमान ओ जोगा गैलक वन्यजन्तुनसे हुइना बालीनाली, लालाबाला, सम्पत्ति ओ मानव जिन्गीक है (क्षति)क विरुद्ध लागल क्षतिपूर्ति पक्का कर्ना ।

३. राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगके लाग:

- (क) खास कैख राष्ट्रिय निकुञ्जनके सन्दर्भम संरक्षण कानुनसे आदिवासी जनजाति उपर नैसुहावन असरके सवालम राष्ट्रिय स्तरके छानविन<sup>२९</sup> कर्ना;
- (ख) राष्ट्रिय निकुञ्ज ओ संरक्षित क्षेत्रलगायतके सन्दर्भम आदिवासी जनजातिनके जिमिन, जीवनयापन ओ प्राकृतिक स्रोतके अधिकारके सवालम पहिलहे कन्कनारके अनुमान कर्ना;
- (ग) संरक्षणसम्बन्धी कानुनके पुनरावलोकन कर्ना ओ मानवअधिकारके मापदण्डवमोजिम हुइना गरी ओइनके फेरबडलके लाग सरकारहन सिफारिस कर्ना;
- (घ) बटैया प्रणालीके सम्बन्धम एकठो राष्ट्रिय तहके अनुसन्धान कर्ना ओ नेपालके संविधानम प्रत्याभूत कैगिलक शोषण विरुद्धके हकके पूरा पालना हुइलक पक्का कर नेपाल सरकारहन सिफारिस कर्ना ।

४. भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगके लाग:

- (क) आदिवासी जनजातिके जिमिनके अधिकार ओ बाहार ओ लड्या धार फेर्लकओसे आपन जग्गा गुमैना मनैयक अधिकारके सवालमा आयोगके कार्यादेशअन्तर्गत तथ्यांक पहिचान ओ प्रमाणीकरण कर्ना मापदणहन पक्का कर्ना ओ यी तथ्यांकहन प्रभावित ओ ओइनके प्रतिनिधिहन जिमिन छट्टैनासम्बन्धी निर्णय करसे आघके परामर्शके लाग उपलब्ध करैना;

<sup>२९</sup> असिन खालके विषय मानवअधिकार उल्लङ्घनके सवालम राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग निर्देशिका २०१६ के दायरा अन्तर्गत पर्छा ।

(ख) योग्य घरपच्यारके पहिचान ओ जिमिन डेनासम्बन्धी निर्णयके विरूद्ध पुनरावेदनक लाग एकठो संरचनाके व्यवस्था कैके फे ओ चाहल कलसे पुनरावेदनहन सहजीकरण करक लाग स्थानीय पदाधिकारीके फे व्यवस्था कैके स्थानीय ओ जिल्ला स्तरक सहजीकरण समितिनके कामकारवाही ओ निर्णयकार्य स्वतन्त्र ओ निष्पक्ष हुइलक पक्कका कर्ना ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल  
मानवअधिकारके लाग  
एकठो विश्वव्यापी  
अभियान हो । किहुँ  
एकजहन अन्याय हुइलसे  
ऊ हामा सककुन्हक  
चासोके विषय बन्ठा ।

#### CONTACT US



[info@amnesty.org](mailto:info@amnesty.org)



+44 (0)20 7413 5500

#### JOIN THE CONVERSATION



[www.facebook.com/Amnesty](https://www.facebook.com/Amnesty)



[@Amnesty](https://twitter.com/Amnesty)

# जोगैना निहुम

## मानवअधिकार उल्लङ्घन

“म्वार आपन स्वामित्वक जिमिनम पैला टेक्क मै का अपराध कर्ल रनहूँ ?”

वन्यजन्तु ओ प्राकृतिक वातावरण संरक्षणके प्रयासके सन्दर्भम नेपालहन दशकौंठेस एकठो “सफलताके बट्कोही”के रुपम उल्लेख कर्ना कैजाइट । लेकिन बन्वम निर्भर रटी अइलक आदिवासी जनजातिन उक्त सफलताके कर्ना मूल्य चुकाइ परल बटन । असिक सक्कुनसे ठेउर प्रभावित हुइलक समुदायम ठेउरअस मध्यपश्चिमम बैसना थारु समुदाय ओ नेपालके मध्य तराईम बैसना चेपाङ, बोटे, दराइ बनकरिया, कुमाल, दनुवार ओ माभी समुदाय रहल बट ।

तराई क्षेत्रक डुठो बरा निकुञ्ज चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज ओ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जन माभूम ठैक कैगिलक अध्ययनके आधारम तयार कैगिलक यी प्रतिवेदनम एम्नेस्टी इन्टरनेसनल ओ सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र (आत्मनिर्भर केन्द्र) यी आदिवासी समुदायके अधिकार पक्कापक्की कर्नाम नेपाल सरकारसे हुइलक विफलताहन उजागर कर्ल बा । एम्नेस्टी इन्टरनेसनल ओ आत्मनिर्भर केन्द्र असिन मानवअधिकार उल्लङ्घनके दस्तावेदीकरण कर्ल बट : जबर्जस्ती निक्कैना, पुख्यौली जिमिन उपरके अधिकारसे पचुरैना, खाद्यानके पहुँचसे समेत पचुरैना गरी परम्परागत रुपम अरेइटी अइलक बन्वा ओ प्राकृतिक स्रोत उपरके पहुँचम बिनसुहावन रोक्वा, नेपाली सेना ओ संरक्षण क्षेत्रके सुरक्षाम खट्लक राष्ट्रिय निकुञ्जके सुरक्षाकर्मीनसे हुइलक मनलगी गिरफ्तारी, गैरकानुनी हत्या, हिरासत ओ यातना या और नैमजा बेभार ओ यी मेहिक-मेहिक स्वरुपके अधिकार उल्लङ्घनम आदिवासी समुदायन प्रभावकारी उपचार डेनाम राज्यसे हुइलक विफलता ।